द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २५

१७ मार्च, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(Fourth Session)

सत्यमेव जयते

(खण्ड १३ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में)   ३ शिलिंग (विदेश में)

399 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

द्वितीय माला, खण्ड १३—अंक २१ से ३०— ११ मार्च से २४ मार्च, १९५८

अंक २१—मंगलावार, ११ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३७, ८३८, ८४१, ८४२, ८४४, ८४५, ८४८, ८५० से ८५३, ८५५, ८५७, ८५९ और ८६१ से ८६७ . २०२५–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९, ८४०, ८४३, ८४६, ८४७, ८४९, ८५४, ८५६, ८५८, ८६०, ८६८, ८६९ और ८७१ से ८८२ . २०५१–६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११२७ से ११८४ . . . २०६०–८३

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८३–८४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २०८४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक—पुरस्थापित किया गया . २०८४

कार्य मंत्रणा समिति

बारहवां प्रतिवेदन २०८४–८५

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक

विचार का प्रस्ताव २०८५–८७

पारित करने का प्रस्ताव २०८७

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २०८८–२११२

दैनिक संक्षेपिका २११३–१७

अंक २२—बुधवार, १२ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ८८३ से ८८९, ८९२ से ९०० और ९०२ से ९०५ २११९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९१, ९०१ और ९०६ से ९१५ . २१४३–४७

अतारांकित प्रश्न संख्या ११८५ से १२२० . . २१४७–६२

स्थगन प्रस्ताव

हवालात में एक व्यक्ति की मृत्यु २१६२

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१६२-६३

सभा का कार्य २१६४

विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८-

विचार का प्रस्ताव २१६५-६७

खण्ड १ से ५ तथा अनुसूची २१६७

पारित करने का प्रस्ताव २१६७

सामान्य आय-व्ययक, १९५८-५९—सामान्य चर्चा . . २१६७—९७

दैनिक संक्षेपिका २१९८-२२०१

अंक २३—गुरुवार, १३ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९१६ से ९२३, ९२६, ९२७, ९२९, ९४९, ९३०, ९३२ से ९३५, ९३८, ९४० और ९४२ से ९४५ . . २२०३-२८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ और ६ . . . . २२२८-३२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९२४, ९२५, ९२८, ९३१, ९३६, ९३७, ९३९, ९४१, ९४६ से ९४८ और ९५० से ९५२ . . . २२३२-३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ से १२६३ . . . २२३८-५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२५७-५९

प्राक्कलन समिति

चौथा प्रतिवेदन २२५९

भारतीय रेलवे अधिनियम के बारे में याचिका . . २२५९

भारत सरकार की वैज्ञानिक नीति के बारे में . . . २२६०

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २२६०-८३

१९५६-५७ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . २२८३-२३०५

दैनिक संक्षेपिका २३०६-०९

अंक २४—शुक्रवार, १४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५४, ९५६, ९५८, ९६०, ९६३ से ९८५, ९६८ से ९७० और ९७२ से ९७८ . . . . . . २३११-३४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५३, ९५५, ९५७, ९५९, ९६१, ९६२, ९६६, ९६७ ९७१ और ९७९ से ९८५ . . . . २३३४-३९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या १२६४ से १३०१ और १३०३ से १३२४ . २३३९–६३

स्थगन प्रस्ताव—

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या . . . २३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र २३६५–६६

राज्य-सभा से संदेश २३६६–६७

सभा का कार्य २३६७

सामान्य आय–व्ययक, १९५८–५९ सामान्य चर्चा . . २३६७–८६

गैर-सराकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन २३८६

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये विधान मण्डलों में स्थान रक्षण की अवधि बढ़ाने के बारे में संकल्प . २३८६–२४१२

संकल्प वापस लिया गया . . . २४१२

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के बारे में संकल्प २४१२

दैनिक संक्षेपिका २४१३–१७

अंक २५—सोमवार, १७ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८६, ९८८ से ९९४, ९९६ से ९९८ और १००१ से १००६ . . . . . २४१९–४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९५, ९९९, १००० और १००७ से १०१६ . . . . . . २४४३–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३२५ से १३४६ और १३४८ से १३७९ . २४४८–७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २४७१–७२

राज्य-सभा से संदेश २४७२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति २४७२

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति २४७२–७३

सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा . . . २४७३–२५११

कार्य मंत्रणा समिति—

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५११

दैनिक संक्षेपिका २५१२–१६

पृष्ठ

अंक २६—मंगलवार, १८ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या १०१७, १०१९ से १०२५, १०२९, १०३१, १०३२, १०३४ से १०४०, १०४२ और १०४३ . . २५१७–४२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०१८, १०२६ से १०२८, १०३०, १०३३, १०४१ और १०४४ से १०५१ . . . . . २५४२–४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १३८० से १४२३ . . . २५४८–६९

सभा पटल पर रखे गये पत्र २५६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .

रोडेशिया के एक यूरोपीय होटल से एक भारतीय राजनयाधिकारी का निकाला जाना २५६९–७०

कार्य मंत्रणा समिति .

इक्कीसवां प्रतिवेदन २५७०

सामान्य आय व्ययक, १९५८–५९—सामान्य चर्चा . . २५७१–८८

सरकारी भू गृहादि (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने के लिए सहमति का प्रस्ताव २५८८–२६१९

दैनिक संक्षेपिका २६२०–२३

अंक २७—बुधवार, १९ मार्च १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५२ से १०५८, १०६० से १०६२, १०६४ १०६६ से १०६८ और १०७२ से १०७४ . . २६२५–४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६५, १०६९ से १०७१ और १०७५ से १०८८ २६४९–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या १४२४ से १४७०, १४७२ और १४७३ . २६५६–७५

स्थगन प्रस्ताव—

२० मार्च को छुट्टी घोषित न करना . . . २६७५–७७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र . . . २६७७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आकाशवाणी में कलाकारों की कथित छंटनी . . २६७७–७९

रेलवे डाक सेवा के तीन कर्मचारियों की हत्या के बारे म वक्तव्य . २६७९–८०

पृष्ठ

सरकारी भू गृहादी (अनधिकृत कब्जाधारियों का निष्कासन) विधेयक—
सहमति के लिये प्रस्ताव २६८०–८६

अनुदानों के लिये मांगें
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय २६८६–२७३०

दैनिक संक्षेपिका २७३१–३४

अंक २८—गुरुवार, २० मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०९० से १०९५, १०९७, से ११०१, ११०४, ११०५, ११०७ से ११११, १११३ और १११५ से १११८ . २७३५–६०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८९, १०९६, ११०२, ११०३, ११०६, १११२ और १११४ . . . . . २७६१–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या १४७४ से १५२७ . . . २७६४–८७

सभा–पटल पर रखे गये पत्र २७८८

गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
सत्रहवां प्रतिवेदन २७८८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
डीमापुर क्षेत्र में नागा विद्रोहियों का धावा . . २७८८–८९

अनुदानों की मांगें २७८९–२८३८
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय . . . २७८९–२८०२
शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८०३–३८

दैनिक संक्षेपिका २८३९–४२

अंक २९—शुक्रवार, २१ मार्च, १९५८—
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११९ से ११२३, ११२६, ११२७, ११२९ से ११३१, ११३४, ११३६, ११३८ से ११४१ और ११४३ . २८४३–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२५, ११२८, ११३२, ११३३, ११३५, ११३७ ११४२ और ११४४ से ११४९, ११५१ से ११५३, ११५५ और ११५६. . . . . २८६८–७४

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२८ से १५७४ . २८७४–९५

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव —

सदर बाजार में अग्निकांड . . . २८९५

सभा पटल पर रखा गया पत्र . . . २८९६

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन २८९६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

हिन्दुस्तान एयर-क्राफ्ट लिमिटेड में उत्पन्न स्थिति . २८९६-९७

सभा का कार्य २८९७

अनुदानों की मांगें—

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय . . . २८९७-२९२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

सत्रहवां प्रतिवेदन २९२८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक (धारा ५५क, ८२ और ११६ का संशोधन)—पुर:स्थापित २९२८

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक (धारा ५१ का संशोधन)—पुर:-स्थापित २९२९

सामाजिक प्रथाएं (व्यय में कटौती) विधेयक) (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ निविष्ट करना)—पुर:स्थापित २९२९-३०

खाद्य अपमिश्रण रोक (संशोधन) विधेयक (धारा २० का संशोधन और नई धारा २१ क का रखा जाना)—पुर:स्थापित . २९३०

मिरजापुर पाषाण महल (संशोधन) विधेयक (धारा ३ का संशोधन)—पुर:स्थापित २९३०

संघ राज्य-क्षेत्र (विधियां) संशोधन विधेयक—(धारा ३ का संशोधन) पुर:स्थापित . . . २९३१

दहेज रोक विधेयक—पुर:स्थापित २९३१

दहेज पर रोक विधेयक–; पुर:स्थापित . . . २९३१

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधक) विधेयक (नई धारा १२४ ख का रखा जाना)—वापस लिया गया २९३२

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का लोप) —

विचार करने के लिए प्रस्ताव २९३२-४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने के लिए प्रस्ताव . . २९४४-५६

दैनिक संक्षेपिका २९५७-६१

पृष्ठ

अंक ३०—सोमवार, २४ मार्च, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ से ११६१, ११६३, ११७०, ११७१, ११७४, ११७५, ११७७ से ११८३, १०६३, ११६७, ११६८, ११६६ और ११७३ . . . २९६३–८७

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . . . २९८८–९१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६२, ११६४, ११६५, ११६९, ११७२ और ११७६ . . . . . २९९२–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या १५७५ से १६२३ . . . २९९३–३०१५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ३०१६

प्राक्कलन समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

लोक-लेखा समिति

तीसरा प्रतिवेदन ३०१६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अणुशक्ति आयोग ३०१६–१७

भारतीय शपथ (संशोधन) विधेयक

पुरस्थापित ३०१७

अनुदानों की मांगें—

स्वास्थ्य मंत्रालय ३०१८–७१

भाखड़ा नंगल की विद्युत् परियोजनाओं के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . ३०७१–७६

दैनिक संक्षेपिका ३०७७–७९

नोट: मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, १७ मार्च, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

राष्ट्रीय वैमानिक गवेषणा प्रयोगशाला

+

†*९८६. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के बोर्ड और शासी निकाय ने राष्ट्रीय वैमानिक गवेषणा प्रयोगशाला की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है;

(ख) इसकी स्थापना के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि इन पर कुछ आवर्तक और अनावर्तक व्यय हो तो वह कुल कितना होगा ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६]**

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण में मैंने देखा है कि १९५७-५८ के लिये १,०५,००० रुपये मंजूर किये गये हैं । कुल कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

†**श्री म० मो० दास** : इस समय मेरे पास निश्चित जानकारी नहीं है । लेकिन मेरा ख्याल है कि निदेशक के पद के लिये विज्ञापन करने में कुछ राशि व्यय हुई है और उपसमिति की बैठक करने में भी कुछ व्यय हुआ हो सकता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : बंगलौर में एक वात-सुरंग (विंड टनेल) पहले से ही मौजूद है । अब दूसरी के लिये धन क्यों आवंटित किया गया है ?

†**श्री म० मो० दास** : बंगलौर की विज्ञान संस्था में एक वात-सुरंग है जिसका निर्माण लगभग दो वर्ष पहले किया गया था । लेकिन यहां जिस सुरंग के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है वह दूसरी ही प्रकार की है । यह ट्रान्सोनिक/सुपरसोनिक वात-सुरंग है ।

†मूल अंग्रेजी में

399 LSD—1.

†**श्री जयपाल सिंह** : जहां तक वैमानिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है, क्या इस प्रयोगशाला में मनोविज्ञान और मनश्चिकित्सा के बारे में भी गवेषणा की जायगी, और यदि हां, तो क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली गवेषणा से कोई समन्वय स्थापित किया गया है ?

†**श्री म० मो० दास** : अभी ब्यौरा तैयार नहीं किया गया है। माननीय सदस्य यह मझ सकते हैं कि यहां देश में हमारे पास विशेषज्ञ नहीं हैं। कुछ भी हो, उनकी संख्या बहुत ही कम है और सब से पहले हमें एक अच्छे अर्हताप्राप्त निदेशक की जरूरत है जो पूरी योजना को देखकर अपने सुझाव दे सके। इन्हीं सुझावों के अनुसार सारा काम किया जायेगा।

†**श्री जयपाल सिंह** : मंत्री महोदय की इस स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में कोई विशेषज्ञ नहीं हैं, क्या सरकार विदेशों से विशेषज्ञ बुलाने का विचार कर रही है, और यदि हां, तो किस देश से ?

†**श्री म० मो० दास** : हम ने निदेशक के पद के लिये विज्ञापन किया है। अब देखना है कि यह विशेषज्ञ कहां से मिल सकते हैं।

†**श्री तंगामणि** : पहले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि चालू वर्ष के लिये जो १,०५,००० रुपये दिये गये हैं उन्हें केवल निदेशक के पद के लिये विज्ञापन पर व्यय किया गया है। क्या यह पूरी राशि विज्ञापन पर ही व्यय की गयी है या किसी अन्य प्रयोजन पर भी व्यय हुई है ?

†**श्री म० मो० दास** : मैं ने बताया कि इस बारे में मेरे पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। फिर मैं ने कहा था कि एक अच्छे अर्हताप्राप्त निदेशक के लिये विज्ञापन पर कुछ व्यय हुआ है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि प्रतिरक्षा विभाग में कुछ विशेषज्ञ वैमानिक इंजीनियर हैं और क्या इन विशेषज्ञों को यहां स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया है ?

†**श्री म० मो० दास** : मैं कह चुका हूं कि जो पहला काम हम करेंगे वह यह कि एक अच्छे अर्हताप्राप्त निदेशक की सेवायें प्राप्त करेंगे। इसके बाद निदेशक के परामर्श से चलेंगे। निदेशक के लिये हम ने विज्ञापन कर दिया है।

छावनियों में किरायेदारी के नियम

+
*९८८. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ मार्च, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छावनी बोर्डों के असैनिक क्षेत्रों में किरायेदारी के संशोधित नियमों को लागू करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : २६ मार्च, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६ के भाग (ख) के उत्तर में लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में रूपांकित नीति के आधार पर सरकारी आदेश जारी कर दिये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : यह प्रश्न कई वर्षों से विचाराधीन रहा, और जो नियम बनाये गये थे उनके बारे में एक वर्ष के बाद आदेश दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में इतनी देरी क्यों हुई ?

†**सरदार मजीठिया** : आदेश जारी कर दिये गये हैं। जैसा पिछले प्रश्न के समय हम ने बताया था, छावनियों में पट्टेदारी की समस्या बड़ी जटिल है क्योंकि दो प्रकार के पट्टेदार होते हैं—एक तो ऐसी छावनियों में जो असैनिक क्षेत्रों में होती हैं, और दूसरे ऐसी छावनियों में जो सैनिक क्षेत्रों में हैं। इन दोनों से पृथक आधारों पर व्यवहार करना पड़ता है और दोनों के लिये पृथक् कानून बनाने पड़ते हैं। हम इस पर विधि मंत्रालय से चर्चा करेंगे। पट्टे के फार्मों को अब अन्तिम रूप प्रदान किया जा चुका है और आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री भक्त दर्शन : हमारे देश में जो ५७ छावनियां हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से क्या सब में इनको लागू किया गया है और जिनमें लागू किया गया है उनमें इस सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं प्रश्न समझा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उसके बारे में कुछ प्रगति हुई है ?

श्री भक्त दर्शन : मेरा मतलब यह है कि ५७ छावनियों में से सभी में क्या एक साथ लागू किया गया है या कुछ सिलेक्टेड केंटोनमेंट्स में लागू किया गया है, और जहां किया गया है वहां के लोगों ने क्या इसका स्वागत किया है या नहीं ?

†**सरदार मजीठिया** : यह किसी विशेष छावनी के बारे में नहीं, सभी छावनियों के बारे में है।

†**श्री रंगा**: हमें बताया गया था कि यह नियम एक वर्ष से कुछ पहले या एक वर्ष हुए लोक-सभा पटल पर रखे गये थे। यह प्रश्न पूछा जाने के बाद से उन को क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ? मुझे पता नहीं कि मेरे माननीय मित्र उन नियमों का जिक्र कर रहे थे जो पहले के नियमों में संशोधन करने के लिये बनाये गये थे। जो भी हो, इन पट्टेदारों को छूट देने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**सरदार मजीठिया** : संभवतया मेरे मित्र को ग़लतफहमी है। यह कृषि भूमियां नहीं हैं। यह छावनियों के असैनिक क्षेत्रों की जमीनें हैं जिन पर भवन बने हैं।

†**श्री रंगा** : लेकिन तब भी।

†**सरदार मजीठिया** : इन भूमियों के लिये हम ने पुराने पट्टों के स्थान पर नये पट्टे देने का निश्चय किया है--और दो भिन्न प्रकार के मामलों में जिन में से एक असैनिक क्षेत्र के हैं और दूसरे सैनिक क्षेत्र के हमें काफी चर्चा करनी है। सैनिक क्षेत्र की जमीनों की भविष्य में सैनिक-आवश्यकताओं के लिये जरूरत पड़ेगी और उनके पट्टे असैनिक क्षेत्र की जमीनों के पट्टों से भिन्न प्रकार के होंगे। हमने यह आदेश जारी भी कर दिये हैं कि एग्जीक्यूटिव अफसर असैनिक क्षेत्र की भूमियों को उन लोगों को हस्तांतरित कर दें।

श्री स० चं० सामन्त : इस के बारे में प्राक्कलन समिति ने जो राय दी थी उस पर विचार किया गया है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार मजीठिया :** निश्चय ही उस पर विचार किया गया था और उसी की वजह से हम इस नीति पर चल रहे हैं ।

मध्य क्षेत्रीय परिषद्

+

†*९८९. { **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री वि० च० शुक्ल :** **श्री वाजपेयी :** }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य क्षेत्रीय परिषद् की दूसरी बैठक कब हुई थी; और

(ख) उसमें क्या निर्णय हुए ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) परिषद् की दूसरी बैठक ४ जनवरी, १९५८ को हुई थी ।

(ख) परिषद् के महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७]**

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या मंत्रालय ने क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में होने वाले निर्णयों की क्रियान्विति के लिये कोई व्यवस्था की है, और यदि हां, तो किस प्रकार की ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) :** परिषदों में निर्णय सदस्यों की सर्व-सम्मति से किये जाते हैं । वहां बहुमत की शक्ति से कोई निर्णय नहीं होता, और जब संबंधित राज्यों के सदस्य या सरकारें किसी व्यवस्था के लिये राजी हो जाती हैं तो वह उसे क्रियान्वित भी करती हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** विवरण में कहा गया है : "परिषद् ने राज्य पुनर्गठन आयोग की इस सिफारिश पर विचार किया कि उच्च न्यायालय के एक-तिहाई न्यायाधीशों की नियुक्ति किसी राज्य के बाहर के व्यक्तियों में से की जानी चाहिये ।" क्या इस विषय पर केवल विचार ही हुआ था या कुछ निर्णय भी किया गया था, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** आप उसे निर्णय भी कह सकते हैं और राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश का सामान्य अनुमोदन भी । विचार यह था कि किसी क्षेत्र में उच्च न्यायालयों में अन्य राज्यों के न्यायाधीशों को रखना वांछनीय होगा ।

†**श्री वाजपेयी :** क्या दोनों राज्यों की सीमा पर सक्रिय डाकुओं के खिलाफ़ संयुक्त कार्यवाही आरम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा हुई थी, और यदि हां, तो उसका क्या फल निकला ?

†**पंडित गो० ब० पन्त :** यह राज्य डाकुओं और उनकी लूट-खसोट से छुटकारा पाने के लिये जोरदार कार्यवाही करने को राजी हो गये ।

†**श्री महन्ती :** क्या इस बैठक में अन्तर्क्षेत्रीय पुलिस दल बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था, और यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस आलोचना की ओर आकृष्ट किया गया है कि अन्तर्क्षेत्रीय पुलिस दल बनाना राज्यों के स्वशासन के अधिकार पर और आघात करना है ? यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†मूल अंग्रेजी में

†पंडित गो० ब० पन्त : इस में इतने सारे "यदि हां" हैं कि मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं। ऐसा लगता है कि एक ही में तीन या चार प्रश्न पूछे गये हैं।

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जिसका चाहें उत्तर दे दें।

†पंडित गो० ब० पन्त : मैं उन में से एक भी नहीं समझ पाया हूं।

†अध्यक्ष महोदय : तब, श्री त्यागी।

मंत्री महोदय क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं—क्या वह बतायेंगे कि क्या इसकी कार्यवाही प्रकाशित नहीं होती ?

†पंडित गो० ब० पन्त : इन्हें केवल सम्बन्धित राज्य सरकारों को ही भेजा जाता है।

†अध्यक्ष महोदय : यदि यह प्रकाशित होती है तब तो यहां भी माननीय सदस्यों को उपलब्ध होनी चाहिये।

†पंडित गो० ब० पन्त : जी, अभी तक तो हम ने इन्हें इस प्रकार प्रकाशित करने के बारे में सोचा नहीं है लेकिन हम इस सुझाव पर विचार करेंगे।

†श्री त्यागी : क्या क्षेत्रीय परिषदों के निर्णय अपने आप में अन्तिम होते हैं या केन्द्रीय सरकार उन पर अन्तिम आदेश देती है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : नियमतः, यह अपने आप में अन्तिम होते हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध मुख्यतः राज्य के विषयों से होता है और ऐसा शायद ही कभी होता हो कि इनका सम्बन्ध केन्द्र के विषयों से होता हो।

†श्री महन्ती : क्या इस क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में अन्तर्क्षेत्रीय पुलिस दल बनाने का निश्चय किया गया था, और यदि हां,.....

†अध्यक्ष महोदय : 'यदि हां' का कोई प्रश्न नहीं है।

†पंडित गो० ब० पन्त : यह निश्चय किया गया था कि एक क्षेत्र में शामिल विभिन्न राज्यों के लिये एक समान सुरक्षित पुलिस दल बनाने के प्रश्न पर विचार किया जाये, और इस प्रश्न की जांच के लिये मुख्यतः संबंधित राज्यों के इंस्पेक्टर जनरलों की समितियां बना दी गयी थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष

+

*९९०. { श्री नौशीर भरूचा :
श्री घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के दौरान में अर्जित वैज्ञानिक परिणामों तथा ज्ञान के संग्रहण के लिये किये गये प्रबन्धों के अधीन भारत को ब्रह्माण्ड किरणों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त होने की अथवा फैलाने की आशा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : जी, हां ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : क्या अमेरिका अथवा रूस के, किसी भी देश के भू-उपग्रह द्वारा एकत्रित जानकारी के आदान-प्रदान के लिये कोई समय-सीमा नियत की गई है ?

†**श्री म० मो० दास** : कोई समय-सीमा नियत नहीं की गई है परन्तु मेरे विचार में ३१ दिसम्बर, १९५८ को भू-भौतिकीय वर्ष की समाप्ति पर जो देश यथा समय यह जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं इन्हें यह भेज दी जायगी ।

†**श्री घोषाल** : क्या राष्ट्रमंडलीय दल में सम्मिलित होने के लिये हमारे किसी वैज्ञानिक को भी आमंत्रित किया गया था ?

†**श्री म० मो० दास** : राष्ट्रमंडलीय दल कोई नहीं है । अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष सम्बन्धी गतिविधियों में संसार के ७० देश भाग ले रहे हैं ।

अफीम का मूल्य

†९९१. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अफीम की खेती करने वाले किसानों को एक सेर अफीम के केवल ३३ रुपये दिये जाते हैं जब कि राज्य सरकार शुद्ध की हुई अफीम को ७२० रुपये प्रति सेर के हिसाब से बेचती है ; और

(ख) यदि हां, तो कच्ची और शुद्ध अफीम के मूल्यों में इतना अन्तर रखने के क्या कारण हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां । केन्द्रीय सरकार ३३ रुपये प्रति सेर की दर से पोस्त की खेती करने वालों से कच्ची अफीम खरीदती है, किन्तु राज्य सरकारें इससे अधिक मूल्यों पर—जो अलग अलग राज्य में अलग अलग हैं—साफ की हुई अफीम बेचती हैं ।

(ख) अफीम की खरीद और बिक्री के मूल्यों का अन्तर अफीम पर लगे उस उत्पादन-शुल्क का सूचक है जो राज्य सरकारों के राजस्व का एक वैध साधन है ।

(इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

†**डा० राम सुभग सिंह**: क्या यह सच है कि आसाम तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारें आसाम तथा पश्चिमी बंगाल में २,००० रुपये तथा १,५०० रुपये प्रति सेर के दर से अफीम बेचती हैं ? और जैसा कि माननीय उपमंत्री ने कहा है, केन्द्रीय सरकार को काश्तकारों से अफीम खरीदने का एकाधिकार है और वह केवल ३३ रुपये प्रति सेर की दर से अफीम खरीदती है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह सच है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से लागत मूल्य तथा कुछ और कीमत दे कर किसी मूल्य पर अफ़ीम प्राप्त करती हैं और इसे उच्च दर पर बेचती हैं । परन्तु जहां तक हमें जानकारी है प्रत्येक राज्य में विक्रय मूल्य ३०० रुपये से ८०० रुपये प्रति सेर के बीच भिन्न भिन्न हैं । मुझे २,००० रुपये के मूल्य की बातें मालूम नहीं हैं ।

†**श्री रंगा** : आप किसानों को जो दाम देते हैं वह उस से अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि वे उत्पादन शुल्क लेते हैं और उत्पादन शुल्क २५० रुपये प्रति सेर है और केन्द्रीय सरकार काश्तकार को इस ३३ रुपये प्रति सेर की दर से दाम देती है, जब कि जो दाम लिये जाते हैं . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तर्क कर रहे हैं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उन्होंने कहा था "कुछ और" । क्या मैं जान सकता हूं कि वह "कुछ और" क्या है जो उपभोक्ताओं से लिया जाता है और उत्पादकों को नहीं दिया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्पादन शुल्कों के अतिरिक्त कुछ भी और ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अफ़ीम के सम्बन्ध में नीति का निर्णय किसी अन्य सामान्य पदार्थ के रूप में नहीं किया जा सकता है । हम अफ़ीम के उपभोग को खत्म करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । वास्तव में एक अन्तर्राष्ट्रीय करार के अनुसार औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर अन्य सभी प्रयोजनों के लिये ३१ मार्च, १९५९ तक अफीम की सभी प्रकार की खेती बन्द कर दी जायेगी । इसलिये उपभोग पर नियन्त्रण के लिये तथा राज्यों द्वारा रुपया कमाने के लिये भी इसके लिये वे उच्च मूल्य लेते हैं । इस मूल्य का उत्पादन के मूल्य से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह उस से बिल्कुल स्वतंत्र है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

छोटी कोयला खानों का एकीकरण

†*९९२. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी कोयला खानों के एकीकरण से संबंधित विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन के ब्यौरे की जांच करने का कार्य किस चरण पर है ; और

(ख) सिफारिशों के सम्बन्ध में कार्यवाही कब की जायेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) तथा (ख). अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकार को एक वर्ष से भी अधिक समय पहले प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था और उसने लगभग तीन मास पहले यह बात कही थी कि उन्होंने समिति की सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर ली हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि कोयला खानों के इस एकीकरण के लिये कार्यवाही करने में रुकावट क्या है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : क्षेत्र की सीमा कितनी होनी चाहिये, किसी विशिष्ट इकाई में मासिक उत्पादन कितना होना चाहिये और इस सम्बन्ध में जो निर्णय किये जायेंगे उन्हें तय करने के लिये वास्तव में क्या प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये, ऐसे ही ब्यौरे को तय किया जा रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : समिति ने यह सिफारिश की थी कि जिन कोयला खानों में एक मास में १०,००० टन से कम उत्पादन होता है और जिनका खनन पट्टा १०० एकड़ से कम है उन

---

†मूल अंग्रेजी में

सभी खानों का एकीकरण किया जाना चाहिये। क्या मैं मंत्री महोदय के उत्तर से यह समझूं कि सरकार ने विशेषज्ञ समिति की इस विशिष्ट सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे विचार में माननीय सदस्य को इस धारणा का हक है कि इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है कि उस में जो सीमा दी गई है क्या वह सरकार को स्वीकार्य है या नहीं है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : समिति ने इस एकीकरण का कार्य शीघ्रता से पूरा करने के लिये एक एकीकरण समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया था। जब तक इस सम्बन्ध में कोई विधान अधिनियमित किया जाता तब तक के लिये वह विशिष्ट समिति नियुक्त की गई है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वास्तव में वह एक आयोग होगा जो निर्णयों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद उन की कार्यान्विति के लिये गठित किया जायगा। यदि क्षेत्र अथवा उत्पादन सीमा किसी के भी सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया जाता तो आयोग कार्य करना प्रारम्भ नहीं कर सकता है।

†**श्री तंगामणि**: विशेषज्ञ समिति द्वारा बहुत पहले नवम्बर, १९५६ में सिफारिशें की गई थीं। क्या इन छोटी कोयला खानों के एकीकरण के लिये कम से कम किसी एक या दो विशिष्ट क्षेत्रों के सम्बन्ध में कोई विचार किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : वास्तव में, इन में से अधिकांश क्षेत्र बंगाल-बिहार क्षेत्र में हैं, और हम यह कार्य एक क्षेत्र तक सीमित नहीं कर सकते हैं। कोई एसा निर्णय करना होगा जिसे सभी जगह लागू किया जा सके।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इस सम्बन्ध में कब तक स्थायी निर्णय किये जाने की संभावना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस में कुछ समय लगेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : वह 'कुछ समय' कितना है ?

†**श्री तंगामणि** : लगभग ढाई वर्ष बीत चुके हैं।

हिन्दी का नया व्याकरण

†*९९३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण भारत में उस स्थिति का सामना करने के लिये जिसमें हिन्दी एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में कार्य कर सके, एक नया व्याकरण तैयार करने के सम्बन्ध में कोई मांग की गई है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: जी हां।

श्री रघुनाथ सिंह : साउथ इंडिया के लोग हिन्दी भाषा को सीख सकें, इसलिये व्याकरण के सम्बन्ध में क्या संशोधन का विचार हो रहा है, जैसा कि "न" का प्रयोग है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न विचाराधीन रहा है। वास्तव में, सुझाव दिये जाने से पहिले ही मंत्रालय द्वारा एक बुनियादी व्याकरण तैयार करने का कार्य संभाला गया है। इस महीने में वह व्याकरण छप जायगी और मुझे विश्वास है कि वह दक्षिण भारत के लोगों के लिये लाभदायिक सिद्ध होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री त्यागी : क्या वाक्यों के विषय में लिंग परिवर्तन के साथ साथ क्रिया, विशेषण, क्रिया-विशेषण इत्यादि को रूप भ्रष्ट होने से रोकने के लिये भी मंत्रालय द्वारा विचार किया जा रहा है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह नयी व्याकरण छप जायगी तब माननीय सदस्यों का पूर्ण रूप से सन्तोष हो जायगा। आखिर यह मामला विशेषज्ञों के लिये है।

†श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं....

†अध्यक्ष महोदय : क्या हम सूत्रों की विवेचना कर रहे हैं ?

†श्री म० ला० द्विवेदी : मैं विवचना नहीं कर रहा हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि इस पुस्तक को लिखने के लिये क्या किसी व्यक्ति को मुकर्रर किया गया है या कोई समिति मुकर्रर की गई हैं यदि हां, तो उस व्यक्ति का क्या नाम है अथवा समिति के कौन कौन सदस्य हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : डा० आर्येन्द्र शर्मा, जो उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद में संस्कृत के प्रोफैसर हैं। उन्होंने एक शब्दकोष तैयार किया है। और एक समिति है जिसमें डा० आर्येन्द्र शर्मा, डा० सुनीति कुमार चटर्जी, डा० बाबू राम सक्सेना, श्री एम० सत्यनारायण तथा श्री जी० पी० नाने हैं।

†श्री त्यागी : दक्षिण से कोई नहीं है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली: श्री एम० सत्यनारायण दक्षिण से हैं। हैदराबाद से डा० आर्येन्द्र शर्मा स्वयं दक्षिण से हैं और डा० सुनीति कुमार चटर्जी बंगाल से हैं। यह बहुत अच्छी समिति है।

†श्री तिरुमल राव : क्या सरकार को मालूम है कि व्याकरण के वर्तमान स्वरूप से दक्षिण में हिन्दी सीखने वालों को लिंग के सम्बन्ध में विशेष रूप से कठिनाई होती है क्योंकि हिन्दी में केवल पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग हैं, जब कि अन्य भाषाओं में नपुंसक लिंग भी होता है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : इस विशेषज्ञ समिति द्वारा इन सभी मामलों पर विचार किया गया था और इस महीने में इस पुस्तक के छपने की आशा है। तब तक सदन को प्रतीक्षा करनी चाहिये।

†श्री सूपकार : स, श, ष, इन तीन प्रकार के 'श' के सम्बन्ध में क्या होगा ?

†श्री तंगामणि : क्या यह व्याकरण समस्त दक्षिण के लिये है या यह हिन्दी भाषा भाषी तथा अहिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों के लिये है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मुख्यत: यह अहिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लिये है।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार ने व्याकरण तथा शब्दावली, दोनों के सम्बन्ध में एक प्रकार की बुनियादी हिन्दी की रचना करने की दिशा में कोई प्रगति की है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी, हां। कुछ कार्यवाहियां की गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह आधारभूत व्याकरण पाणिणी पर आधारित किया गया है या इस से विभिन्न है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जहां तक मुझे मालूम है पाणिणी संस्कृत का वैयाकरण था और उसने संस्कृत व्याकरण लिखा था। उस ने कोई हिन्दी व्याकरण नहीं लिखा था।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं व्याकरण की बात कर रहा हूं। उसने संस्कृत व्याकरण लिखी होगी। परन्तु मैं वर्तमान व्याकरण की बात कर रहा हूं।

उड़ीसा में तम्बाकू की फसल

†*९९४. **श्री प्र० के० देव :**
श्री संगण्णा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उड़ीसा में तम्बाकू के उत्पादन शुल्क से संबंधित पुरानी बकाया रकमों को बड़े खाते में डालने के लिये सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : जी नहीं।

चम्बा-बेनीखेत सड़क

*९९६. **श्री पद्म देव : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में परेल के निकट चम्बा-बेनीखेत सड़क की मरम्मत पर १९४८ से १९५७ तक कुल कितना व्यय हुआ ;

(ख) क्या सरकार चम्बा को इस अस्थायी मार्ग के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग के जरिये मिलाना चाहती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) लगभग एक लाख रुपये।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पद्म देव : क्या मैं जान सकता हूं कि चूंकि साल में तकरीबन सात-आठ महीने यह रास्ता बन्द रहता है और कितने ही गांव इस सड़क के कारण कुछ अर्से के बाद गिर जायेंगे, अभी तक कोई ऐसी योजना बनाई गई है जिस से इनको यहां से तबदील करके दूसरी जगह ले जाया जा सके ?

†**श्री दातार** : लगभग हर वर्ष भूमि के कट कर गिरने से जो कठिनाइयां होती हैं वे सरकार को मालूम हैं और यही कारण है कि सरकार के सामने दो प्रस्ताव क्यों हैं। एक प्रस्ताव वर्तमान सड़क से ऊंचाई पर एक सड़क निर्मित करने के सम्बन्ध में है और दूसरा प्रस्ताव एक पुल निर्मित करने तथा नदी के पार एक सड़क ले जाने के लिये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद्

+

†*९९७. { श्री बाजपेयी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री हेम बरुआ :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् की हाल ही में तीसरी बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो किन बातों पर विचार किया गया था ; और

(ग) क्या निर्णय किये गये थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) २ मार्च, १९५८ को परिषद् की तीसरी बैठक हुई थी ।

(ख) लोक-सभा पटल पर बैठक की कार्यवलि की एक प्रति रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]** क्षेत्र के लिये एक सामान्य रक्षित पुलिस बल रखने के प्रश्न पर भी परिषद् ने विचार किया था ।

(ग) क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय से अभी तक कार्यवाही का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है । यथा-सम्भव शीघ्र ही सभा-पटल पर परिषद् द्वारा किये गए महत्वपूर्ण निर्णयों का सारांश रख दिया जायेगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या क्षेत्रीय आधार पर जन शक्ति संग्रह की स्थापना के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव पर पंजाब की पुलिस के इंसपैक्टर जनरल को विचार करने का अधिकार है, और यदि हां, तो वह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : देश की जन शक्ति स्थिति से पुलिस के इंसपैक्टर जनरल का क्या सम्बन्ध है । यह मुझे मालूम नहीं है । मुझे मालूम नहीं है कि इन दोनों के बीच क्या सम्बन्ध है ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं क्षेत्रीय पुलिस की ओर निर्देश कर रहा था ।

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जहां तक क्षेत्रीय पुलिस का सम्बन्ध है न केवल पंजाब के इंस्पैक्टर जनरल बल्कि क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी राज्यों के इन्सपैक्टरस-जनरल को इस प्रश्न पर विचार करने तथा क्षेत्रीय परिषद् को अपनी सलाह देने के लिये कहा गया है, जिस पर परिषद् क अगली बैठक में विचार किया जायेगा ।

श्री हेम राज : पिछली ज़ोनल काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला हुआ था कि पशमीने का जो एक्सपोर्ट होता है, उसका कुछ हिस्सा देहाती इंडस्ट्री के लिये रख लिया जाए और बाकी एक्सपोर्ट होने दिया जाए । इसके लिये काश्मीर, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के लिये जुदा जुदा कोटे मुकर्रर किये गये थे । मैं जानना चाहता हूं यह जो फैसला हुआ था, इसको कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

पंडित गो० ब० पन्त : जिन स्टेट्स का ताल्लूक है वे कोशिश कर रही हैं उसके मुताबिक अमल करने की।

श्री हेम राज : अगर वे उस पर अमल न करें, तो फिर उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी?

पंडित गो० ब० पन्त : अभी तक तो वे कर रही हैं। पहले से यह समझ लेना मुनासिब नहीं है कि वे नहीं करेंगी। इस तरह से समझ लेना तो यह कहना होगा कि तुम मत करो।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस क्षेत्रीय परिषद् की कार्यवाही का ब्यौरा लेकर गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व किस राज्य पर है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : कार्यवाही का रेकार्ड रखा जाता है और वह गृह मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। इन परिषदों की बैठकों में गृह मंत्री सदा उपस्थित रहते हैं और वह इन कार्यवाहियों के बारे में व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं।

श्री पद्म देव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या काउंसिल के अन्दर चम्बा में चावल न जाने की रुकावट पर भी क्या कभी विचार किया गया है ?

पंडित गो० ब० पन्त : वहां पर खास तौर पर चम्बा में चावल की दिक्कत के बारे में शायद गौर नहीं हुआ है। पर चम्बा में चावल के जाने में रुकावट है, यह सही बात है, क्योंकि रास्ते आसानी से चावल को ले जाने के चम्बल को नहीं हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा सुझाव है कि ये प्रश्न केवल उन्हीं राज्यों में पूछे जायें जो इन क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य हैं। केवल गृह-मंत्री के इनमें भाग लेने से क्या यह उचित है कि हम क्षेत्रीय परिषदों के ब्यौरे की चर्चा करें ?

†**एक माननीय सदस्य** : यह अन्तर्राज्यिक विषय है।

†**श्री तंगामणि** : इनसे कई राज्य सम्बद्ध हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इससे सहमत हूं किन्तु भारत के सब राज्य अथवा केन्द्र तो इनसे सम्बन्धित नहीं हैं।

†**कुछ माननीय सदस्य** : अनेक राज्य सम्बन्धित हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : चार या पांच क्षेत्रीय परिषदें हैं। और प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद् से कुछ राज्य सम्बन्धित हैं। गृह-मंत्री उनके मार्ग दर्शन के लिये वहां जाते हैं। लेकिन किसी आधार पर क्या हम यहां इनकी चर्चा कर सकते हैं। क्या इस सभा को इतनी शक्ति प्राप्त है कि हम चम्बा में चावल की स्थिति और उसके निर्यात आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करें ? क्या हम संघ सूची में वृद्धि कर रहे हैं। मैं इन सब प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : किसी राज्य विशेष में इन प्रश्नों की चर्चा नहीं की जा सकती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उसकी चर्चा की जा सकती है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी** : क्षेत्रीय परिषद् में होने वाली चर्चा एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में सभा को प्रश्न पूछने का अधिकार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : सभा को यह अधिकार नहीं है। यह तब हो सकता है जब यह उस क्षेत्र से सम्बन्धित हो जिस पर सभा का क्षेत्राधिकार है, उदाहरणार्थ, हिमाचल प्रदेश।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है यह बात समझी जा सकती है। किन्तु अन्य क्षेत्रीय परिषदों का उदाहरण लीजिये। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् है। इस स्थिति में सम्बद्ध राज्यों के विधान मण्डलों में चर्चा की जा सकती है। केवल एक मंत्री यहां से चला जाये तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इन विषयों पर हमारा क्षेत्राधिकार हो जाता है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ये प्रश्न अन्तर्राज्यिक महत्व के हैं।

†अध्यक्ष महोदय : किन्तु ये केन्द्र से सम्बन्धित नहीं हैं। इस विषय में राजस्थान और पंजाब का केन्द्र से सम्बन्ध नहीं है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : यह प्रश्न अन्तर्राज्यिक है। अन्तर्राज्यिक विषयों पर केवल यहां ही चर्चा हो सकती है। उन पर किसी राज्य विशेष में चर्चा नहीं हो सकती है।

†अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री पद्म देव : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सेंटर के अधीन है।

अध्यक्ष महोदय : वह ठीक है लेकिन अब यह प्रश्न समाप्त होना चाहिये। मैं और अधिक सप्लीमेंटरीज़ एलाऊ नहीं करूंगा।

†मैं इस अन्तर्राज्यिक मामले पर विचार करूंगा और देखूंगा कि इस विषय पर हमारा क्षेत्राधिकार कहां तक है।

केरल शिक्षा विधेयक

\+

†*९९८. { श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वि० चं० शुक्ल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेडा :
श्री वारियर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री वाजपेयी :
श्री वोडयार : }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल शिक्षा विधेयक, १९५७ राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार को कब मिला था ; और

(ख) इस विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) विधेयक ४ अक्तूबर, १९५७ को प्राप्त हुआ था ।

(ख) इसे उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया है ।

†श्री वासुदेवन् नायर : तथ्य अथवा विधि के किन मामलों के सम्बन्ध में इसे उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : कुछ बातों के सम्बन्ध में वह संविधान का उल्लंघन करता प्रतीत होता है और इन के सम्बन्ध में विधि मंत्रालय तथा महान्यायवादी सहमत हैं कि विधेयक के कुछ खण्ड संविधान के कुछ खण्डों के विरुद्ध हैं । अतः राष्ट्रपति की अनुमति रोक लेने की अपेक्षा इसे उच्चतम न्यायालय के पास भेजना वांछनीय समझा गया ।

†श्री वासुदेवन् नायर : कुछ महीने पहले प्रधान मंत्री ने एक पत्रकार-सम्मेलन में बताया था कि किन्हीं नागरिकों द्वारा भावी मुकदमे बाजी से बचने के लिये इसे उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जा रहा है । क्या यह सच नहीं है कि इस के पश्चात् भी नागरिक इस की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं ?

†पंडित गो० ब० पन्त : नागरिक ऐसा कर सकते हैं अथवा नहीं यह अलग बात है । हमें इस विषय पर विचार करना था कि कानूनी विशेषज्ञों की राय के अनुसार यह विधेयक संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध था इस स्थिति में क्या राष्ट्रपति को इस पर अनुमति देनी चाहिये । यह जानते हुए कि विधेयक संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध है वह इस पर अपनी अनुमति दे सकते हैं । इस विषय पर अन्तिम निर्णय करने के पूर्व उच्चतम न्यायालय की राय लेना उपयुक्त समझा गया । यह संबंधित राज्य सरकार के लिये परित्राण है ।

†श्री ईश्वर अय्यर : आंध्र शिक्षा विधेयक में भी उसी प्रकार के उपबन्ध थे फिर उसे उच्चतम न्यायालय की विशेषज्ञ राय के लिये क्यों नहीं भेजा गया ।

†पंडित गो० ब० पन्त : मुझे नहीं मालूम कि आंध्र विधेयक और इस में समानता है । कदाचित् ऐसा नहीं है ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच है कि विधेयक के मसौदे और उस के ब्यौरे के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय और केरल सरकार में चर्चा हो गई थी और केरल विधान मण्डल द्वारा पारित इस विधेयक और मसौदे में कोई अन्तर नहीं है ? यदि हां, तो इसे उच्चतम न्यायालय की राय के लिये भेजने की बुद्धिमानी सरकार में इतनी देर से उदित हुई ?

†पंडित गो० ब० पन्त : कदाचित् शिक्षा मंत्रालय में चर्चा हुई थी और केन्द्रीय सरकार तथा केरल सरकार में पत्र-व्यवहार भी हुआ था । किन्तु चर्चा अथवा पत्र-व्यवहार के दौरान में उठाई गई कुछ बातों का समाधान नहीं हुआ । शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय और महान्यायवादी द्वारा इस का परीक्षण कर लेने पर यह आवश्यक और उपयुक्त समझा गया कि इस विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय ली जाये । राष्ट्रपति को अनुमति सर्वथा रोक लेने का अधिकार है । किन्तु इस विशिष्ट मामले में यह अनुभव किया गया कि दूसरी ओर से प्राप्त होने वाली सलाह को अन्तिम मान कर अनुमति सर्वथा रोक लेने के बजाय उच्चतम न्यायालय के विचार जानने की वांछनीयता अनुभव की गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार की सामान्यत: यह मंशा होती है कि प्रगतिशील और जो अनिवार्य रूप से विवाद ग्रस्त लक्षण वाले सामाजिक विधान होते हैं उन्हें उच्चतम न्यायालय की राय के लिये भेजा जाये ? यदि नहीं, तो केरल शिक्षा विधेयक के बारे में प्रत्यक्ष रूप से भेदभावपूर्ण मार्ग क्यों अपनाया गया है जो निहित हितों को प्रोत्साहन प्रदान करता है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह काल्पनिक प्रश्न है । इस का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि विधेयक के कुछ उपबन्ध संविधान के कुछ उपबन्धों का उल्लंघन करते हैं । इसी आधार पर इसे भेजा गया है । इस में कोई लांछन नहीं है । प्रश्न में इस प्रकार का आरोप है कि सम्पूर्ण प्रगतिवादी विधान कर दिया गया है और सदस्य मंत्री महोदय से यह कहलाना चाहते हैं कि वह प्रगतिशील मंत्री नहीं हैं ।

†श्री जीनचन्द्रन् : क्या शिक्षा मंत्री ने इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय के पास भेजने के सुझाव का स्वागत किया था और बाद में कम्यूनिस्ट पार्टी के जोर देने पर इसे वापिस ले लिया ?

†पंडित गो० ब० पन्त : मुझे यह मालूम नहीं है ।

†श्री तंगामणि : क्या विभिन्न विधान मण्डलों द्वारा पारित विधेयक इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय के पास १९५७ में भेजे गये थे ?

†पंडित गो० ब० पन्त : मुझे केरल सरकार से अनेक विधेयक प्राप्त हुए हैं और इन पर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है और कई बार अनुमति की यह सूचना तार द्वारा केरल सरकार के पास भेजी गई है ।

†श्री तंगामणि : मेरा प्रश्न भिन्न है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या अन्य राज्यों से प्राप्त किसी विधेयक को उच्चतम न्यायालय की राय के लिये भेजा गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को इस में रूचि थी । अत: इतने प्रश्नों की अनुमति दी गई । किन्तु माननीय सदस्यों को सुसंगत प्रश्न पूछने चाहियें । जब तक कोई मत वैभिन्य नहीं हो, कोई उपबन्ध विशेष संविधान का उल्लंघन करते हों, तब तक इसे भेजने की क्या आवश्यकता है ?

क्या आप ने कोई अन्य विधेयक भेजा है ! 'क' को गिरफ्तार क्यों किया गया ? क्योंकि उस ने चोरी की थी । यदि और व्यक्तियों ने चोरी नहीं की तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ! ३६ करोड़ लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ! यह सब प्रश्न क्यों उत्पन्न हुए ? माननीय सदस्य वकालत करते हैं किन्तु यहां प्रश्न पूछते समय सुसंगति की कसौटी को विस्मृत कर देते हैं ।

†श्री ही० ना० मुकर्जी : सुसंगति इस प्रकार है कि . . . . .

†श्री तंगामणि : यह पूर्णत: संगत है । १९५७ में राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयक को उच्चतम न्यायालय की राय के लिये भेजा जा रहा है । जानकारी की दृष्टि से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किसी अन्य राज्य के विधेयक को उसी प्रकार इस अवधि में उच्चतम न्यायालय की राय के लिये भेजा गया है ।

†अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है कि इस प्रकार कोई विधेयक नहीं भेजा गया है ।

†श्री वें० प० नायर: : यह स्पष्ट किस प्रकार है ?

†अध्यक्ष महोदय : क्योंकि मंत्री महोदय ने इस का उत्तर नहीं दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायरः** : यह स्पष्ट किस प्रकार है ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : जहां तक हमें स्मरण है यह पहला अवसर है कि किसी विधान विशेष पर, उस के विवादग्रस्त होने की स्थिति में, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पहले ही और भविष्य में मुकदमेबाजी की संभावना की स्थिति में, उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया है। यदि ऐसा ही है तो विवादग्रस्त विधान—कम से कम सरकार की दृष्टि में—के बारे में ऐसा कदम उठाने की सरकार की मंशा सामान्यतः यही है। अन्यथा यह भेदजनक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री मुकर्जी यह भूल गये हैं कि यदि माननीय मंत्री ने उस आशय का संकेत प्रकट किया होता या ऐसा सन्देह व्यक्त किया होता कि यह विधेयक विवादास्पद है अथवा कम्यूनिस्ट सरकार से प्राप्त हुआ है अतः वह भेदभाव बरत रहे हैं तो मैं माननीय सदस्य को चर्चा के अवसर की अनुमति देता। किन्तु मंत्री महोदय ने निश्चित रूप से कहा है कि विधेयक संविधान के कुछ उपबन्धों के विरुद्ध है और एकमात्र इसी आधार पर इसे उच्चतम न्यायालय के पास भेजा गया है। फिर यह दूसरी बात किस प्रकार उत्पन्न होती है कि क्या आप प्रगतिशील विधान व्यवस्था के विरोधी हैं ?

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने पर्याप्त अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दे दी है। दूसरा प्रश्न।

मतदाताओं के फोटो

†*१००१. **श्री घोषाल** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता-सूची में फोटो लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया गया है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : (क) मतदाता सूची में फोटो लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी एक सुझाव रखा गया है कि यदि पंजीयन के समय मतदाताओं को फोटो वाले परिचय-पत्रक दे दिये जायें जिन्हें वे मतदान के समय दिखा दें तो इस से एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति के मतदान की कदापि सम्भावना नहीं रहेगी। चुनाव आयोग के परामर्श से इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) अभी नहीं।

†**श्री घोषाल** : क्या यह सच है कि कलकत्ता में पश्चिमी बंगाल के कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदाताओं के फोटो उतारे गये थे ?

†**श्री हजारनवीस** : मुझे इस बात का कोई ज्ञान नहीं है।

†**श्री रंगा** : यह सुझाव किस ने दिये थे और वित्त इत्यादि के सम्बन्ध में आने वाली स्पष्ट कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस सुझाव पर विचार करना क्यों उचित समझा ?

†**श्री हजारनवीस** : उन सब कठिनाइयों पर, जो सुझाव के क्रियान्वित करने में आयेंगी, चुनाव आयोग विचार कर रहा है।

---

† मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। यह सुझाव किस ने दिया और सरकार ने इस को इतना महत्व क्यों दिया ?

†श्री हजारनवीस: सुझाव पश्चिमी बंगाल सरकार से प्राप्त हुआ था।

†श्री विमल घोष : प्रस्ताव ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चुनाव के बारे में है या केवल शहरी क्षेत्रों में चुनाव के बारे में ?

†श्री हजारनवीस : औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों से शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कुछ शिकायतें ग्रामीण क्षेत्रों से भी प्राप्त हुई थीं।

†श्री जयपाल सिंह : क्या सरकार ने कोई ऐसे उपाय किये हैं जिन से उन व्यक्तियों को जो फोटो योग्य नहीं हैं, इस फोटोग्राफी की व्यवस्था से मुक्ति मिल सके ?

†श्री हजारनवीस : मैं प्रश्न समझ नहीं सका।

†अध्यक्ष महोदय : कुछ व्यक्ति फोटो उतरवाने के खिलाफ हो सकते हैं।

†श्री जयपाल सिंह : मंत्री महोदय ने कहा कि इस से पररूप-धारण समाप्त हो जायेगा। मैं विनम्रता से सुझाव देता हूं कि कुछ व्यक्ति फोटो योग्य होते हैं, अन्य नहीं। उन व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या होगा जो फोटो योग्य नहीं हैं ?

†श्री हजारनवीस : प्रश्न के उस भाग पर भी विचार किया जायेगा ?

†श्री हेडा : क्या पश्चिमी बंगाल सरकार ने, जिस ने यह सुझाव दिया है, खर्चे के कुछ भाग को सहन करना स्वीकार कर लिया है ; यदि हां, तो किस अनुपात में वह खर्चा वहन करेगी ?

†श्री हजारनवीस : उन्हों ने खर्चे के एक भाग को वहन करने की अपनी इच्छा प्रकट की है।

†श्री त्यागी : परिचय-पत्रक बनाने के प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने के बाद, क्या सरकार का मतदाताओं की नियमित सूची को हटाने का विचार है क्योंकि फिर उस की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

†श्री हजारनवीस : नाम के साथ, फोटोग्राफ और अन्य विवरण भी दिये जायेंगे।

राज्यों को ऋणों का एकीकरण

+

*†१००२. { श्री विमल घोष :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री पाणिग्रही :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहले तो सरकार ने राज्य सरकारों को सूचित कर दिया कि उस ने ऋणों के अभिनवीकरण और एकीकरण के सम्बन्ध में द्वितीय वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और फिर बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा भगत)** : (क) और (ख). जैसा कि १२ दिसम्बर, १९५७ को वित्त मंत्री ने संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक और सम्पदा शुल्क और रेलवे यात्री किरायों पर कर (वितरण) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अपने भाषण में बताया था, इस सिफारिश पर अग्रेतर विचार करने की आवश्यकता महसूस हुई । १४ मार्च को सभा पटल पर रखे गये विवरण में इस विषय पर सरकार के अन्तिम निर्णय दिये गये हैं ।

†**श्री विमल घोष:** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया हैं मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार ने पहले प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में राज्य सरकारों को सूचना दे दी थी और तदुपरान्त अपने पहले आदेश को रद्द कर दिया ?

†**श्री ब० रा भगत :** १२ दिसम्बर, १९५७ के वित्त मंत्री के भाषण में इस का भी निर्देश किया गया था ।

†**श्री विमल घोष :** वित्त मंत्री महोदय ने कहा था कि इस पर विचार किया जायेगा । मैं ने पूछा है कि क्या सरकार ने वास्तव में प्रस्ताव को स्वीकार करने के बारे में राज्य सरकारों को सूचना दे दी थी ।

†**श्री ब० रा० भगत:** यह सच है कि सरकार ने पहले सिफारिश स्वीकार कर ली थी । परन्तु बाद में वित्त मंत्री महोदय ने अनुभव किया कि इस की अग्रेतर पड़ताल की आवश्यकता है और सरकार की अनुमति पर उन्हों ने सभा में वक्तव्य दिया । यह जानकारी है, जो सभा को पहले ही बताई जा चुकी है ।

†**श्री विमल घोष** : क्योंकि अब यह स्वीकार किया गया है कि पहले सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया था, क्या मैं जान सकता हूं कि बाद में किन कारणों से इसे रद्द करने की आवश्यकता हुई ?

†**श्री ब० रा० भगत :** १२ दिसम्बर को वित्त मंत्री यह पहले ही कह चुके हैं कि इस से निकट भविष्य में और तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में भी राज्यों को मूल आवश्यकताओं के लिये धन देने के बारे में केन्द्र की सामर्थ्य पर भयंकर संकट उत्पन्न हो जाता । इस ओर पुनर्भुगतान के निबन्धनों के निर्धारित करने की विशेष समस्या के कारण इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हुई ।

†**श्री पाणिग्रही :** क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को इस विषय पर पुनः विचार करने के लिये कहा है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इस विषय के सम्बन्ध में नई प्रस्थापनाओं—जो १४ मार्च को सभा-पटल पर रखी गईं—का निर्णय योजना आयोग से परामर्श करने के बाद किया गया है ; और राज्य सरकारों को इन प्रस्थापनाओं के बारे में सूचना दे दी गई है । अभी भी समय है कि वे यदि कोई विचार रखना चाहें तो रख सकती हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह :** भारत सरकार द्वारा जारी की गयी एक प्रेस विज्ञप्ति से पता चलता है कि सरकार ने ऋणों के एकीकरण के बारे में सिफारिश समेत वित्त आयोग की सिफारिशें मान ली हैं और इस बारे में एक अन्तिम आदेश भी जारी किया गया था । तदुपरान्त, वह आदेश रद्द कर दिया गया । क्या मैं इन तीनों बातों की तारीख जान सकता हूं ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं तत्काल इन की तारीख नहीं बता सकता ।

†**श्री त्यागी** : विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धन राशि का ऋण दिया गया है ? क्या ऋण देने से पहले किसी राज्य सरकार की ऋण के पुनर्भुगतान की क्षमता की जांच कर ली जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बड़ा प्रश्न है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : इस प्रश्न पर पहले ही विचार हो चुका है । जैसा मैं ने कहा है, ३१ मार्च, १९५७ को केन्द्र द्वारा राज्यों को दिये गये ऋण में से ९०० करोड़ रुपये का ऋण बाकी था । इन दो वर्षों में भी अग्रेतर ऋण दिये गये हैं ।

†**श्री त्यागी** : क्या पुनर्भुगतान क्षमता जांची जाती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : समय समय पर उन की जांच होती होगी । माननीय सदस्य ऋणों के एकीकरण के बारे में इस छोटे से प्रश्न में यह सामान्य प्रश्न नहीं पूछ सकते । इन सब प्रश्नों को वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित मांगों पर उठाया जा सकता है । मैं माननीय सदस्य को अवसर दूंगा ।

†**श्री विमल घोषः** वित्त आयोग ने यह सिफारिश की थी कि राज्यों द्वारा लिये गये ऋण पर ब्याज की दर 'न हानि-न लाभ' के आधार पर निश्चित करनी चाहिये । क्या सरकार ने हाल ही के निश्चय पर पहुंचने में इस सिद्धान्त का पालन किया है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : १४ मार्च को दिये गये वक्तव्य में कही गई बातों को छोड़ कर वित्त आयोग की अन्य सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं । यह कहना ठीक नहीं है कि उन्हों ने यह सिफारिश की है कि ब्याज 'न हानि-न लाभ' के आधार पर होना चाहिये । उन्हों ने कहा है कि यद्यपि अन्य बातें भी हैं, उधार लेने की लागत के आधार पर ब्याज निश्चित करना चाहिये । परन्तु उन्हों ने कोई वर्गीकृत सिफारिश नहीं की है कि ब्याज बिल्कुल 'न हानि-न लाभ' के आधार पर होना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस को स्वीकार करना और न करना सरकार पर है । हम प्रतिवेदन के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते । माननीय सदस्य पर्याप्त विद्वान् हैं ; परन्तु हम इस विशेष प्रश्न पर सारे प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

†**श्री विमल घोष** : सरकार सिफारिश को स्वीका न करे । मैं वह उत्तर स्वीकार कर लूंगा । लेकिन यदि मंत्री महोदय यह कहें कि आयोग ने ऐसा नहीं कहा, तो मैं इस को स्वीकार नहीं कर सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय अपना निर्वचन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हों ने ऐसा नहीं कहा है ।

†**श्री विमल घोष** : आयोग ने ऐसा कहा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : दायीं ओर माननीय सदस्य का विचार एक है और बायीं ओर माननीय सदस्य का विचार बिल्कुल भिन्न है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विधियों और नियमों का हिन्दी में अनुवाद

+

†*१००३. { श्री आचार :
श्री मानकभाई अग्रवाल :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह आवश्यक समझती है कि हिन्दी को अंग्रेज़ी के स्थान पर राजभाषा का रूप दिये जाने से पहले, सब नियमों, विनियमों और विधियों का हिन्दी में अनुवाद कराया जाय ;

(ख) क्या उक्त अनुवाद-कार्य पर होने वाले खर्च और लगने वाले समय के प्रश्न पर भी विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर कितना समय लगेगा और अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) राज भाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिये नियुक्त संसदीय समिति इस ओर अन्य सम्बन्धित विषयों पर विचार कर रही है ।

(ख) और (ग). उन सब केन्द्रीय अधिनियमों का, जो निरसित नहीं हैं, अनुवाद १९६२ तक समाप्त हो जाने की आशा है । इस पर इस समय ७७,००० रुपये वार्षिक व्यय होता है ।

†श्री आचार : क्या राज्य अधिनियमों का भी अनुवाद किया जायेगा ?

†श्री दातारः : प्रश्न केन्द्रीय अधिनियमों के सम्बन्ध में है ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्: क्या सरकार 'एस्टोपैल'[1] 'रि जुडीकेटा'[2] और अन्य टेक्निकल शब्दों पर भी ध्यान देगी । मैं ने भी समिति में कुछ कार्य किया । वे इन टेक्निकल शब्दों का भी अनुवाद करेंगे या उन को ऐसे ही छोड़ दिया जायेगा ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मेरे विचार में एक बोर्ड है जो इस विषय से संबंधित है । शायद माननीय सदस्य उस बोर्ड के सदस्य हैं ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैं नहीं हूं ।

†पंडित गो० ब० पन्त : यदि वे अपने सुझाव बोर्ड को भेज दें, तो मैं उन का आभारी हूंगा ।

†श्री सुब्बया अम्बलम् : क्या हिन्दी भाषी क्षेत्रों में किसी राज्य ने अनुवाद का कार्य आरम्भ किया है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : जहां तक केन्द्रीय अधिनियमों का सम्बन्ध है, यहां पर अनुवाद ब्यूरो स्थापित कर दिया गया है । राज्य भी कुछ अधिनियमों का अनुवाद कर रहे होंगे । परन्तु मुझे इस बात का निश्चय नहीं है कि वे सब केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद कर रहे हैं ।

†श्री दासप्पा : केवल केन्द्रीय अधिनियमों और विनियमों के बारे में ही प्रश्न नहीं है परन्तु यह तो समस्त देश-विधियों और विनियमों के बारे में है । अतः प्रश्न यह है कि क्या सब राज्यों से इन सब अधिनियमों का अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद प्राप्त करने की कोई व्यवस्था की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]. *Estoppel.*

[2]. *Resjudicate.*

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इस समय गैर-निरसित केन्द्रीय अधिनियमों का अनुवाद करने की व्यवस्था की गई है। जब हम इन अधिनियमों का अनुवाद समाप्त कर लेंगे तो इस बात पर विचार किया जायेगा कि अन्य विधियों का भी अनुवाद किया जाये या नहीं।

†**श्री वासप्पा** : यह बात देखते हुए कि राज भाषा हिन्दी होने जा रही है, इन सब राज्य विनियमों और विधियों की हिन्दी में आवश्यकता अवश्यम्भावी है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इन सबका हिन्दी में अनुवाद कर दिया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय पहले ही उत्तर दे चुके हैं। उन्होंने अभी कहा है कि सब गैर-निरसित अधिनियमों का अनुवाद हो जाने के बाद इस बात पर विचार किया जायेगा कि अन्य के अनुवाद करने की भी आवश्यकता है या नहीं। माननीय सदस्य उस समय अपना सुझाव दें।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जिस काम के बारे में इस समय पूछा गया है वह अब तक कितना हो गया है ? उसकी क्या रूपरेखा है ?

पंडित गो० ब० पन्त : अब तक करीब चार हज़ार पन्ने तरजुमे (अनुवाद) के तैयार किये गये हैं।

खाद्यान्नों पर बिक्री कर

+

†*१००४. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी** :
श्री रघुनाथ सिंह : }

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्य सरकारों ने संघ सरकार का यह सुझाव नहीं माना है कि खाद्यान्नों को बिक्री कर से मुक्त कर दिया जाये तथा उन्होंने इस के न मानने के क्या कारण बताये; और

(ख) क्या उनकी इन्कारी का केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अंश पर कोई प्रभाव पड़ेगा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा बिहार के राज्य खाद्यान्नों पर बिक्री कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी खाद्यान्नों के व्यापारियों से एक उत्तरोत्तर कर लेती है। इन सभी राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के इस सुझाव का कि खाद्यान्नों को बिक्री कर से पूर्ण रूपेण मुक्त कर दिया जाये कोई उत्साहवर्धक उत्तर नहीं दिया है। इन राज्यों के द्वारा केन्द्र के सुझाव को न माने जाने का मुख्य कारण यह था कि इससे उनके राज्यों का राजस्व कम हो जायेगा।

(ख) जी नहीं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : इस कर को हटाने से राजस्व में कुल कितनी राशि की कमी होने की सम्भावना थी ? इस कमी को पूरा करने के लिये राजस्व के और कौन से साधन सोचे गये हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : यह तो राज्य सरकारें ही जानें। यह विचार राष्ट्रीय विकास परिषद् में उठा था। यह सोचा गया था कि खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया जाये कि वे खाद्यान्नों पर किसी प्रकार का कर न लगायें। उस समय मुख्य मंत्रियों ने कहा था कि हम इस पर विचार करेंगे। अब उन्होंने कहा है कि वे इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : राज्यों ने इसके लिये क्या कारण बताये हैं ?

†श्री ब० रा० भगत : राजस्व में कमी हो जाना ।

†श्री दामानी : क्या यह विषय मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में उठाया गया था, यदि नहीं तो क्या यह अगले सम्मेलन की कार्यसूची में रखा जायेगा ?

†श्री ब० रा० भगत : मैं बता चुका हूं कि इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में चर्चा की गई थी ।

उड़ीसा को इस्पात का आवंटन

†*१००५. डा० सामन्तसिंहार : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ के प्रत्येक तिमाही में उड़ीसा के लिये लोहा व इस्पात की कितनी मात्रा स्वीकृत की गई थी और इसमें से राज्य को प्रत्येक बार वास्तव में कितना लोहा व इस्पात दिया गया है ;

(ख) भारत सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाना चाहती है कि उड़ीसा के लिये स्वीकृत किया गया कोटा उसे पूरा पूरा मिल सके;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि उड़ीसा के ढलाई के दोनों कारखानों को १९५७ में बिलेट्स व कच्चा लोहा न मिलने के कारण अपना काम बन्द कर देना पड़ा है ; और

(घ) सरकार भविष्य में ऐसी कठिनाइयों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९५६–५७ के वर्ष के लिये उड़ीसा सरकार को उपभोक्ताओं के लिये २४,८४० टन लोहा व इस्पात दिया गया था । इसमें से वास्तव में १२,५४७ टन भेजे गये ।

(ख) हम अपने देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमें जितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकती है उसके अनुसार हम देश में इस्पात के सम्भरण को बढ़ाने के लिये अधिकाधिक इस्पात का आयात कर रहे हैं ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी है ।

(घ) बिलेट्स व कच्चे लोहे की जितनी कमी हमें प्रतीत हुई हमने उस सीमा तक उस कमी को पूरा करने की चेष्टा की । सरकारी क्षेत्र में इस्पात के कारखानों के और 'टिस्को' व 'इस्को' के विस्तार कार्यक्रमों के कारण १९५८–५९ में कच्चे लोहे के संभरण की स्थिति में काफी सुधार आने की आशा है और बिलेट्स की स्थिति में १९६० तक सुधार आ जाने की आशा है ।

†श्री सूपकार : उड़ीसा राज्य की इस्पात की कुल कितनी मांग है तथा इसमें से उसे कितने प्रतिशत इस्पात सप्लाई किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†सरदार स्वर्ण सिंह : : मेरे पास कुल मांग के आंकड़े नहीं है। मैं पहले बता चुका हूं कि उसको कुल कितना इस्पात दिया जाना था तथा उसमें से उसको कितनी मात्रा दी गई है। प्रत्येक राज्य जितना मांगता है उसे अवश्य ही उससे कुछ कम मात्रा दी जाती होगी। उड़ीसा के साथ इस बारे में कोई भेद भाव नहीं बरता गया है ।

†श्री सूपकार : क्या यह सच नहीं है कि इस राज्य में इस्पात और लोहे का सम्भरण अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : मेरा विचार यह है कि सभी राज्यों की सारी मांग कभी पूरी नहीं की जा सकती है। उड़ीसा को उनसे पृथक् नहीं माना जा सकता ।

†श्री पाणिग्रही : आवंटित मात्रा २४,००० टन थी किन्तु संभरण की मात्रा केवल १२,००० टन है। इतने अन्तर के क्या कारण हैं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : संभरण की कमी ।

†श्री सूपकार : हम भारत के सभी राज्यों की लोहा व इस्पात जैसे आवश्यक पदार्थों की सारी मांग कब तक पूरी कर पायेंगे ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। किन्तु आशा की जाती है जब सरकारी क्षेत्र के नये कारखाने चालू हो जायेंगे व इनसे गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों का विस्तार कार्य पूरा हो जायेगा तब देश की मांग एक बहुत सीमा तक पूरी की जा सकेगी। किन्तु मांग भी बढ़ सकती है। तब हमें और उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा ।

†श्री सूपकार : एक प्रश्न ।

†अध्यक्ष महोदय : इससे कुछ लाभ नहीं होगा । हमारी मांग बढ़ती जायेगी और फिर उत्पादन बढ़ता जायेगा ।

†श्री सूपकार : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में कहां तक चोर बाजारी होती है ?

†अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न चाहे कितना ही अच्छा हो परन्तु दुर्भाग्यवश यह मूल प्रश्न में उत्पन्न नहीं होता ।

क्रीड़ांगण (स्पोर्ट्स स्टेडियम)

†*१००६. श्री ब० स० मूर्त्ति : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने क्रीडांगण (स्पोर्ट्स स्टेडियम) बनाये जायेंगे ; और

(ख) इनके लिये कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इसके लिये कोई विशेष संख्या नहीं निश्चित की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : भारत वर्ष में ऐसे क्रीडांगण (स्टेडियम) कहां कहां तथा किस आधार पर बनाये जायेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : ५० प्रतिशत अनुदान के आधार पर ।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : यदि राज्य सरकारें इस कार्य के लिये दी गई राशि का उपयोग नहीं करें, तो फिर क्या होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जब केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत रुपया दे रही है तो राज्यों को भी शेष ५० प्रतिशत रुपया देना पड़ेगा ।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह व्यय राजकुमारी अमृतकौर क्रीड़ा योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : नहीं इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या नेशनल स्पोर्ट्स क्लब मद्रास में कोई क्रीडांगण (स्टेडियम) बना रहा है तथा क्या मद्रास सरकार ने उसके लिये सहायता देने के लिये कोई आवेदन दिया है ? यदि हां तो उसके लिये कितनी सहायता स्वीकार की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : नेशनल स्पोर्टस क्लब स्टेडियम योजना के अन्तर्गत दक्षिण भारत ही एक ऐसा स्थान है जहां पर कि कोई क्रीडांगण (स्टेडियम) नहीं बनाया गया है—कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली में पहले से ही क्रीडांगण (स्टेडियम) हैं । इसलिये क्या सरकार दक्षिण भारत में एक क्रीडांगण (स्टेडियम) बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव भेजने पर ही अनुदान दिये जाते हैं । हम योजनाओं का अनुमोदन कर रहे हैं और उन्हें अनुदान दे रहे हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : : क्या यदि कोई राज्य १० क्रीडांगण (स्टेडियम) बनाने के लिये कहेगा तो क्या सरकार उसको सबके लिये ५० प्रतिशत आधार पर सहायता देने को तैयार होगी । ऐसी दशा में यह योजना कैसे कार्य कर सकेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : अभी तक ऐसी कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हुई है । हमारे पास क्रीड़ा विकास के लिये काफी राशि है । हम इनको प्रत्येक प्रकार से बढ़ावा देना चाहते हैं । यदि माननीय सदस्य विशेष रुचि रखते हैं तो मैं सभा के पटल पर एक विवरण रख सकता हूं कि भारतीय क्रीड़ा परिषद् द्वारा विभिन्न राज्यों की विभिन्न संस्थाओं को क्रीड़ा व क्रीड़ांगणों के विकास के लिये कितनी राशि दी गई है । यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हुई तो हम उस पर भी विचार करेंगे ।

†**श्री जयपाल सिंह** : क्या यह ५० प्रतिशत का आधार केवल संस्थाओं के प्रस्तावों पर ही लागू होता है अथवा राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर भी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : दोनों पर । यह आशा की जाती है कि गैर-सरकारी संस्थायें अपने प्रस्ताव या तो किसी अखिल भारतीय संस्था द्वारा भेजेंगी अथवा अपनी राज्य सरकार द्वारा ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से वहां पर कोई क्रीड़ांगण (स्टेडियम) बनाने का आवेदन प्राप्त हुआ है और क्या वह ५० प्रतिशत व्यय देने को तैयार है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं किसी एक राज्य के बारे में सूचना नहीं दे सकता हूं। मैं सारा विवरण सभा के पटल पर रख दूंगा। और उसमें आन्ध्र के बारे में भी सूचना दे दी जायेगी।

†पंडित ज्वा० प्र० ज्योतिषी : क्या सागर विश्वविद्यालय ने भी अनुदान देने के लिये कोई आवेदन भेजा है ?

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले बता चुके हैं कि वह एक एक मामले के बारे में सूचना नहीं दे सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*९८७. श्री नवल प्रभाकर : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत इस समय कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण पा रहे हैं ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली के किन किन स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ; और

(ग) इस पर सरकार प्रति वर्ष कितना व्यय कर रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९]

(ग) लगभग १·५ लाख।

रूसी छात्रवृत्तियां

†*९९५. श्री ले० अचौ सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २१ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या २०० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'इकाफ़े' प्रदेश के राष्ट्रजनों के लिये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया गया है उसके अन्तर्गत भारत के कितने विद्यार्थियों को रूस की भौतिकी संस्था (फिजिक्स इंस्टीट्यूट) में अध्ययन करने की सुविधायें दी जायेंगी ; और

(ख) क्या उक्त छात्रवृत्तियों के लिये किन्हीं विद्यार्थियों ने प्रार्थनापत्र भेजे हैं, यदि हां, तो कितनों ने ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। (देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०)

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारत का इतिहास

***९९९. पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि भारत का एक लोकप्रिय इतिहास, जिसके लिये ५,००० रुपये का इनाम रखा गया है, लिखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितने लेखक भाग ले रहे हैं; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में अब तक कोई प्रगति हुई है, तो वह क्या है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा०का०ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) पन्द्रह लेखकों ने अपनी पांडुलिपियां पेश कर दी हैं ।

(ग) तीन प्रसिद्ध इतिहासकार पांडुलिपियों का निरीक्षण करने के लिये विशेष रूप से नियुक्त किये गये थे । वे इन पांडुलिपियों का निरीक्षण कर रहे हैं ।

त्रिपुरा की राज भाषा

†*१०००. श्री दशरथ देब : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् से इस सम्बन्ध में कोई संकल्प प्राप्त हुआ है कि त्रिपुरा राज्य की भाषा बंगला घोषित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

अफीम विधियां (संशोधन) विधेयक, १९५७

†*१००७. श्री वाजपेयी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार अफीम विधियां (संशोधन) अधिनियम, १९५७ के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ख) अभी तक इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) अफीम विधियां (संशोधन) अधिनियम, १९५७ पहले ही प्रवर्त्तन में आ चुका है और राज्य सरकारों को सूचना दी जा चुकी है कि वे इसके अन्तर्गत पोस्त की भूमि वगैरह पर नियन्त्रण करने के लिये आवश्यक नियम बना सकती हैं ।

(ख) अभी तक राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के उल्लंघन के बारे में कोई सूचना नहीं दी है ।

पीतल की दुअन्नियां

†*१००८. श्री हेमराज : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पीतल की कुल कितनी दुअन्नियां चलन में हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७ के पश्चात् कुल कितनी दुअन्नियां चलन में से हटा ली गई हैं ;

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जनवरी, १९५८ को लगभग ३३·२८ करोड़ निकल-पीतल की दुअन्नियां चलन में थीं ।

(ख) जनवरी, १९५७ के प्रारम्भ से जनवरी, १९५८ की समाप्ति तक ६·१७ करोड़ दुअन्नियां चलन में से हटा ली गई ।

दिल्ली में सरकारी स्कूल

†*१००९. { **श्री दी० चं० शर्मा** : **सरदार इकबाल सिंह** : **श्री क० भे० मालवीय** :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में अभी तक कितने सरकारी स्कूल टेंटों और अस्थायी रूप से बनाई गई इमारतों में हैं ;

(ख) उनमें कितने सेकेंडरी स्कूल हैं ; और

(ग) इन स्कूलों में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) (१) ३२ केवल टेंटों में ; (२) १७७ कुछ भाग टेंटों में और कुछ इमारतों में ।

(ख) ११६० जिनमें सीनियर बेसिक, मिडल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं।

(ग) ऊपर के भाग (ग) में उल्लिखित स्कूलों में ६६०६० ।

निवेली में मिट्टी हटाने का काम

†*१०१०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १३ नवम्बर, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निवेली में मिट्टी हटाने के काम में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) काम की गति को बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) २० मई, १९५७ से मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ है । तब से फरवरी, १९५८ तक कुल २७ लाख घन गज़ अतिरिक्त मिट्टी हटाई गई है और १९६० की समाप्ति तक २७० लाख घन गज़ मिट्टी और हटाई जानी है ।

(ख) इस कार्य की गति बढ़ाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि काम कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है । अगले वर्ष विशेष प्रकार की मशीनों के प्रयोग से गति अपने आप बढ़ जायेगी । खान से लिगनाइट का उत्पादन तभी आरम्भ करने की योजना बनाई गई है जब एकीकृत परियोजना के अन्य एकक जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन, उर्वरक का कारखाना और ब्रिकेटिंग और कारबोनाइजिंग के प्लांट लिग्नाइट का उपयोग करने के लिये तैयार हों ।

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

†*१०११. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री कालिका सिंह :
श्री राधामोहन सिंह : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण से पता चला है कि वहां तेल मिलने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसका पता लगाने के लिये कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी हां ।

(ख) वर्तमान फील्ड मौसम में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने मोरादाबाद, बरेली, शाहजहानपुर और हरदोई क्षेत्रों में ग्रैविटी-मैगनेटिक और सीजमिक तरीकों से गहन सर्वेक्षण किया है । पूर्वी उत्तर प्रदेश का भू-भौतिकीय सर्वेक्षण आगामी वर्षों में किया जायेगा ।

राजनीतिक पीड़ित समिति, दिल्ली

†*१०१२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक पीड़ित समिति, दिल्ली की सिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त):** (क) और (ख). समिति की उन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है जो सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ली गई हैं ।

राजनैतिक पीड़ितों को व्यापार करने के लिये थोड़ा बहुत ऋण देने के लिये दिल्ली प्रशासन को २५००० रुपये दे दिये गये हैं ।

यदि योग्यता आदि समान हो तो सरकारी सेवाओं में नौकरी देने के बारे में राजनैतिक पीड़ितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये ।

शिक्षा मंत्रालय राजनैतिक पीड़ितों पर आश्रितों को छात्रवृत्तियां देने के मामले पर विचार कर रहा है ।

केन्द्रीय खनन गवेषणा केन्द्र, धनबाद

†*१०१३. **श्री ब० स० मूर्त्ति :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खनन गवेषणा केन्द्र, धनबाद में कोई विदेशी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं ।

(ख) यदि हां, तो वे किन देशों में हैं; और

(ग) उनकी नौकरी किस प्रकार की है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास):** (क) जी हां । डा० जे० डब्ल्यू० बिटाकर ही विदेशी विशेषज्ञ हैं ।

(ख) ब्रिटिश राष्ट्रजन ।

(ग) डायरेक्टर, केन्द्रीय खनन गवेषणा केन्द्र, धनबाद ।

†मूल अंग्रेजी में

अफीम का राशन

†*१०१४. श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय किया है कि अप्रैल, १९५९ में अफीम के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने से पूर्व १ अप्रैल, १९५८ से खाने के लिये अफीम का राशन कर दिया जाये ; और

(ख) यह प्रतिबन्ध लगाने से आगामी वर्ष में राजस्व की कितनी हानि होने का अनुमान है ;

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां :

(ख) अनुमान है कि १९५८–५९ में राजस्व में ३ लाख रुपये का घाटा रहेगा । यह घाटा केवल राशन करने से ही नहीं बल्कि अफीम खाने पर धीरे-धीरे प्रतिबन्ध बढ़ाने की नीति के कारण होगा ।

प्रतिरक्षा विभाग के लिये सामान की खरीद

†*१०१५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में विदेशों से प्रतिरक्षा विभाग के लिये कुल कितने मूल्य का सामान खरीदा गया ।

(ख) इस अवधि में देश से खरीदी गई सामग्री का कुल मूल्य क्या था ; और

(ग) विदेशों से खरीदे जाने वाले सामान में तुरन्त बचत करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है तो वह क्या है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) १९५७–५८ में जनवरी की समाप्ति तक प्रतिरक्षा विभाग के लिये ६५·३८ करोड़ रुपये का सामान खरीदा गया ।

(ख) देश में दो प्रकार का माल खरीदा गया—एक तो वह जो देश में ही तैयार किया गया और वह जो विदेश में तैयार किया गया परन्तु जिसका संभरण देश में ही हुआ । पूर्वोक्त माल का मूल्य २७·२२ करोड़ रुपये और उत्तरोक्त का ७·६८ करोड़ रुपये था ।

(ग) विदेशी खरीद को कम करने के लिये की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]

केन्द्रीय अंगुलि चिह्न कार्यालय

†*१०१६. सरदार इकबाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय अंगुलि चिह्न कार्यालय में आधुनिक प्रणाली का प्रशिक्षण देने के लिये जो प्रबन्ध किये गये हैं उनका ब्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : केन्द्रीय अंगुलि चिन्ह कार्यालय में राज्य के पदाधिकारियों को बारी बारी प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रबन्ध किया गया है । प्रत्येक वर्ष कुछ पदाधिकारियों को दाखल किया जायेगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् वे अपने राज्य को लौट जायेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी

१३२५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के विस्तार के लिए कितनी धन राशि दी गई है; और

(ख) यह धनराशि किन किन कामों के लिये दी गई है और अब तक कितनी धन राशि किन किन कामों पर व्यय की जा चुकी है ?

इस्पात, खान, और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) ऋण के तौर पर १० करोड़ रुपये ।

(ख) १० करोड़ रुपये की पूर्ण रकम को निम्न लिखित के विकासों पर व्यय कर दिया गया है :—

बिलूमिंग मिल, प्लेट मिल, शोखते, कोक की नई भट्ठियां स्केल्प मिल वाष्प और शक्ति स्टेशन और बस्ती निर्माण, कच्चे खनिज तथा कोयले की खानें आदि जैसे अन्य मद ।

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी को ऋण

१३२६. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी के विस्तार के लिए धन किन किन शर्तों पर दिया गया है और कब तक यह चुका दिया जायगा; और

(ख) इस प्रकार दिये गये धन के उचित उपयोग पर निगरानी रखने के लिए क्या कोई व्यवस्था की गई है ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) भारत सरकार ने टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को १० करोड़ पये का ऋण दिया है । यह ऋण १ जौलाई, १९५८ अथवा ऐसे आगामी दिनांक तक बिना ब्याज रहेगा जोकि परस्पर निश्चय किया जायगा ताकि कम्पनी अपने प्रसार एवं आधुनिकीकरण के कार्यक्रमों को पूर्ण करने में समर्थ हो सके। इस ऋण के परिपाक होने का कोई दिनांक निश्चित नहीं किया गया है और भारत सरकार टैरिफ आयोग के परामर्श से यह निश्चित करेगी कि ब्याज १ जौलाई १९५८ से लिया जाय अथवा किसी आगामी दिनांक से जोकि परस्पर निश्चित किया जायगा, और कम्पनी इस ऋण को ब्याज की किस दर से चुकाये । अतः चुकता करने की कोई तिथि नहीं दी जा सकती ।

(ख) जी हां । भारत सरकार ने कम्पनी के डाइरेक्टरों की बोर्ड पर निगरानी रखने के लिये एक डाइरेक्टर को नियुक्त किया है जो तब तक डाइरेक्टर बना रहेगा जब तक विशेष ऋण का कोई भाग पूर्ण रूप से बिना चुका रहता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का विस्तार

१३२७. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दी गई सहायता से टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी का अब तक कितना विस्तार हुआ है; और

(ख) यह विस्तार कब तक पूरा हो जायगा ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) कम्पनी ने अब तक कोक की बैठरीदार दो नई भट्टियां, प्लेट मिल का सुधार, एक नया स्केल्प मिल, नये डब्लू० पी० बोईलर, पांच ओपिन हर्थ भट्टियां और डी० वी० सी० शक्ति प्राप्त करने के लिये बिजली के उपकरणों को खड़ा करने के कार्य पूर्ण कर लिये हैं। जहां तक अन्य आयोजनाओं जैसे बिलूमिंग मिल तथा केलसिनिंग संयंत्र का सुधार, एक नई ब्लास्ट भट्टी, स्टील मैल्टिंग शौप नं० ३ और शोखतों का री-माडलिंग और कोक ओवन बैटरी का सम्बन्ध है उनमें पर्याप्त प्रगति हुई है और सूचना मिली है कि कार्यस्थल पर निर्माण कार्यों में कार्यक्रम के अनुसार प्रगति हो रही है।

(ख) अधिकतर विस्तार कार्य १९५८ के अन्त तक पूर्ण हो जायें ।

टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी

१३२८. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा दी गई सहायता से टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी का जो विस्तार होगा उसके परिणामस्वरूप क्या क्या चीजें बनाई जायेंगी और कितनी कितनी मात्रा में ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : प्रसार आयोजना पूर्ण हो जाने के उपरान्त संयंत्र की उत्पादन मात्रा निम्न होगी :—

चीजें	मात्रा प्रति वर्ष टनों में
हैवी रेल	१३५,०००
हैवी स्ट्रक्चरल	११०,०००
स्लीपरें	५०,०००
क्रोसिंग स्लीपरें	३०,०००
मीडियम एण्ड लाइट स्ट्रक्चर	२९७,०००
इंच तथा उस से ऊपर वाली बारें	१४४,०००
प्लेटें	१००,०००
चादरें	१५०,०००
२ इंच तक की स्ट्रीप	१४८,०००
हिये, टायर और घुरे	३०,०००
सिमिस जिस में बिलूमें, बिलटें, टिन बारें आदि सम्मिलित हैं	३०६,०००
योग	१,५००,०००

†मूल अंग्रजी में

इंडियन आयरन एंड स्टील वर्क्स

१३२९. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दी गई सहायता से इंडियन आइरन एण्ड स्टील वर्क्स का अब तक कितना विस्तार हुआ है;

(ख) सरकार ने अब तक ऋण अथवा सहायता के रूप में कितनी धन राशि दी है;

(ग) यह सहायता अथवा ऋण किन शर्तों पर दिया गया है; और

(घ) इसे चुकाने की शर्तें क्या हैं ?

इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अब तक, एक कोक की बेंटरीदार भट्टी, एक सलफ्यूरिक एसिड संयंत्र तथा नई ब्लास्ट भट्टी के निर्माण कार्य पूर्ण कर लिये हैं। विस्तार आयोजना के लिये शेष आवश्यक संयंत्र एवं मशीनरी के लिये आर्डर दिये जा चुके हैं और सामान से लदे हुए जहाज़ चल चुके हैं।

(ख) सरकार ने दो ऋण स्वीकृत किये हैं—७.९ करोड़ रुपये का ब्याज सहित ऋण तथा १०.१८ करोड़ रुपये का विशेष ऋण। सरकार ने, कम्पनी द्वारा प्राप्त विश्व बैंक के दो ऋणों की गारंटी दे दी है। प्रथम ऋण ३००.२ लाख डालर का तथा दूसरा २ करोड़ डालर का है।

(ग) और (घ). ७.९ करोड़ रुपये के संयुक्त ऋण पर ४१/४ प्रति वर्ष की दर से ब्याज होगा और दिसम्बर १९५८ से दिसम्बर १९६७ तक के काल में ब्याज सहित प्रभागों में चुका दिया जायेगा। विशेष ऋण १ जोलाई, १९५८ तक अथवा ऐसी तिथि तक जो परस्पर निश्चित की जायेगी, बिना ब्याज रहेगा। इस ऋण के परिपाक होन का कोई दिनांक निश्चित नहीं है, परन्तु भारत सरकार टैरिफ आयोग के परामर्श से यह निश्चित करेगी कि ब्याज १ जोलाई, १९५८ से लिया जाय अथवा किसी आगामी दिनांक से जोकि परस्पर निश्चित किया जाय और कम्पनी इस ऋण को ब्याज की किस दर से चुकाये। विशेष ऋण को चुकाने की कोई निश्चित तिथि निश्चय नहीं की गई है।

विश्व बैंक का ३००.२ लाख डालर के प्रथम ऋण पर ४१/४ प्रतिशत ब्याज लगेगा जोकि अप्रैल १९५९ से अक्टूबर १९६७ तक के काल में ब्याज सहित प्रभागों में चुकाना है और २ करोड़ डालर के द्वितीय ऋण का ब्याज ५ प्रतिशत है और अप्रैल १९६० से अक्टूबर १९६७ के काल में ब्याज सहित प्रभागों में चुकाना है।

कल्याण विस्तार योजनायें

†१३३०. **श्री वामानी** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा चलाई गई कल्याण विस्तार परियोजनाओं में प्रसूत सेवाओं की व्यवस्था करने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या परियोजना केन्द्रों में नियुक्त करने के लिय जो छः हजार दाइयों को प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया गया था उस पर अमल किया गया है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत नर्सों और दाइयों का प्रशिक्षण आरम्भ हो गया है; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक आरम्भ होने और पूरे होने की सम्भावना है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) इस समय ४३२ कल्याण विस्तार परियोजनाओं पर काम हो रहा है जिन में ११५० प्रसूत केन्द्र हैं । प्रत्येक वर्ष हर एक कल्याण विस्तार परियोजना में औसतन लगभग प्रसूत के पूर्व तथा प्रसूत के पश्चात् के २५० केस किये जाते हैं ।

(ख) से (घ). दाइयों के प्रशिक्षण की बातचीत स्वास्थ्य मंत्रालय से चल रही है । दाइयों का प्रशिक्षण १९५५ में आरम्भ किया गया था जिसका पाठ्यक्रम दो वर्ष का था और अन्तिम ग्रुप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम में नर्सों के प्रशिक्षण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है ।

उत्तर प्रदेश से आयकर तथा उत्पादन शुल्क

१३३१. श्री कालिका सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में से १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में अब तक जिलेवार (राजस्व जिले) या क्षेत्रवार कितना आयकर एकत्रित हुआ; तथा

(ख) उसी अवधि में संघीय उत्पादन शुल्क, तथा अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में कितनी मात्रा उपलब्ध हुई ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासंभव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) वर्ष १९५५-५६, १९५६-५७ तथा १ अप्रैल १९५७ से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक संघ उत्पादन शुल्क के रूप में जो राशि एकत्रित की गई है वह सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]**

अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां

†**१३३२. श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्यों में "अन्य पिछड़े वर्गों" में ऐसे कौन से लोग रखे गये हैं जिन्हें भारत सरकार छात्रवृत्तियां तथा अन्य ऐसे लाभ प्रदान करेगी जो सामान्यतया अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लोगों को मिलते हैं; और

(ख) किस आधार पर जातिवार लोगों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े रूप में वर्गीकृत किया गया है यद्यपि १९५१ की जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों को छोड़कर किसी अन्य लोगों की जातियां तो नहीं लिखी गईं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) राज्य सरकारों या संघीय प्रशासनों ने "अन्य पिछड़े वर्ग" के लिये जिन जिन लोगों के वर्गों की सिफारिशें की हैं उन्हें सूची के अनुसार वर्गीकृत कर दिया गया है जिसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० ६०८/५८]** यह जातियां केवल छात्रवृत्तियां देने के लिये मान्य की गई हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह सूची राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों की सलाह से तैयार की गई हैं। इस सूची में मुख्य ध्यान यह रखा गया है कि कौन कौन सी जातियां शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

†१३३३. **श्री कालिका सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखते हुए जिसमें संक्षेप में उन अभिलेखों, फाइलों तथा पुस्तकों का स्वरूप बताया गया हो जो इस समय भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली में हैं यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि अभिलेख उठाने धरने में खराब न हों

(ख) किताबों तथा रिकार्ड को इशू करने का तरीका क्या है; तथा

(ग) भारतीय पुरातत्व विभाग में स्वतंत्रता संग्राम सम्बन्धी अभिलेख तथा पत्रों की संक्षिप्त सूची क्या है ?

†**शिक्षा तथा वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा०का०ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५३]**

अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल

†१३३४. { **श्री ओंकार लाल** :
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बड़े बड़े नगरों में अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल खोलने की प्रस्थापना है ताकि विदेशी विद्यार्थियों को सुविधायें प्राप्त हो जायें;

(ख) किन किन स्थानों पर ये होस्टल खोले जायेंगे;

(ग) क्या स्थानादि लेकर कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(घ) यदि हां तो इस पर कितनी अनुमानित लागत लगेगी;

(ङ) कब तक ये पूरे हो जायेंगे;

(च) इनमें कितने विद्यार्थियों के लिये स्थान होगा; तथा

(छ) क्या इनमें केवल विदेशी विद्यार्थी ही प्रविष्ट किये जा सकेंगे ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली, कलकत्ता तथा बम्बई।

(ग) भारतीय सांस्कृतिक परिषद् ने कलकत्ता में एक भवन किराये पर लिया है जो जून १९५८ से लागू होगा। बम्बई तथा दिल्ली में अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है किन्तु दिल्ली में यह भवन विश्वविद्यालय के निकट ही होगा।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) १९५४-५५ के प्राक्कलनों के अनुसार दिल्ली में इस प्रकार के होस्टल पर लगभग ८ लाख का व्यय आयेगा । अन्य नगरों के होस्टलों का अनुमानित व्यय बताना अभी संभव नहीं है ।

(ङ) कलकत्ता का होस्टल, आशा है, जून १९५८ में चालू हो जायेगा और दिल्ली में भी संभवतया निर्माण कार्य १९५८-५९ में आरम्भ हो जाये ।

(च) कलकत्ता के वर्तमान होस्टल में ४५/५० विद्यार्थी आ सकते हैं । दिल्ली के होस्टल में जब वह पूरा हो जायेगा लगभग ३०० विद्यार्थियों का स्थान होगा ।

(छ) इन होस्टलों का लाभ भारतीय तथा विदेशी दोनों विद्यार्थियों के लिये होगा तथा दोनों सुविधायें प्राप्त कर सकेंगे ।

अन्दमान द्वीप समूह

†१३३५. **श्री नारायणस्वामी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्दमान द्वीप समूह में कितने लोंग हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : द्वीपसमूह में लोंगों की संख्या अनुमानतः ६०० है ।

भूमिहीन अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†१३३६. **श्री कुम्भार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों में अब तक प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने भूमिहीन परिवारों को कृषि योग्य भूमि दी गयी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में दी गयी सहायता की क्या रूपरेखा और ब्यौरा है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) तथा (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश को लोहे की चादरों का आवंटन

१३३७. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लोहे की चादरों के वार्षिक कोटे में वृद्धि करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). मांगें वर्गानुसार प्राप्त नहीं की जाती । एलोटमेंन्ट भी वर्गों के अनुसार नहीं किये जाते, फिर भी सितम्बर, १९५७ में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेलवेमाइज्ड कोरूगेटिट चादरों की १,००० टन की तदर्थ एलोटमेंट के लिये इस मंत्रालय से बातचीत की थी । सामान को सीमित प्राप्ती तथा राज्य सरकारों के बहुत से शेष कोटाओं, जिनकी सप्लाई प्राथमिकता के आधार पर की जानी थी, को दृष्टिगत रखते हुए इस पर सहमति न दी जा सकी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनायें

१३३८. श्री सरजू पाण्डे : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये १९५७ में कितनी बस्तियां और घर बनाये गये ; और

(ख) ऐसी कितनी योजनायें केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) तथा (ख). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और मिलते ही वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश से आयकर

१३३९. श्री सरजू पाण्डे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ में उत्तर प्रदेश में कितने करदाताओं से आयकर वसूल नहीं किया जा सका ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब०रा० भगत): इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी जल्दी हो सका एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

बम्बई में पुस्तकालय आन्दोलन

†**१३४०. श्री पांगरकर** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में बम्बई राज्य को राज्य में पुस्तकालय आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये अब तक कितनी राशि का अनुदान दिया गया ; और

(ख) उस ही कालावधि में उपरोक्त सहायता से कितने पुस्तकालय खोले गये ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) २४,५०० रुपये ।

(ख) इस सहायता से उस राज्य ने अभी कोई पुस्तकालय नहीं खोला है ।

न्यू अलीपुर, कलकत्ता में अधिगृहीत भूमि

†**१३४१. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री २५ जुलाई, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता के निकट न्यू अलीपुर में पिछले युद्ध में प्रतिरक्षा सेवाओं के लिये अधिगृहीत फालतू भूमि को छोड़ने का कोई निश्चय कर लिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : जब तक इस क्षेत्र में इस समय स्थापित प्रतिरक्षा यूनिटों के लिये कोई और वैकल्पिक स्थान नहीं मिल जाता तब तक इस भूमि को प्रतिरक्षा सेवाओं के अधिकार में रखा जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी विद्यालय, धनबाद

†१३४२. { श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद के भारतीय खान और व्यवहारिक भौमिकी विद्यालय में इस समय कितने विदेशी प्रोफ़ेसर हैं ;

(ख) उन की राष्ट्रीयता क्या है ; और

(ग) किन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार ने उन की सेवायें प्राप्त की हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) इस समय उक्त विद्यालय में कोई विदेशी प्रोफ़ेसर काम नहीं कर रहे हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी, विद्यालय, धनबाद

†१३४३. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास धनबाद के भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी विद्यालय के विस्तार की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस संस्था में दाखिले के लिये कितने विद्यार्थियों ने आवेदन-पत्र दिया और कितने विद्यार्थियों को दाखिल किया गया ; और

(घ) संस्था में दाखिले के लिये विद्यार्थियों का किस प्रकार चुनाव किया जाता है ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास): (क) से (घ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में जानकारी दी हुई है । [देखिय परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५४]

मोटर साइकिलों और कारों के खरीदन के लिये भत्ते

†१३४४. श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५७ के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के कितने पदाधिकारियों ने मोटर साइकिलों और कारों के खरीदने के लिये सरकार से ऋण लेने की सुविधा का लाभ उठाया है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): वर्ष १९५७ में २३२६ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने मोटर साइकिलें और कारें खरीदने के लिये ऋण लिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दक्षिणी अर्काट में गिंगी किला

†१३४५. **श्री इलयापेरुमल** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य के दक्षिणी अर्काट जिले में गिंगी किले के संधारण पर १९५६-५७ में कितनी धनराशि व्यय की गयी ; और

(ख) १९५८-५९ में कितनी धनराशि के व्यय का अनुमान है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) ९,८३० रुपये ।

(ख) १९५८-५९ के लिये आयव्ययक प्रस्थापना का अभी अनुमोदन नहीं हुआ है ।

उत्तर प्रदेश में बाद की देख-भाल गृह

१३४६. **श्री मोहन स्वरुप** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कहां कहां बाद की देख-भाल के गृह और जिला आश्रय/स्वागत केन्द्र स्थापित करने का विचार है और उन का क्या ब्यौरा है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) तथा (ख). मांगी गई सूचना का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबंध संख्या ५५**]

जीवन बीमा निगम के निदेशक

†१३४८. { **श्री मुरारका** : / **श्री नथवानी** :

क्या वित्त मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह दिखाया गया हो :

(क) जीवन बीमा निगम के मौजूदा निदेशकों के नाम ;

(ख) उन को कब नियुक्त किया गया ; और

(ग) उन की अर्हतायें ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख).

सदस्य के नाम	नियुक्ति की तारीख
(१) श्री जी० आर० कामत . . .	३१-१-१९५७
(२) श्री मोहम्मद हशम प्रेमजी . . .	१-९-१९५६
(३) प्रो० डी० जी० कार्वे . . .	१-९-१९५६
(४) श्री धीरेन मित्रा . . .	१-४-१९५६
(५) श्री एस० एम० रामकृष्ण राव . .	१-९-१९५६
(६) श्री चक्रेश्वर कुमार जैन . . .	१-९-१९५६

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य के नाम	नियुक्ति की तारीख
(७) श्री वदीलाल लालूभाई मेहता . .	२५-३-१९५७*
(८) लाला रघुराज स्वरूप	१-९-१९५६
(९) श्री बी० के० कौल . . .	१-९-१९५६
(१०) श्री एल० के० झा . . .	१-९-१९५६
(११) श्री एल० एस० वैद्यनाथन . . .	१-९-१९५६
(१२) श्री ए० राजगोपालन . . .	१-९-१९५६
(१३) श्री के० आर० श्रीनिवासन . .	१-९-१९५६
(१४) श्री वी० एच० वोरा . . .	१-९-१९५६
(१५) श्री डी० पी० गुज़दर . . .	१-७-१९५७**

(ग) (१) श्री जी० आर० कामत—भारतीय असैनिक सेवा के एक सदस्य ।

(२) श्री मोहम्मद हशम प्रेमजी : व्यापारी और उद्योगपति ; भारत के राज्य बैंक के बम्बई सर्कल के निदेशक-बोर्ड के सदस्य ; भारतीय व्यापार मंडल, बम्बई की प्रबन्ध समिति के सदस्य ; कोयना नियंत्रण बोर्ड के सदस्य ; बम्बई विद्युत् बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय व्यापार मंडल, बम्बई के भूतपूर्व सभापति ; वाणिज्य तथा उद्योग के भारतीय फैडरेशन, नई दिल्ली, की समिति के भूतपूर्व सदस्य ; खाद्य तथा उद्योग के सम्बन्ध में भारत सरकार और बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों में काम किया ; बी० इ० एस० और टी० उपक्रम की प्रबन्ध समिति के भूतपूर्व सदस्य ; मध्य रेलवे, बम्बई की ज़ोनल प्रयोक्ता सलाहकार समिति के भूतपूर्व सदस्य ।

(३) प्रो० डी० जी० कार्वे : भारत के राज्य बैंक के बम्बई स्थानीय बोर्ड के सदस्य ; १९२३–३५ और १९४०–४३ में फर्गूसन कालिज में इतिहास और अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर ; १९३५–४० में सांगली के विलिंगडन कालिज के प्रिंसिपल ; १९४३–४९ में पूना के बी० एम० कालिज आफ़ कामर्स के प्रिंसिपल ; १९४५ में भारतीय अर्थशास्त्र संस्था के सभापति ; १९४८ में बम्बई प्रशासन जांच समिति के सभापति ; १९५२ में मध्य भारत सहकारी योजना समिति के सभापति ; १९४९–५२ में बम्बई जिला विवरणिका (पुनरीक्षण) के कार्यकारी सम्पादक ; १९५२–५५ में मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम निदेशक ; १९५५ में ग्राम तथा छोटे पैमाने के उद्योग (द्वितीय पंचवर्षीय योजना) समिति के सभापति ; भारत सरकार के सहकारी विकास और भांडार बोर्ड के सदस्य ; १९५६ में भारतीय कृषि आर्थिक सम्मेलन के सभापति ।

*श्री वदीलाल मेहता को पहले १-९-१९५६ को नियुक्त किया गया था लेकिन उन्हों ने ९ जनवरी, १९५७ को सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था । उन को २५-३-१९५७ को दोबारा नियुक्त किया गया ।

**श्री डी० पी० गुज़दर को पहले १-९-१९५६ को नियुक्त किया गया था लेकिन उन्हों ने २५-३-१९५७ को सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था । उन को १-७-१९५७ को दोबारा नियुक्त किया गया ।

(४) श्री धीरेन मित्रा : पहले भारत सरकार के अभ्यर्थी और बाद में भारतीय उच्चायोग, लन्दन, के विधि मंत्रणाकार ; भारत के रिज़र्व बैंक के निदेशक ; भारत के राज्य बैंक के निदेशक ।

(५) श्री एस० एम० रामकृष्ण राव : व्यापारी ; बैंक आफ़ मैसूर के चेयरमैन ; भारत इलैक्ट्रोनिक्स के निदेशक ; रेडियो एंड इलैक्ट्रिक मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के निदेशक ; मरफ़ी रेडियोज़ के निदेशक ।

(६) श्री चक्रेश्वर कुमार जैन : भूतपूर्व संविधान सभा के सदस्य ; बिहार चैम्बर आफ़ कामर्स के भूतपूर्व सभापति ; अखिल भारतीय उद्योग मंत्रणा बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य ; आरा के जी० बी० एच० डी० जैन कालिज के सभापति ।

(७) श्री वदीलाल लालूभाई मेहता : अहमदाबाद मिलमालिकों की संस्था की ओर से १९४५ से १९४७ तक संसद सदस्य ; वे एक उद्योगपति हैं जो बहुत सी समवायों का प्रबन्ध करते हैं । वह केन्द्रीय वेतन आयोग के सदस्य थे ; वे बम्बई की राज्य परिवहन समिति के सभापति थे ।

(८) लाला रघुराज स्वरूप : खाद्य तथा कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली की भारत के राष्ट्रीय भांडागार निगम के निदेशक ; भारत के राष्ट्रीय भांडागार निगम की कार्यकारी समिति के सदस्य ; भारत के रिज़र्व बैंक (प्रशिक्षण अनुभाग) के सदस्य ; उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त निगम के निदेशक; उत्तर प्रदेश के राज्य हथकरघा बोर्ड के निदेशक ; उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक सहकारी संघ के उपसभापति ; उत्तर प्रदेश के प्राविंशियल स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटिड के निदेशक ; भारत सरकार के खाद्य तथा कृषिमंत्रालय के भारतीय सहकारी संघ के सदस्य ; मुज़फ्फ़रपुर के जिला सहकारी विपणन फेडरेशन लिमिटिड के सचिव तथा निदेशक ; उपभोक्ता सहकारी स्टोर्स, मुज़फ्फरपुर नगर उ० प्र०, के सभापति ; अखिल भारत सहकारी प्रकाशन लिमिटेड, बम्बई के निदेशक ।

(९) श्री बी० के० कौल : भारतीय असैनिक सेवा के सदस्य—वित्त मंत्रालय के अर्थव्यवस्था विभाग के संयुक्त सचिव ।

(१०) श्री एल० के० झा : भारतीय असैनिक सेवा के सदस्य—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव ।

(११) श्री एल० एस० वैद्यनाथन : एम० ए०, एफ० आई० ए०, ओरियन्टल गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के भूतपूर्व मैनेजर ।

(१२) श्री ए० राजागोपालन : बी० ए० एफ० आई० ए०, बीमे के भूतपूर्व नियंत्रक ।

(१३) श्री के० आर० श्रीनिवासन : बी० कौम, एफ० आई० ए०, ओरियन्टल गवर्नमेंठ सिक्योरिटी लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के भूतपूर्व जीवनांकिक[१] ।

(१४) श्री वी० एच० वोरा : बी० एस० सी०, एफ० आई० ए०, न्यू इंडिया एश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के भूतपूर्व मैनेजर ।

(१५) श्री डी० पी० गुज़दर : ए० सी० ए० (इंगलैण्ड), एफ० सी० ए०, एफ० सी० सी० एस० (इंगलैण्ड), ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, ओरियन्टल गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी लाइफ़ एश्योरेंस कम्पनी लिमिटिड के भूतपूर्व सचिव तथा मुख्य लेखापाल ।

[१]Ex-Actuary

लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमीनदीवी द्वीप समूह में धान, नारियल तथा नारियल-जटा उद्योग

†१३४९. { **श्री स० चं० सामन्त :** / **श्रीमती इला पालचौधरी :** }

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह में धान की खेती के लिये अब तक क्या प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ने इस क्षेत्र में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई सहायता दी है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस कार्य के लिये सरकार ने क्या पग उठाये हैं; और

(घ) वहां पर नारियल जटा उद्योग की क्या स्थिति है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत २५ एकड़ भूमि में धान की खेती करने की योजना बनाई गई है । कल्पनी द्वीप में धान की खेती करने और अन्द्रोथ द्वीप में मौजूदा धान की खेती में सुधार करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं । योजना में द्वीप-समूह में धान और रागी बीजों के निःशुल्क वितरण के लिये ४१०० रुपये का उपबन्ध किया गया है ;

(ख) जी, अभी नहीं ।

(ग) नारियल की खेती में सुधार करने के लिये भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४४,५०० रुपये का उपबन्ध किया है । निम्नलिखित उपायों द्वारा ये कार्य किये जायेंगे :

(१) प्रत्येक द्वीप में प्रदर्शन भूमि-खंड का संगठन ;

(२) बीजों का रियायती दरों पर सम्भरण तथा उर्वरकों का निःशुल्क सम्भरण ;

(३) नारियल रोगों का कीटाणुनाशक और फफूननाशक औषधियों के निःशुल्क सम्भरण द्वारा उन्मूलन ;

(४) चूहा विष के निःशुल्क वितरण द्वारा चूहों के उत्पात को समाप्त करना ;

(५) साहाय्यित दरों पर कृषि उपकरणों का सम्भरण ।

(घ) द्वीपसमूह में नारियल जटा उद्योग का अभी विकास नहीं हुआ है । वे इस समय केवल नारियल जटा के सूत का उत्पादन करते हैं जो वस्तु विनिमय के आधार पर सरकार को चावल के बदले में बेच दिया जाता है । तथापि द्वीपसमूह में नारियल जटा उद्योग में सुधार की सम्भावना है । तदनुसार, इस कार्य के लिये योजना में ३,५०,००० रुपये का उपबन्ध कर दिया गया है ।

राष्ट्रमंडलीय नौ-सेनाध्यक्षों का सम्मेलन

†१३५०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई राष्ट्रमंडलीय नौ-सेनाध्यक्षों के सम्मेलन में सम्मिलित हुए भारत के प्रतिनिधियों ने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह प्रतिवेदन किस प्रकार का है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी, हां ।

(ख) जिन विषयों पर विचार किया गया वह बताना जनहित में ठीक नहीं है । प्रतिवेदन के उन भागों पर जो किसी कार्यवाही के उपयुक्त हैं, विचार किया गया है ।

पंजाब में शिक्षा विकास कार्य-क्रम

†१३५१. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पंजाब को शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिये अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : पंजाब के 'राज्य शिक्षा विकास कार्यक्रम' के लिये कुल १४ करोड़ ८५ लाख रुपये के उपबन्ध में से प्रति वर्ष निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गयी :

१९५६-५७ . .	२ करोड़ ५९ लाख रुपये
१९५७-५८ . .	१ करोड़ ८३ लाख रुपये
१९५८-५९ . . .	१ करोड़ ९० लाख रुपये

तथापि १९५६-५९ में कुल ८८ लाख रुपये खर्च किये गये । पुनरीक्षित प्राक्कलनों से पता चलता है कि चालू वित्तीय वर्ष में १ करोड़ ६६ लाख रुपये के खर्च होने की सम्भावना है ।

हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले

१३५२. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश की सहकारी समितियों के भ्रष्टाचार के कई मामले केन्द्रीय सरकार को भेजे गये हैं ; और

(ख) इन मामलों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने कुछ दिन पहले अपनी सहकारी समितियों में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामलों की एक सूची भेजी थी ।

(ख) प्रशासन को जो कानूनी और दूसरे अधिकार प्राप्त हैं, उन के अन्तर्गत वह स्वयं ही इन मामलों में जो कार्यवाही जरूरी हो, करेगा ।

हिमाचल प्रदेश में ट्रक चलाने के लिये परमिट

१३५३. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा सहकारी समितियों को ट्रक चलाने के लिये कितने ट्रकों के परमिट दिये गये हैं ; और

(ख) क्या ये गाड़ियां सहकारी समितियों द्वारा स्वयं चलाई जाती हैं अथवा अभिकर्ताओं द्वारा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) नौ ।

(ख) ये गाड़ियां सहकारी समितियों द्वारा स्वयं चलाई जाती हैं ।

हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण

१३५४. **श्री पद्म देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५७-५८ में अब तक सड़कों के निर्माण पर हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा कितनी धन राशि व्यय की गई ; और

(ख) संस्थापन तथा निर्माण कार्य पर क्रमशः कितनी धन राशि व्यय की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) फरवरी १९५८ तक ८१.०३ लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

(ख) हिमाचल प्रदेश में कोई अलग हाई वे डिवीज़न नहीं है । हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के भवन तथा सड़क निर्माण डिवीजन के स्थापन पर दिसम्बर १९५७ तक ७.८० लाख रुपये खर्च किये गये हैं ।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†१३५५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड में कितनी वैतनिक महिला कार्यकर्ता हैं और इस पर वार्षिक कितनी धनराशि व्यय की जाती है ;

(ख) क्या राज्य समाज बोर्डों के चेयरमैनों और उनके कर्मचारीगण का खर्चा भी केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गयी निधि में से किया जाता है ;

(ग) क्या केन्द्रीय और राज्य बोर्डों का कोई और भी आय कर साधन है ; और

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत कितने पुरुष कार्यकर्ता हैं और उन पर कितना खर्च किया जाता है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क)

संख्या	वार्षिक व्यय
३८	. १,३०,२५१ रु० ३६ नये पैसे

(ख) राज्य बोर्डों के चेयरमैन अवैतनिक हैं । राज्य बोर्डों के कार्यालय स्थापना का खर्चा जिसमें चेयरमैनों का यात्रा भत्ता और प्रतिदिन भत्ता भी सम्मिलित होता है, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और सम्बन्धित राज्य सरकार बराबर बराबर सहन करती हैं । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा बुलाई गई बैठकों के सम्बन्ध में राज्य बोर्डों के चेयरमैनों का यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा दिया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड को केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है और राज्य बोर्डों को आधा अनुदान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड देता है और आधा सम्बन्धित राज्य सरकारें देती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) संख्या	वार्षिक व्यय
१०९	.........२,७४,७०२ रुपये ३२ नये पैसे

एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज

†१३५६. **श्री दामानी** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कालेज को अब तक कितनी सरकारी सहायता दी गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)**: भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज को केन्द्रीय सरकार ने अब तक निम्नलिखित अनुदान स्वीकृत किये हैं :

१९५६–५७ में	.	७ लाख रुपये *अनावर्ती*
१९५७–५८ में	.	३ लाख रुपये *आवर्ती*

असिस्टेंटों का स्थायीकरण

†१३५७. { **श्री मो० ब० ठाकुर** :
श्रीमती सुचेता कृपालानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९५५ में हुई खुली प्रतियोगी परीक्षा द्वारा भर्ती किये गये सब 'असिस्टेंट' स्थायी बना दिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह स्थायीकरण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). स्थायी रिक्त स्थानों पर भर्ती किये गये अधिकांश व्यक्ति जून, १९५६ या उसके बाद नौकरी पर आये। अतः उनकी परिवीक्षा की निर्धारित अवधि जून, १९५७ या उसके बाद पूरी होती थी। इन व्यक्तियों में से अधिकांश व्यक्तियों की परिवीक्षा के सन्तोषजनक पूरा करने की रिपोर्ट अभी प्रतिक्षित हैं। अन्य कुछ मामलों में कुछ अन्य औपचारिकतायें पूरी करना बाकी हैं। सम्बन्धित मंत्रालयों कार्यालयों से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही शीघ्र करने की प्रार्थना की गयी है और यह आशा की जाती है कि बहुत जल्दी ही आवश्यक औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी और स्थायीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

स्टैंडर्ड हिन्दी मैनुअल

१३५८. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय की वर्ष १९५६–५७ की रिपोर्ट के पृष्ठ ६४ पर उल्लिखित अब तक किन किन विषयों के स्टैंडर्ड हिन्दी मैनुअल तैयार किये जा चुके हैं ;

(ख) जो मैनुअल तैयार हो रहे थे उन में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इन मैनुअलों के लिखने का काम किन किन व्यक्तियों को सौंपा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क)

१. वनस्पति विज्ञान

२. भौतिकी

३. रसायन

(ख) नागरिक शास्त्र मैनुअल की लगभग आधी पांडुलिपि प्राप्त हुई थी, परन्तु यह १९-११-५७ को संशोधन के लिये लेखक को लौटा दी गई है। जिस लेखक को गणित मैनुअल तैयार करने का काम सौंपा गया है उसने पांडुलिपि शीघ्र ही भेजने का आश्वासन दिया है।

(ग) (१)	वनस्पति विज्ञान	डा० वी० बी० शुक्ला, अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान, विभाग, विज्ञान कालेज, रायपुर।
(२)	भौतिकी .	डा० जे० बी० सेठ, भौतिकी के निवृत्ति प्राप्त आचार्य, १३—राजपुर रोड, दिल्ली।
(३)	रसायन . .	डा० सत्यप्रकाश, रसायन के रीडर, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।
(४)	नागरिक शास्त्र . .	डा० बी० एम० शर्मा, अध्यक्ष, राजनीति विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(५)	गणित . . .	डा० आर० वैद्यनाथस्वामी, एए, माम्रोबेरी रोड, डाकखाना—रायापेट्ट, मद्रास ।

(डा० आर० वैद्यनाथस्वामी यह मैनुअल अंग्रेजी में लिखेंगे। पांडुलिपि का अनुमोदन हो जाने पर प्रकाशन के लिये उसका अनुवाद हिन्दी में दिया जायेगा।)

लोहे की छड़ों की आवश्यकता

†१३५९. **श्री सूपकार**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में भवन-निर्माण कार्य के लिये लोहे की छड़ों की लगभग औसतन कुल कितनी वार्षिक आवश्यकता होती है;

(ख) इसमें से कितने प्रतिशत देश में उपलब्ध हैं और कितने प्रतिशत इसका आयात किया जाता है; और

(ग) आयात पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) केवल भवन-निर्माण में उपयोग होने वाले लोहे के छड़ों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अनुसूचित आदिम जातियों के लिये वन सहकारी समितियों के लिये अनुदान

†१३६०. **श्री ब० स० मूर्त्ति**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ में अनुसूचित आदिम जातियों की सहायता करने के लिये बम्बई के नमूने पर वन सहकारी समितियों के संगठन के लिये (राज्य वार) कितना सहायक अनुदान दिया गया?

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]

त्रिपुरा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति

†१३६१. { श्री दशरथ देब :
श्री बांगशी ठाकुर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रशासन ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद् की सेवाओं के लिये छः महीनों के लिये प्रतिनियुक्ति पर भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वे व्यक्ति प्रतिनियुक्ति भत्ते के अधिकारी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय उन कर्मचारियों के लिये कोई प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार नहीं किया गया है ।

(ग) बहुत सी संस्थाओं और कार्यालयों को उन में काम कर रहे कर्मचारियों समेत, क्षेत्रीय परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया गया है । क्योंकि प्रशासन को उन पदों की कोई आवश्यकता नहीं है, जिन पर ये कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इन सारे व्यक्तियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देने का प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि समूचे विषय पर विचार हो रहा है ।

पाकिस्तान से आये मुसलमान

†१३६२. सरदार इकबाल सिंह : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से आये कितने मुसलमानों ने १९५७ में भारत में स्थायी निवास के लिये आवेदन पत्र दिये हैं ;

(ख) उन आवेदकों में से कितने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं और कितने पूर्वी पाकिस्तान से ; और

(ग) कितने व्यक्तियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ९२५ ।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान से ९०६ और पूर्वी पाकिस्तान से १९ ।

(ग) पश्चिमी पाकिस्तान के ६७९ और पूर्वी पाकिस्तान के ११ ।

अध्यापकों की गोष्ठियां

†१३६३. सरदार इकबाल सिंह : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि :

(क) शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने पिछले दो वर्षों में अध्यापकों की कितनी गोष्ठियां की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन गोष्ठियों पर कुल कितनी राशि व्यय हुई ;

(ग) इन गोष्ठियों ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने इनकी कोई सिफारिश मानी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५७]**

एम० ई० एस०

†१३६४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एम० ई० एस० ने १९५७–५८ में विभागीय तौर पर और ठेकेदारों की मार्फत कितने-कितने मूल्य का निर्माण कार्य किया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : विभागीय तौर पर ४१२.८ लाख रुपये
ठेकेदारों की मार्फत १४७६.१ लाख

उपर्युक्त आंकड़ों का हिसाब फरवरी, १९५८ के अन्त तक वास्तव में किये गये व्यय और १९५८ के अनुमानित व्यय के आधार पर लगाया गया है।

राजनैतिक पीड़ित

†१३६५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लोक-सेवा में पहली बार की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के मामले में १९५७ में राजनैतिक पीड़ितों के साथ कुछ रियायत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इन रियायतों का व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जहां तक पहली बार की नियुक्तियों का सम्बन्ध है, १९५७ में राजनैतिक पीड़ितों को कोई नयी रियायत नहीं दी गयी ।

जहां तक पुनर्नियुक्तियों का सम्बन्ध है, यह आदेश दिये गये हैं कि वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये उनकी पिछली सरकारी नौकरी की अवधि और साथ पुनर्नियुक्ति के पहले की अवधियों को भी जोड़ लिया जायेगा। आनुषंगिक स्थायीकरण और पदोन्नतियां जहां होनी हों भूतलक्षी प्रभाव से की जायेंगी लेकिन यह तिथि पुनर्नियुक्ति से पहले की नहीं होगी, और जहां आवश्यक होगा वहां निर्धारित संख्या से अधिक पदों की स्थापना की जायेगी ।

विज्ञान-मन्दिर

†१३६६. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ और १९५८–५९ में प्रत्येक विज्ञान मंदिर के लिये कितनी कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(ख) पंजाब में किन-किन स्थानों पर इनकी स्थापना की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) १६५७–५८ और १६५८–५६ में प्रत्येक नये विज्ञान मंदिर को आवंटित की गयी राशि इस प्रकार है :

	रुपये
(१) अनावर्त्तक	१६,५००
(२) आवर्त्तक	१२,४००
जोड़ .	२८,६००

लेकिन, पहले वर्ष के बाद प्रत्येक विज्ञान मन्दिर केवल १२,४०० रुपये की आवर्त्तक राशि का उपयोग करेगा ।

(ख) पंजाब में अब तक नीलोखेरी में एक विज्ञान मन्दिर की स्थापना हुई है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी

१३६७. श्री पद्म देव : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ मई, १६५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के अधीन इस समय काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों के बारे में जानकारी देने का जो वचन दिया गया था क्या वह अब उपलब्ध है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५८]** कुछ कार्यालयों से अभी जवाब आने बाकी हैं और उनके मिल जाने पर असली संख्या जल्द से जल्द सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मामी बाजार बोर्डिंग हाउस

†**१३६८. श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान त्रिपुरा के मामी बाजार ट्राइबल बोर्डिंग एण्ड क्राफ्ट सेंटर हाउस के घटिया दर्जे के निर्माण की ओर आकृष्ट हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५६]**

त्रिपुरा में स्मारक

†**१३६९. श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चतुर्दश देवता के मन्दिर, उदयपुर के माबाड़ी और अन्य स्मारकों के परिरक्षण का उपबन्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १६५७–५८ के लिये कितना उपबन्ध हुआ है ; और

(ग) त्रिपुरा के उनकुटी तीर्थ के परिरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां। त्रिपुरा राज्य के सभी रक्षित मंदिरों और अन्य स्मारकों की परीरक्षा के लिये उपबन्ध है। मां बाड़ी मन्दिर रक्षित स्मारक नहीं है।

(ख) ४,००० रुपये।

(ग) उनकुटी में मूर्तियों और नक्काशी वाली समूची पहड़ी को परिरक्षित करने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक आयुक्त

†१३७०. श्री इलयापेरुमाल : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक-सेवा आयोग की मार्फत १९५६ और १९५७ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने सहायक आयुक्तों की नियुक्ति की गयी ;

(ख) १९५५ से १९५७ तक कितने सहायक आयुक्तों को प्रत्यक्ष रीति से नियुक्त किया गया ; और

(ग) इनको प्रत्यक्ष रीति से किस आधार पर भर्ती किया गया ?

†गृह-कार्य उप मंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) एक।

(ख) छः, जिनमें से दो राज्यों की सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आये हैं और चार प्रत्यक्ष रीति से नियुक्त किये गये हैं।

(ग) प्रतिनियुक्ति पर आये दोनों अधिकारियों का चुनाव राज्य-सरकारों द्वारा भेजे गये नामों में से किया गया था। अन्य लोगों को इन पदों को भरने की तात्कालिक आवश्यकता के कारण अस्थायी आधार पर प्रत्यक्ष रीति से नियुक्त किया गया था। इनमें से एक तो वापस भी जा चुके हैं। दूसरे का प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग के सुपुर्द किया गया है। शेष मामलों को भी यथासमय आयोग के सुपुर्द कर दिया जायेगा।

केन्द्रीय विधियों का अवैधीकरण

†१३७१. श्री दामानी : क्या विधि मंत्री लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दिखाया गया हो कि १ जनवरी, १९५४ के बाद से कितने केन्द्रीय अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी है और उन्हें किस सीमा तक विपरीत पाया गया ?

†विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६०]

दिल्ली के साइकिल चलाने वाले

†१३७२. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रात में बत्ती लगा कर चलने का उपबन्ध करने वाले यातायात-नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली और नयी दिल्ली में १९५७ में कुल कितने साईकिल चलाने वालों का चालान किया गया ; और

(ख) दिसम्बर, १९५७ और जनवरी, १९५८ में ऐसी कुल कितनी घटनायें हुई ?

†मूल अंग्रेज़ी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ३५१४।

(ख)

दिसम्बर, १९५७	जनवरी, १९५८
२३७३	२५३८

आई० ए० एस० अफसर

†१३७३. **श्री अजित सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की असैनिक सेवाओं से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कितने अफसरों को भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, १९५५ के विनियम ३ के अधीन बनाई गई समितियों ने इन्हीं विनियमों के विनियम ५ के अधीन आई० ए० एस० में पदोन्नति के उपयुक्त समझा है ;

(ख) प्रत्येक राज्य की असैनिक सेवा से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने-कितने अफसरों को उपर्युक्त विनियमों के विनियम ७ के अधीन बनायी गयी चुने हुए व्यक्तियों की सूची में रखा गया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य की असैनिक सेवा से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कितने अफसरों को अन्तिम रूप से आई० ए० एस० में पदोन्नत कर दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : (क) से (ग). भारतीय प्रशासन सेवा (भरती) नियम के नियम ८ के अधीन, जिसके अधीन वह विनियम बनाये गये हैं जिनका जिक्र किया गया है, आई० ए० एस० में पदोन्नति गुणों और उपयुक्तता के आधार पर की जाती है। इसलिये संबंधित अफसरों की जाति आदि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं रखी जाती।

तिलक नगर गवर्नमेंट स्कूल, नई दिल्ली

†१३७४. **श्री अजित सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नयी दिल्ली में तिलक नगर के गवर्नमेंट स्कूल में हाई-स्कूल कक्षाओं को पंजाबी पढ़ाने का प्रबन्ध है ; और

(ख) यदि नहीं तो क्यों ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**. (क) जी नहीं।

(ख) तिलक नगर के गवर्नमेंट स्कूल में हाई-स्कूल की कक्षाओं को पंजाबी पढ़ाने का प्रबन्ध इसलिये नहीं किया जा सका क्योंकि इन कक्षाओं में इसका पढ़ाना शुरू करने से पहले दिल्ली के बोर्ड आफ हायर सेकेन्डरी एजुकेशन की अनुमति आवश्यक है। यह किया जा रहा है।

स्टेनोग्राफर

†१३७५. **श्रीमती सुचेता कृपालानी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा योजना में इसकी विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारियों की संख्या का वार्षिक पुनरीक्षण करने का उपबन्ध है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो १९५१ के बाद से इस प्रकार के कितने पुनरीक्षण हो चुके हैं और ये किन-किन वर्षों के बारे में हैं ;

(ग) पिछले पुनरीक्षण के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में स्थायी और अस्थायी पदों की कितनी संख्या घोषित की गयी है ;

(घ) क्या पिछले पुनरीक्षण के बाद से पात्र व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के स्थायी पदों पर स्थायी बना दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें स्थायी बनाने में कितना समय लगेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) केवल एक पुनरीक्षण पूरा हुआ है । यह १९५५ के लिये था । इस से पहले कोई पुनरीक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि सेवा की श्रेणी १ और श्रेणी २ १ मई, १९५५ से ही लागू हुई हैं ।

(ग) स्थायी

श्रेणी १	८३
श्रेणी २	१४२
श्रेणी ३	८९६

यह पुनरीक्षण अस्थायी पदों के सम्बन्ध में नहीं किया जाता । अस्थायी पदों को सेवा में अस्थायी वृद्धि के रूप में माना जाता है और इनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटती बढ़ती रहती है ।

(घ) और (ङ). सेवा की श्रेणी ३ के ४७० रिक्त स्थानों में से २०८ पात्र व्यक्ति स्थायी बनाये जा चुके हैं । शेष व्यक्तियों को भी आवश्यक प्रारम्भिक कार्यवाही, जैसे डाक्टरी जांच, आदि पूरी होने पर स्थायी बना दिया जायेगा ।

श्रेणी १ और श्रेणी २ के सम्बन्ध में स्थायी बनाने के सिद्धांत संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से तय किये जा चुके हैं और स्थायी बनाने के आदेश जल्द ही जारी कर दिये जायेंगे ।

गणतन्त्र और स्वतन्त्रता दिवस समारोह

१३७६. { **श्री रा० स० तिवारी :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री वाजपेयी : }

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ जनवरी और १५ अगस्त को राज्य द्वारा किये जाने वाले समारोहों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवर्ष दिल्ली में जो कवि सम्मेलन अथवा मुशायरा होता है, क्या उसके लिये कोई अनुदान अथवा सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो यह सहायता अथवा अनुदान किस रूप में और कितना दिया जाता है, और यह किसको दिया जाता है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) इस सहायता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अथवा निकाय किस प्रकार चुना जाता है और क्या यह चुनाव किसी व्यक्ति अथवा बोर्ड को सिफारिश पर अथवा किसी अन्य तरीके से किया जाता है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) स्वतन्त्रता दिवस पर सरकार द्वारा कोई कवि सम्मेलन या मुशायरा संगठित नहीं किया जाता। १६५५ में गणराज्य दिवस के सम्बन्ध में पहली बार मुशायरा संयोजित किया गया। गणराज्य दिवस के कार्यक्रम में मुशायरा और कवि सम्मेलन १६५६ से शामिल किये गए हैं। इनको संगठित करने में सरकार पिछले दो वर्षों से वित्तीय सहायता देती रही है।

(ख) सरकार ने बैठने के स्थान, रोशनी, लाउडस्पीकरों आदि का खर्च, जो दोनों उत्सवों के लिये मान्य है, स्वयं उठाया। इस वर्ष यह खर्च ५,००० रुपये था। दूसरे खर्च के लिये उन दो संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी गई जिन्होंने पिछले दो वर्षों में इन उत्सवों को संगठित किया, जैसे कि (१) दिल्ली प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन को कवि सम्मेलन के लिये, और (२) एक तदर्थ संगठन समिति को मुशायरे के लिये। इस वर्ष का लेखा जोखा अभी तैयार नहीं है। पर अनुमान है इन दोनों को दी गई कुल वित्तीय सहायता १५,००० पये के अन्दर अन्दर होगी।

(ग) इन उत्सवों के संगठन करने वाले इस वर्ष गणराज्य दिवस उत्सव की कार्यपालिका समिति की अनुमति से चुने गये थे।

अफीम का तस्कर व्यापार

†१३७७. **श्री सें० वें० रामस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के आबकारी विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में चोरी से अफीम लाने-लेजाने वाले ३०० से भी अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके पास से ५,५६,००० रुपये के मूल्य की सात मन अफीम बरामद की है ;

(ख) क्या यह गिरफ्तारियां सिंगापुर से कुछ समय पूर्व मिली जानकारी के अनुसरण में की गयी हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली ही वह केन्द्र है जहां से अफीम चोरी से कलकत्ते होकर सिंगापुर ले जायी जाती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) दिल्ली के आबकारी विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष १६५७–५८ में अब तक चोरी से अफीम लाने-लेजाने वाले २०१ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से एक लाख रुपये के मूल्य की ४१/२ मन अफीम बरामद की है।

(ख) सिंगापुर के अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर केवल एक गिरफ्तारी हुई है।

(ग) सरकार को उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि दिल्ली ही वह केन्द्र है जहां से अफीम चोरी से कलकत्ते होते हुए सिंगापुर ले जायी जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां

†१३७८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों के मैट्रिक के बाद की कक्षाओं के कितने छात्रों को १९५७ में छात्रवृत्तियां दी गयी हैं ; और

(ख) प्रत्येक वर्ग में कितने कितने आवेदन प्राप्त हुए थे ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६१]**

बाली समुद्र-विमान केन्द्र

†१३७९. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ते के निकटस्थ दक्षिणेश्वर के बाली समुद्र-विमान केन्द्र के उत्तरी प्रवेश-मार्ग के निकट काफी मात्रा में फालतू भूमि उपलब्ध है ; और

(ख) क्या इस में से कुछ भूमि दी जायेगी, और यदि हां, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

भारत सचिव (सामान्य भविष्य निधि) नियमों में संशोधन

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : श्रीमान, मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ उपधारा (२) के अन्तर्गत भारत सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) जी० एस० आर० संख्या ९१ दिनांक ८ मार्च, १९५८

(२) जी० एस० आर० संख्या ९२, दिनांक ८ मार्च, १९५८

[पुस्तकालय में में रखी गई । देखिये संख्या एल टी—६०३/५८]

पशुओं के प्रति निर्दयता निरोध समिति का प्रतिवेदन

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : श्रीमान्, मैं पशुओं के प्रति निर्दयता निरोध समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—६४४/५८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियमों में संशोधन

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, मैं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसुचनाओ की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

(१) जी० एस० आर० संख्या ७३, दिनांक १ मार्च, १९५८

(२) जी० एस० आर० संख्या ९४, दिनांक ८ मार्च, १९५८

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल ६०२।५८]

राज्य-सभा से संदेश

†**सचिव**: मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से निम्नलिखित संदेश मिले हैं :

(१) कि लोक-सभा द्वारा १० मार्च, १९५८ को पारित नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक, १९५८ को राज्य-सभा ने अपनी १३ मार्च, १९५८ की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

(२) कि निम्न विधेयकों के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

(१) विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५८

(२) विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८ ।

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

†**सचिव** : श्रीमान्, मैं १० फरवरी, १९५८ को सभा को दी गई सूचना के बाद, चालू सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित दो विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) विनियोग विधेयक, १९५८

(२) केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५८ ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्ति

†**श्री हेम बरुआ (गोहाटी)** : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"लंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों के सम्बन्ध में लंका के प्रधान मंत्री का कथित वक्तव्य"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, लंका के प्रधान मंत्री ने अपने राजनीतिक दल, श्रीलंका स्वतंत्रता दल (श्रीलंका फ्रीडम पार्टी) के वार्षिक अधिवेशन में भारत-लंका समस्या सम्बन्धी एक संकल्प पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए हाल ही में एक भाषण दिया था। उनके भाषण की प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं है परन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार ऐसा पता लगता है कि उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीयकरण तथा नागरिकता की समस्यायें आपस में इतनी मिली जुली हैं कि यदि सम्पदाओं का पहले राष्ट्रीयकरण हुआ तो सरकार को इन में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों की, जो गैर-राष्ट्रजन हैं, देखभाल करनी होगी। इससे सरकार के लिये और अधिक समस्यायें उत्पन्न हो जायेंगी। प्रधान मंत्री ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि गैर-राष्ट्रजनों को कार्मिक संघों में शामिल होने का अधिकार न दिया जाये अथवा उनको किसी पद पर नियुक्त न किया जाये। उन्होंने कहा कि ये बातें लोकतंत्रीय प्रथा के प्रतिकूल हैं।

अपने भाषण में प्रधान मंत्री ने बताया कि भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों की समस्या बहुत उलझ गई है और इसका संतोषजनक हल मालूम करना असंभव सा हो गया है। उन्होंने कहा कि फिर भी समस्या का हल करने की दिशा में जो प्रयत्न होंगे वे दोनों देशों के वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को बनाये रखने पर ही आधारित होंगे। उन्होंने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि समस्या को इस ढंग से सुलझाया जाना चाहिये जिससे राज्यहीन व्यक्तियों को अनुचित कठिनाइयां न उठानी पड़ें, और जिससे लंका के राष्ट्रजनों को भी कोई हानि न हो। उन्होंने कहा कि न्याय इसी में होगा कि इतने वर्षों से चल रहे व्यक्तियों को, जिन्होंने इस देश को अपना घर बना लिया है, अपने में मिला लिया जाये।

प्रधान मंत्री का सामान्यतः यही भाव था कि यह एक मानवीय समस्या है और उसी आधार पर इसका हल खोजना चाहिये।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि माननीय सदस्य और कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो वह और प्रश्न प्रस्तुत कर सकते हैं। सामान्यतः ऐसे अवसरों पर मैं प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देता हूं।

सामान्य आयव्ययक--सामान्य चर्चा—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में अब १९५८-५९ के सामान्य आय-व्ययक पर अग्रेतर चर्चा होगी। सामान्य चर्चा के लिये आबंटित २० घंटों में से १४ घंटे १३ मिनट समाप्त हो चुके हैं और ५ घंटे ४७ मिनट शेष रहते हैं, वित्त मंत्री उत्तर कब देंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : श्रीमान्, मैं कल उत्तर देना चाहूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा। पंडित ब्रज नारायण 'ब्रजेश' अपना भाषण जारी रखें।

---

† मूल अंग्रेजी में

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) : अध्यक्ष महोदय, में निवेदन कर रहा था कि हिन्दुस्तान में कृषि की वृद्धि करने के लिए, अधिक से अधिक अन्नोत्पादन करने की दृष्टि से और देश के विभिन्न वर्गों में स्थायी प्रेम उत्पन्न करने के लिए गो-संरक्षण और गो-संवर्द्धन अत्यन्त आवश्यक है । जहां हमारा शासन यह नारा लगाता है कि अधिक अनाज पैदा करो और बच्चे कम पैदा करो, वहां मैं उल्टा देख रहा हूं कि बच्चे अधिक पैदा हो रहे हैं और अनाज कम हो रहा है । क्या कभी हमारे शासन ने इस बात पर विचार किया है कि सारे देश का ध्यान निरन्तर इस तरफ़ आकर्षित करते रहने पर भी वह विपरीत दिशा में क्यों जा रहा है ? इस का कारण स्पष्ट है और वह यह है कि किसान को आज कृषि करने के लिए बैल नहीं मिलते हैं, उस के पास भूमि भी पर्याप्त नहीं है और खेती करने के लिए अन्य साधन भी पर्याप्त नहीं हैं । इस अवस्था में वह अधिक अनाज उत्पन्न करने में असमर्थ है । अस्तु इस दिशा में शासन के गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इस के साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे देश में आरोग्यता को बढ़ाने की दिशा में आयुर्वेद शास्त्र की दृष्टि से किंचित् मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया है । बजट में इस के लिए जो सहायता होनी चाहिए थी, वह मैं नहीं देख रहा हूं ।

मैं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता, कृपालानी जी, को बड़े आदर की दृष्टि से देखता हूं । उन्होंने अपने भाषण में शासन और प्रधान मंत्री से जो अपील की है, उसके सम्बन्ध में मैं शासन से और अपने प्रधान मंत्री महोदय से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि देश पर कृपा कर के उन की अपील पर किंचित् मात्र भी ध्यान न दीजिये और इसलिए न दीजिये कि इस समय जब देश में चारों तरफ़ अराजकता और अशांति बढ़ रही है और जिन लोगों में कभी भी किसी भी प्रकार के द्वेष उत्पन्न होने की सम्भावना नहीं थी, उन में भी शासन की भूलों के कारण द्वेष का निर्माण हो गया है, तब यहां केवल पंचशील पर आधारित होना देश को खतरे की तरफ़ ले जाना होगा ।

मैं अभी तक नहीं समझ सका हूं कि पंजाब में हिन्दू और सिख क्यों लड़ रहे हैं । इतना कुशल और योग्य शासन हिन्दुस्तान में निर्माण हो गया है । वही सिख जिन के गुरु यह घोषणा करते रहे कि

अखिल हिन्द में खालसा पंथ गाजे,
जगे धर्म हिन्दू सकल भंड भाजे,
न दीखे कहूं दुष्ट तुर्कन निशानी,
चले सब जगत में धरम की कहानी ।

वही सिख आज हिन्दुओं से लड़ रहे हैं और हिन्दू सिखों से लड़ रहे हैं । ऐसी दशा में पंचशील और अहिंसा का प्रोग्राम चलने वाला नहीं है और अगर शासन उस पर चलता रहा, तो मुझे बताइये कि कैसे देश आगे बढ़ेगा । इधर मैं देखता हूं कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता द्रविड़ कड़गम के साथ गठबन्धन कर के उस को मुस्लिम लीग की तरह प्रोत्साहन दे कर हिन्दुस्तान के नाश का कारण बनते जा रहे हैं । दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि जो इस देश के सर्वोच्चाधिकारी और राजनीति के महान् पंडित रहे, वही इस समय इसी पार्टी के द्वारा निश्चित, इसी पार्टी के द्वारा निर्धारित और इसी राज्य शासन के द्वारा घोषित राष्ट्र भाषा हिन्दी के विरुद्ध इधर उधर गठबन्धन कर के उस के विरुद्ध प्रचार करने में लगे हुए हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि देश में चारों ओर राष्ट्रघाती नीति ज़ोर पकड़ती जा रही है । इधर बंगाल के लाखों लोग भूख से त्राहि त्राहि कर रहे हैं । बिहार में भी यही अवस्था हो रही है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अशांति और अराजकता के इस समय में यदि कहीं सेना को कमज़ोर कर दिया

गया, सुरक्षा पर से ध्यान हटा दिया गया और केवल सद्भावना का नारा लगाया गया, तो यह देश के साथ एक महान् राष्ट्रघात होगा, यह एक महान् अदूरदर्शिता होगी । कृपालानी जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि उन्हें सद्भावना पर विश्वास है, तो फिर कांग्रेस में ही रह कर उन्होंने कांग्रेस की नीति को बदलने का प्रयत्न क्यों नहीं किया, क्यों वह कांग्रेस को छोड़ कर के० एम० पी० में चले गये । मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि वह यह भी बतायें कि वह अपने ही घर में अपने ही आदमियों का मत क्यों न बदल सके । कारण इस का यह है कि केवल सद्भावना से ही काम नहीं चलता है । पाकिस्तान निर्माण हुआ और सद्भावना काम में नहीं आई और आज हम देखते हैं कि निरी सद्भावना से काम नहीं चलता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में केवल अमरीका के भरोसे पर रहने से काम नहीं चलेगा । आज पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र अमरीका दे रहा है और हज़ार रुपये के हथियार सौ रुपये में दे रहा है । वह क्यों देता है ? इतने हथियार और इतने शस्त्रास्त्र आखिर क्यों दिये जा रहे हैं ? और ब्रिटिश कामनवैल्थ में होते हुये भी काश्मीर के सम्बन्ध में ब्रिटिशर्ज़ हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं ? फ्रांस और अमरीका हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं ? वे हमारे प्रधान मंत्री के गले में मालायें क्यों पहनाते हैं ? उन का जयजयकार ही क्यों करते हैं ? पंचशील पर हस्ताक्षर क्यों करते हैं ? जो करना चाहिये वह तो वे करते नहीं हैं और हम को मूर्ख बनाने के लिये दुनिया के सब लोग ढोंग रचा करते हैं । यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे घर के लोग भी हम को उस तरफ़ ले जाना चाहते हैं । मैं शासन और प्रधान मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन का ध्यान इस तरफ़ गया है और पिछले सैशन में उन्होंने इस बात का जवाब दिया था कि हम पंचशील को मानते हैं, अहिंसा को मानते हैं, पर इस का तात्पर्य यह नहीं है कि हम देश को खतरे में जाने देंगे । देश की सुरक्षा के लिये हमें सेना की तरफ़ ध्यान रखना पड़ेगा । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम पंचशील को मानते हैं, बुद्ध को भी मानते हैं, महावीर को भी मानते हैं, नानक को भी मानते हैं और अशोक को भी मानते हैं, परन्तु इस के मायने ये नहीं हैं कि हम गुरु गोविन्द सिंह को भूल गये हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, राम और कृष्ण को भूल गये हैं । जहां हम अहिंसा को मानते हैं, वहां हम सुदर्शन-चक्र में भी विश्वास रखते हैं । जहां हम शास्त्र जानते हैं, वहां हम शस्त्र भी जानते हैं । हम चाहते हैं कि दुनिया में शान्ति रहे । हमारा अमरीका से कोई द्वेष नहीं है, रशिया से कोई झगड़ा नहीं है, इंगलैंड से कोई शत्रुता नहीं है, परन्तु यदि कोई हम से लड़ने के लिये या हानि पहुंचाने के लिये तत्पर और उद्यत हो जाय, तो क्या हम केवल चर्खा ले कर बैठे रहेंगे ? तब हम को संघर्ष करने के लिये आगे बढ़ना पड़ेगा । अपने देश की सुरक्षा के लिये हम को अपने लोगों और अपनी सेना को शक्तिशाली बनाना होगा और सुरक्षात्मक कार्यवाहियों की तरफ़ ज्यादा ध्यान देना होगा । यह अत्यन्त आवश्यक है । केवल रोने और गिड़गिड़ाने से दुनिया में काम नहीं चलता । और प्रेम और सद्भावना सिनेमा के चित्र में एक दिल के हज़ार टुकड़े करने के लिये ठीक हैं परन्तु संसार की वर्तमान परिस्थितियों में जहां किसी देश की सुरक्षा का सम्बन्ध हो, वहां पर केवल सद्भावना से काम नहीं चलता है । मैं तो दूसरे के लिये अपने प्राण देने के लिये तैयार रहूं और वह मेरे सारे परिवार के प्राण लेना चाहे, ऐसी अवस्था में सद्भावना और प्रेम से काम नहीं चल सकता है । इसलिये हम को अपनी सेना को और अधिक सज्जित करना पड़ेगा और उस पर और अधिक खर्च करना पड़ेगा । मैं तो यह कहता हूं कि सेना को सशक्त बनाने के लिये अगर और कर लगाने की आवश्यकता पड़ी, तो हम आगे आयेंगे और अधिक कर देने के लिये तैयार रहेंगे । मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो बड़े बड़े पूंजीपति बैठे हैं—निज़ाम हैदराबाद और दूसरे नरेश इत्यादि—उनसे क्यों नहीं यह प्रार्थना की जाती कि तुम भी देश के नागरिक हो, देश की स्वतन्त्रता को कायम रखना आवश्यक है, इसलिये आगे आओ और सरकार की सहायता करो, अपना पैसा उद्योग-धंधों में लगाओ, सरकार को क़र्ज़ दो । उन लोगों के पास अरबों खरबों रुपये पड़े हुये हैं, जिन को वे विदेशों में ले जाने का इरादा रखते हैं । अमरीका से क़र्ज़ा लेने के बजाय निज़ाम हैदराबाद से क़र्ज़ा

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

लेना चाहिये, जिससे हम को रुपये के लिये विदेशों के आगे हाथ न फैलाने पड़ेंगे, हमारा काम भी चल जायगा और उस रुपये को हम सुविधानुसार चुका सकेंगे और हमें चिन्ता भी नहीं रहेगी। इस दिशा में सरकार को प्रगति करनी चाहिये।

जहां तक काश्मीर समस्या का सम्बन्ध है, उस को अत्यन्त शीघ्र सुलझाया जाना चाहिये। वहां के प्रधान मंत्री हमारी तरफ़ देख रहे हैं। वह रोज़ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हिन्दुस्तान में भी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र चल रहा है।। उधर शेख अब्दुल्ला बख्शी गुलाम मुहम्मद की टांग पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम ने जिस व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया है, अगर हम उस की भी सहायता नहीं करेंगे तो फिर हमारे साथ कौन आयगा, कौन हमारे साथ खड़ा रहेगा? इस समय आवश्यकता इस बात की है कि बख्शी गुलाम मुहम्मद के हाथ मज़बूत करने के लिये शेख अब्दुल्ला के खिलाफ़ मुकदमा चलाया जाय, जो कि काश्मीर में आज राष्ट्रघाती कार्यवाहियां कर रहे हैं और काश्मीर में और इस देश में अशांति और अराजकता का कारण बन रहे हैं। अगर उनका आन्दोलन बढ़ गया, तो हमारे बजट का जो पैसा द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के लिये निर्धारित हुआ है, वह काश्मीर में लगना आरम्भ हो जायगा और फिर हमारी योजना पड़ी रह जायेगी। प्रथम पंच-वर्षीय योजना समाप्त हो गई। उस में जो पैसा लगा, उससे जो मुनाफा होना चाहिये था, वह हमारे सामने नहीं है और घाटा ही घाटा दिखाई दे रहा है। घाटे के साथ ही साथ विभिन्न कठिनाइयां हमारे सामने खड़ी हो रही है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि इस देश में जो राष्ट्रघाती प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, शासन को उन का मज़बूती के साथ दमन करना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि चाहे मैं ही क्यों न राष्ट्रघाती कार्य करूं मुझ पर भी वह नीति बरतनी चाहिये। वह नीति किसी भी देशद्रोही पर बरती जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिये। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता है चाहे वह भगवान ही क्यों न हो, जो अगर राष्ट्रघाती कार्य करता है, तो हम उस की भगवत्ता स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में एक फर्म पालिसी अपनाई जानी चाहिये। आज सारे देश में सैनिकीकरण करने की अत्यन्त आवश्यकता है। थोड़े से हथियार बनाने के बजाय या बाहर से खरीदने के बजाय हम को अपने देश के प्रत्येक नौजवान के लिये सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये। उस को अच्छी पुष्ट सामग्री खाने के लिये देनी चाहिये। देश के प्रति उस का स्वाभिमान जाग्रत करना चाहिये। जिस प्रकार दूसरे देशों के लोगों में अपने देश पर मरने का स्वाभिमान होता है वैसे ही हमारे यहां भी इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। हम यह सोचते हैं कि हम अपना घर बना लें, हम बड़े हो जायें, देश चाहे भट्टी में चला जाये। इस प्रकार की जो भावना है, इसका दमन होना चाहिये, यह भावना नष्ट होनी चाहिये। हम सब हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, हम कंधे से कंधा भिड़ा कर आगे बढ़ेंगे, यह भावना यहां जागृत होनी चाहिये। पंजाब के हिन्दुओं और सिक्खों के अन्दर इस तरह से संघर्ष चलते रहने देना राष्ट्र के लिये अत्यन्त हानिकारक है। यही चीज़ महाराष्ट्र और गुजरात में हो रही है। मराठी और गुजराती वहां पर आपस में लड़ रहे हैं। यह कौन सा फार्मूला निकाला गया है जिसके कारण वे आपस में लड़ने लग गये हैं ....

कुछ माननीय सदस्य : वे नहीं लड़ रहे हैं। सरकार उनको लड़ाना चाहती है।

पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश" : मेरा कहना यह है कि सरकार को इस तरह की पालिसी अख्त्यार नहीं करनी चाहिये जिससे लोग आपस में लड़ना, झगड़ना शुरू कर दें। इस तरह के परीक्षण क्यों किये जा रहे हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है। हम सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, और एक साथ मरने के लिये भी तैयार हैं। सरकार ने उनको डिवाइड किया हुआ है। वे लड़ना

नहीं चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा पांसा फैंका गया है जिस से वे लड़ने के लिये विवश हो गये हैं । इस दिशा से निकाल कर उनको ठीक दिशा में लाना सरकार का कर्तव्य है । उनकी शक्ति को राष्ट्र के उपयोग में लगाना चाहिये । इस ओर उनकी शक्ति को लगाने के बजाय उसका उपयोग हम उनको लड़ाने में लगा रहे हैं, यह दूरदर्शिता की बात नहीं, बुद्धिमत्ता की बात नहीं ; हमने एक कमीशन बिठाया था और उस पर हमने लाखों रुपया खर्च किया । इतना पया खर्च करने के बाद भी हमने उसकी बात को नहीं माना और लोगों को आपस में लड़ा दिया । जो हमारे नये वित्त मंत्री बने हैं, श्री मोरारजी देसाई उनको पांच सात दिन तक व्यर्थ की बातों में भूखों मरना पड़ा है । इस तरह से लोगों को लड़ाना सरकार को शोभा नहीं देता है । इस तरह से हमारी शक्ति का अपव्यय नहीं होना चाहिये ।

सरकारी धन का इस तरह से अपव्यय नहीं होना चाहिये जिस तरह से कि अब हो रहा है । इस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । मुझे पता चला है कि हमारे यहां एक नैशनल सैम्पल सर्वे का डिपार्टमेंट है जो कि सेक्रेटेरियट के अंडर में है । वहां पर भी बड़ा गोलमाल हुआ है, और हो रहा है । अगर इनक्वायरी की जाय तो दूसरा मूंदड़ा कांड भी वहां निकल पड़ेगा । लाखों रुपया वहां इधर से उधर हो रहा है, बरबाद हो रहा है । कितने ही डिपार्टमेंट्स में इस तरह का कार्य चलता है । कहीं कहीं तो लोग यह समझने लग गये हैं कि अब मौका हाथ लग गया है, फिर लगे या न लगे, क्या पता ? और इसका पूरा फायदा उठा लिया जाना चाहिये । जब देश में ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो, तो देश का कैसे कल्याण हो सकता है, कैसे देश का हित हो सकता है, कैसे देश ठीक रास्ते पर चल सकता है । इस तरह की भावना कि अब अवसर मिल गया है, फिर मिले न मिले, अब खा पी लो, अब आनन्द कर लो, अच्छी नहीं है । इससे राष्ट्र में शक्ति कभी भी नहीं आयेगी । हमें इस भावना को अपनाना होगा कि मैं जिस स्थिति में पैदा हुआ हूं, उस स्थिति में यदि मुझे अपने प्राणों का भी उत्सर्ग करने का मौका मिले, तो यह मेरा सौभाग्य होगा । हममें यह भावना जागृत होनी चाहिये कि यदि देश को हमारे प्राणों की भी आवश्यकता है, तो उन्हें भी देने के लिये हम तैयार हैं । एसी भावना तो पैदा नहीं हो रही है लेकिन हम विपरीत दिशा में ही जा रहे हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि यह जो अपव्यय हो रहा है, यह बन्द होना चाहिये और जो हमारे पास पैसा है, जो हमारा कोष है, उसको हमें सन्मार्ग पर लगाना चाहिये, उसको हमें अच्छे कार्यों के लिये खर्च करना चाहिये । अगर ऐसा नहीं होगा तो यही होगा कि

दंष्ट्रा विरहितः सर्प भग्न श्रृंगोऽथवा वृष :
तथा वैरी-परिज्ञेयो-यस्य नार्था न सेवकः ।

जिसके पास न सेवक हो न अच्छा सुदृढ़ कोष, दुनिया में उसकी कोई परवा नहीं करता । ऐसे शत्रु की कोई चिन्ता नहीं करता है । इसलिये न अमरीका, न चीन, न इंगलैंड और न ही पाकिस्तान हमारी चिन्ता करते हैं । जिस दिन दुनिया को यह मालूम हो जायगा कि हमारे पास शस्त्रास्त्र हैं, हम सशक्त हैं, हम सकोष हैं और सद्भाव और प्रेम के साथ हम रहना चाहते हैं, उसी दिन दुनिया हमारे चरणों में गिर पड़ेगी और जय जयकार करती हुई सच्चे अर्थों में हमारे प्रधान मंत्री के गले में फूलमाला पहना देगी ।

इसलिये मैं कहता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि यहां सैनिक शिक्षा न दी जाय और यहां शस्त्रास्त्र न बढ़ाये जायें, उनकी बात को आप मत सुनिये, उससे कुछ भी काम बनने वाला नहीं है । निरी सद्भावना से कुछ नहीं होगा । किसी कालेज में लड़कों के सामने या साधु सन्यासियों के सामने

[पंडित ब्रज नारायण "ब्रजेश"]

इस तरह के भाषण देना ठीक हो सकता है लेकिन और किसी के सामने नहीं। हम मिशनरी बन कर अपना काम नहीं चला सकते हैं। हमें रीयलिस्टिक बनाना होगा, हमें वास्तविकतावादी बनना होगा। आप जानते ही हैं कि अपने देश के ऋषियों मुनियों ने कहा भी है :

शठे शाठ्यम् समाचरेत् ।
शाठ्यम् सदा दुर्जने प्रीतिः साधुजने ।
नयोनृप जने-विदत् जने चार्गवम् ।

और भी आगे कहा गया है :

ये यथा वर्तितव्या मनुष्याः ते तथा वर्तितव्यम् स धर्मः ।

जो मनुष्य जिस व्यवहार के योग्य है, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिये। यदि यह न किया गया और व्यर्थ में ही किसी रास्ते चलती स्त्री के साथ पत्नी सा व्यवहार किया गया, तो सिवाय पिटाई के और क्या हो सकता है। जो जिस व्यवहार के योग्य हो उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिये। यही बुद्धिमत्ता है, यही नीतिमत्ता है, यही राजनीति है। यह नहीं होना चाहिये कि

स्वजनेषु वैरम्—परेषु मैत्री ।

दूसरे के साथ तो प्रेम और घर वालों के साथ द्वेष, घर वालों को कम्युनल कहना और बाहर वालों को कहना नैशनल, इस नीति से देश का कल्याण नहीं होगा। जो नहीं करना चाहिये उसको तो करने के लिये उद्यत रहना और जो करना चाहिये, उसको नहीं करना, इससे काम नहीं चल सकता है। अस्तु मैं चाहता हूं कि जिस दिशा में जाकर हम पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वहां से निकल कर ठीक रास्ते पर हम को आना चाहिये। मुझे खुशी है कि शासन कुछ कुछ ठीक रास्ते पर आने लगा है। यद्यपि अभी तक पूरे डिब्बे पटरी पर नहीं आये हैं, लेकिन कुछ तो चढ़े हैं और मैं आशा करता हूं कि वे ठीक चलेंगे भी। लेकिन कुछ लोग इन को उतारने पर चिपटे हुए हैं। जिस प्रकार रेलों की दुर्घटनायें बढ़ रही हैं, शासन में भी कुछ लोग दुर्घटनाओं को बढ़ाने के लिये उद्यत हैं। लेकिन अब जब गाड़ी पटरी पर आई है, वह ठीक चलाई जानी चाहिये । शासन ने जो मार्ग अपनाया है, वह सकुचाते, डरते, भयभीत होते पकड़ा है। मुझे डर है कि कहीं वह उस मार्ग को छोड़ न दे। हमें गाड़ी को पटरी पर बिठाना होगा। हमें सद्भावना की बात कहनी होगी। हमें पंचशील की बात कहनी होगी। हमें अहिंसा की बात कहनी होगी। लड़ाई मत करो, नहीं तो मरोगे, यह भी बोलना होगा। लेकिन अगर कोई मारने के लिये आ जाये तो लड़ने के लिये भी तैयार रहना होगा। केवल बात करते रहने से काम नहीं होगा। धन्यवाद।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : आय-व्ययक पर योजना की प्रस्थापनाओं को ध्यान में रखते हुए ही विचार करना होगा। योजना को सभा ने स्वीकार कर लिया है और इसीलिये हमें त्याग तथा दृढ़ संकल्प द्वारा इसको पूरा करना है ऐसा द्वितीय योजना के प्रतिवेदन में दिया है। जब इसको पूरा करना है तो करारोपण आवश्यक है। मैं इस तथ्य को स्वीकार करते हुए यह भी बता देना चाहता हूं कि यह करारोपण इतनी सीमा तक होना चाहिये जिससे ह्रासी प्रत्यायें[1] की स्थितिन हो जाये। यदि इस स्थिति पर हम पहुंच गये तो योजना की असफलता निश्चित है।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Diminishing return.

आय-व्ययक पत्रों में दिये गये आंकड़ों से पता लगता है कि कपड़े के उत्पादन शुल्क से १२ करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है। आय-व्ययक प्राक्कलन १७२ करोड़ रुपये थे जब कि पुनरीक्षित प्राक्कलन १६० करोड़ रुपये है। चाय पर शुल्क से २ करोड़ रुपये कम प्राप्त हुये हैं। परन्तु सब से महत्वपूर्ण कमी डाक तथा तार की आय में हुई है। आशा थी कि इससे ३.५९ करोड़ रुपये की आय डाक तथा तार विभाग से होगी परन्तु हुई केवल १.२३ करोड़ रुपये। औद्योगिक उत्पादन भी चार प्रतिशत कम हो गया है। उसी प्रकार औद्योगिक विनियोजन भी कम हो गया है अर्थात् अनिवार्य निक्षेपों में हमें आशा थी कि १६ करोड़ रुपये जमा होंगे परन्तु मिले है केवल ४ करोड़ रुपये।

द्वितीय योजना काल में हमें अल्प बचत से ५०० करोड़ पये की आशा थी परन्तु अब तक केवल १२० करोड़ अथवा ११५ करोड़ रुपये मिले हैं। गत चार अथवा पांच वर्षों में यह ४४ करोड़ रुपये से ६७ करोड़ पये हो गये थे परन्तु अब फिर कम होने लगे हैं। हमें इसके कारणों का पता लगाना चाहिये। इन सब आंकड़ों से पता लग जाता है कि हमारी स्थिति आह्लासी प्रत्याय की हो गई है और इसलिये हमें करारोपण नीति में परिवर्तन करने चाहिये। कपड़ा उद्योग को कुछ सहायता दी जानी चाहिये क्योंकि २४ अथवा २६ मिलें बन्द हो चुकी हैं और लगभग ३० मिलों में पारियों में कमी कर दी गई है। इससे बेकारी और बढ़ रही है जब कि द्वितीय योजना का एक उद्देश्य बेकारी दूर करना है।

आर्थिक समीक्षा से पता लगता है कि १९५७ में ६ प्रतिशत मूल्य बढ़ गये हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे देश में मुद्रा स्फीति की इतनी आशंका नहीं है जितनी अन्य देशों में है परन्तु हमें राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी के आधार पर मूल्यों में वृद्धि पर विचार करना चाहिये। यदि प्रति व्यक्ति आय भी ६ प्रतिशत बढ़ गई होती तो मूल्यों में ६ प्रतिशत वृद्धि ठीक थी। परन्तु ऐसा नहीं हुआ अपितु प्रति वर्ष जो हमारा उद्देश्य ५ प्रतिशत राष्ट्रीय आय बढ़ाने का था वह भी पूरा नहीं किया गया और नहीं प्रति व्यक्ति आय ३½ प्रतिशत बढ़ाई गई। परन्तु यदि हम यह भी मानलें यह वृद्धि हो गई तो भी ६ प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हो जाना इसका द्योतक है कि जितनी प्रति व्यक्ति आय अर्थात् ३½ प्रतिशत की आशा थी उससे २½ प्रतिशत मूल्य अधिक हो बढ़े हैं।

कहा जाता है कि जनसाधारण का आय-व्ययक है परन्तु जन साधारण केवल खाद्यान्नों में ही रुचि रखता है और खाद्यान्नों के मूल्यों पर ध्यान दिया जाये तो पता लगता है कि मार्च १९५६ में खाद्यान्नों के मूल्य ८७ अंक थे जो दिसम्बर १९५७ में ९७ अंक हो गये अर्थात् ११ अंकों की वृद्धि हो गई जिस का अर्थ हुआ १५ प्रतिशत। चावलों को लीजिये इस के मूल्य ८६ अंक थे जो अगस्त १९५७ में १११ तथा दिसम्बर, १९५७ में १०२ थे। गणना की जाये तो इन की प्रतिशतता २० प्रतिशत आती है। इस प्रकार हमें इस बात पर ध्यान देना है कि प्रति व्यक्ति आय में केवल ३½ प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण उस का खर्च १५ या १६ प्रतिशत बढ़ गया है। मध्यम वर्ग को लीजिये। ऐसा सोचना ठीक नहीं है कि मध्यम वर्ग धन उत्पादक नहीं है। परन्तु फिर भी यदि हम यह समझ लें कि वह उत्पादक नहीं है और उस को समाप्त कर देना चाहिये तो उन को एक दम समाप्त कर दीजिये। धीरे धीरे परेशान कर के खत्म न कीजिये। मध्यम वर्ग समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और राजनैतिक दृष्टि से भी कोई दल इस वर्ग की उपेक्षा नहीं कर सकता। अभी हाल में पश्चिमी बंगाल में विधान परिषद् के लिये जो चुनाव हुए थे उन में चारों स्थानों पर हमारी हार हुई क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग हमारे साथ नहीं थे। मैं ने खाद्य मंत्री को यह सुझाव दिया था कि मध्यमवर्ग को खाद्य सहायता दी जाये। उन्हों ने कृपा कर के बताया था कि वह इस पर विचार करेंगे। परन्तु उन्हों ने अभी तक कुछ नहीं किया है।

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : उचित मूल्य की दुकानों द्वारा वितरण कर के सहायता ही तो दी थी ।

†**श्री अ० चं० गुह** : इस से केवल मध्यम वर्ग को ही लाभ नहीं हुआ था । यह तो सामान्य सहायता थी । गत निर्वाचनों में हमें सबक लेना चाहिये कि मध्यम वर्ग का स्थान हमारे समाज में बड़ा महत्वपूर्ण है और कोई भी सरकार उन के हितों की उपेक्षा करने का साहस नहीं कर सकती है । इस बात को सभी ने स्वीकार किया है कि मध्यम वर्ग का जीवन स्तर बहुत कम हो गया है ।

इस वर्ष आर्थिक समीक्षा की एक पुस्तिका आय-व्ययक पत्रों के साथ दी गई है । यह पुस्तिका बड़ी सुन्दर है क्योंकि इस से बहुत सी बातों की जानकारी हो जाती है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि इस पुस्तिका को वित्त मंत्रालय को प्रकाशित नहीं कराना चाहिये अपितु वित्त मंत्रालय में आर्थिक परामर्शदाता को इसे प्रकाशित कराना चाहिये और परामर्शदाता को वित्त मंत्रालय के स्थान पर योजना आयोग अथवा मंत्रिमंडल सचिवालय से सम्बद्ध करना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि आर्थिक समीक्षा में और अधिक सुधार किये जायेंगे ।

संविधान के अनुच्छेद २९२ के अधीन भारत सरकार संसद् द्वारा पारित किये जाने पर एक निश्चित धन राशि उधार ले सकती है । प्रत्येक लोकतंत्रीय देश में ऐसी ही व्यवस्था है । इस का उद्देश्य यही था कि संसद् सरकार की उधार लेने की नीति को विनियमित करने के लिये कानून बनाये । अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन आदि सभी देशों में संसद द्वारा पारित किये जाने पर ही सरकार उधार लेती है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रकार का विधान प्रस्तुत करेगी क्योंकि संसद् का यह जानने का अधिकार है कि सरकार लोगों से कितना और किस प्रकार उधार लेती है ।

निगमों को और ग़ैर सरकारी समवायों को सूद पर उधार देने के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि हमें इन को सहायता अवश्य देनी चाहिये परन्तु उस की भी अनुमति सभा से लेनी चाहिये । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस सुझाव के अनुसार ही सहायता दी जायेगी ।

अब मैं राज्यों की वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में बताऊंगा । केन्द्र से ऋण लेने के बारे में आज भी वित्त निगम की सिफारिशों पर कुछ प्रश्न उठाये गये थे और अनुपूरक प्रश्नों में मैं ने पूछा था कि इन सिफारिशों की स्वीकृति की सूचना समाचार पत्रों में कब प्रकाशित हुई थी, सरकारी आदेश कब जारी किया गया, और कब उस को रद्द किया गया था । परन्तु मुझे कोई तिथि नहीं बताई गई । मैं समझता हूं कि वित्त आयोग ने निश्चित सिफारिश की थी कि सरकार को राज्य सरकारों के साथ वाणिज्यिक बैंकर के रूप में काम नहीं करना चाहिये । मैं समझता हूं कि सरकार को इस सिफारिश को स्वीकार कर लेना चाहिये । १२ मार्च को जारी की गई विज्ञप्ति से कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि केन्द्रीय सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों को बदल सकती है । मैं आशा करता हूं कि वित्त आयोग की सिफारिशों को पूरा पूरा स्वीकार करने की प्रथा को तोड़ा नहीं जायेगा और सरकार इन को ज्यू का त्यू स्वीकार कर लेगी ।

गत वर्ष माननीय वित्त मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि खाद्यान्नों की सहायता के लिये २५ करोड़ रुपये रखे जायेंगे जिस से मूल्य कम ही रहे । परन्तु इस का उपयोग नहीं किया गया और अब आय-व्ययक में कहा गया है कि इस को राजस्व खाते में पुनः डाला जा रहा है । इस का क्या कारण है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अन्त में, मैं समझता हूं कि सरकारी दफ्तरों का व्यय बहुत बढ़ रहा है। गत वर्ष से इस वर्ष यह ३५ करोड़ रुपये बढ़ गया है। प्रतिरक्षा व्यय भी ११४ करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस प्रकार पता लगता है कि नये करों से जो आय होती है वह सब असैनिक तथा प्रतिरक्षा व्ययों पर व्यय हो जाती है।

†**श्री राजगोपाल राव** (श्रीकाकुलम्) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह पहला आय-व्ययक है, जिस में जन साधारण पर कोई करारोपण नहीं किया गया है। मैं आशा करता हूं कि नये वित्त मंत्री अर्थ-व्यवस्था में ऐसा प्राण फूंक देंगे जिस के कारण जनता इन विकास कार्यों की कठिनाइयों को पार करती जायेगी। विश्व में प्रधान मंत्री के कारण हमारा एक स्थान बन चुका है और अब उन्हें नये वित्त मंत्री तथा आर्थिक-कार्य मंत्री के सहयोग से अर्थ-व्यवस्था को सुधारने पर भी ध्यान देना चाहिये।

मैं दान कर के लिये प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। यद्यपि इस के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि इस कर की उगाही में जितना प्रयत्न करना पड़ेगा उस के अनुपात में आय बहुत कम होगी। मैं तो इस को बेकार की बात समझता हूं और आशा करता हूं कि इस से पर्याप्त आय हो जायेगी। साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि सम्पदा शुल्क में छूट की सीमा कम करने तथा गत वर्ष लगाये गये अप्रत्यक्ष करों पर पुनः विचार किया जाना चाहिये।

इस तथ्य को सभी अंगीकार करते हैं कि खाद्यान्नों का स्थान योजना के लिये बड़ा महत्व-पूर्ण है। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि खाद्यान्नों के उत्पादकों अर्थात् किसानों की ओर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग़रीब किसान की पूरी तरह देखभाल की जानी चाहिये जिस से उन में उत्पादन बढ़ाने का जोश तथा उत्साह पैदा हो जाये। आप उस पर खूब कर लगाते हैं, खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित करते हैं, सहकारी खेती को प्रोत्साहन देते हैं परन्तु इस से होता क्या है कि किसान अपने पूरे जोश से काम नहीं करते हैं। क्या किसी लोकतंत्रात्मक देश में सहकारी कृषि सफल हुई है? किसानों की सहकारी कृषि की ओर विशेष रुचि नहीं। वह यही आशा करता है कि जब दूसरा उस में योग देगा ही तो उसे क्या ज़रूरत। इस का नतीजा यह होता है कि मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती। यही भावना हमारे सरकारी दफ्तरों, राष्ट्रीयकृत संस्थाओं में फैल रही है। इसलिये मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि इस ओर ध्यान दें।

आन्ध्र प्रदेश राज्य में किसी औद्योगिक विकास योजना का भी आरम्भ नहीं किया गया है। विजयवाड़ा में एक उर्वरक कारखाना बनाने की योजना थी। मैं आशा करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में इस को आरम्भ कर दिया जायेगा। वंशधारा योजना का भी यही हाल है। मेरी प्रार्थना है कि इन परियोजनाओं को सरकार अब आरम्भ करे। सहकारी चीनी मिल के बारे में मेरा सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र आवश्यक अनुज्ञप्तियां दी जायें।

विज़ागापटम बन्दरगाह के लिये एक विस्तृत योजना बनाई गई थी परन्तु उस को क्रिया-न्वित नहीं किया गया। मेरा सुझाव है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का डिवीज़नल मुख्य कार्यालय वाल्टेयर में कर देने से यातायात की तथा अन्य कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। वाल्टेयर तथा विजयनगरम तक दोहरी लाइन बिछाने की योजना थी। आशा है इस पर भी ध्यान दिया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री राजगोपाल राव]

माल तथा यात्री जहाज़ बनाने के बारे में पता लगा कि फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने हमारे प्रविधिज्ञों की सलाह न मान कर बड़ी गड़बड़ की है जिस से हमें बड़ा नुक़सान हुआ है। सरकार को इस की जांच करनी चाहिये।

मेरे श्रीकाकुलम् जिले के निवासियों को, जो अधिकांशतः मछुवे हैं, पीने का पानी लेने के लिये १५ से २० मील तक जाना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार से मेरी प्रार्थना है कि पीने के पानी का संभरण करने के लिये कोई योजना बनाई जानी चाहिये। समाचार पत्रों से पता चला है कि अमरीका में जूट को सिंचाई नहरों की लाइनिंग के लिये तथा अन्य नये कामों के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है। मेरी राय है कि श्रीकाकुलम् के जूट को, जिसे जूट मिल एसोसियेशन ने बेकार घोषित किया, बाहर भेजने की अनुमति दी जाये ताकि हमें विदेशी मुद्रा मिल सके। श्रीकाकुलम् में फसल अच्छी नहीं हुई है। आन्ध्र के मुख्य मंत्री ने इस क्षेत्र का दौरा किया और लोगों को अन्तरिम सहायता दी है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार भी सहायता देगी।

अन्त में, मैं चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों के अनुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। इसे प्रकाशित हुए काफ़ी समय हो चुका है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। शायद जब तक प्रधान मंत्री इस मामले में रुचि नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि समय थोड़ा है अतः मैं केवल दो बातों पर ही अपने विचार प्रकट करूंगा—एक अधिक जनसंख्या का प्रश्न और दूसरा केन्द्र स्तर पर तथा राज्यों में खर्चों की बरबादी।

इस बात से सभी लोग सहमत होंगे कि हमारे देश की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मैं ने जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं उन के अनुसार प्रति वर्ष ५० लाख की आबादी बढ़ती है। इसी कारण हमारे देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है। अतः हमे परिवार नियोजन या अन्य इसी प्रकार के उपायों का सहारा लेना आवश्यक है। सामान्य जनता में आज दो विचार धाराओं का संघर्ष है एक विचार धारा के मानने वालों का कहना कि बच्चों की संख्या ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है दूसरी विचार धारा के मानने वालों का मत है कि हम अपनी इच्छानुसार ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में केन्द्र में एक परिवार नियोजन मंत्रालय खोला जाय और स्वेच्छित वन्ध्याकरण आदि उपायों का भी सहारा लिया जाये। यदि हमें अपनी पंच वर्षीय योजना को सफल बनाना है तो हमें देश की जनसंख्या पर ऐसा नियंत्रण रखना पड़ेगा कि हम देश के धन को ठीक प्रकार से उपयोगी कामों में लगा सकें। पर यदि जनसंख्या ५० लाख प्रति वर्ष के हिसाब से बढ़ती रहेगी तो हम अपनी योजनाओं को कदापि सफल नहीं बना सकते।

मैं मानता हूं कि समाचार पत्रों, फ़िल्मों आदि द्वारा सरकार इस सम्बन्ध में पर्याप्त कोशिश कर रही है पर और अधिक कोशिश करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस सम्बन्ध में विचार करके काफी महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है।

अब मैं दूसरी बात—सरकारी धन की फज़ूलखर्ची—लेता हूं। हम अपने धन का पूरा पूरा लाभ नहीं उठाते। राज्य सरकारें उचित समय पर धन का व्यय नहीं करतीं और वर्ष के अन्त में जब राशियां व्यपगत होने लगती हैं तो अविवेकपूर्ण ढंग से राशियां व्यय कर दी जाती हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को इस बात का नियंत्रण रखना चाहिये कि उचित समय पर और विवेकपूर्ण ढंग से राशियां व्यय की जाय। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि भवन और सड़क निर्माण विभाग में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है। यदि इस भ्रष्टाचार को नियंत्रित कर दिया जाय तो हमारा बहुत सा धन बच सकता है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

एक बात और ध्यान देने योग्य है । हम जब बड़ी मात्रा से माल या सामान खरीदते हैं तो उसमें हमें कमीशन व लाभांश मिलता है । हम चाहे किसी भी साधन से खरीदारी करें पर यह कमीशन व लाभांश यदि हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति में जमा कर दिये जायें तो भी हमें काफी लाभ हो सकता है । मैं आप को बताना चाहता हूं कि पश्चिमी नौवहन निगम ने इसी प्रकार कमीशन व लाभांश के लाभ में लगभग ६ लाख रुपये की राशि की बचत की है हमें भी इसी आधार पर चलकर बचत करनी चाहिये ।

एक बात मैं और कहूंगा वह यह है कि लोक-सभा को शनिवार के दिन भी काम करना चाहिये । १९५३ के आंकड़ों के अनुसार लोकसभा और राज्य सभा के एक दिन बेकार रहने से अर्थात् एक दिन बैठक न होने से जनता का ६०००० रुपये का नुकसान होता है । अतः मैं अपने बन्धु सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे भी इस बात से सहमत हों कि शनिवार को भी बै क हुआ करे ।

साथ ही ध्यान रहे कि उपरोक्त बातों के लिये कानून या नियम बनाने से कोई काम नहीं चलेगा हमें आने वाली पीढ़ी के नवयुवकों में ऐसी भावना भर देनी चाहिये कि वे भ्रष्टाचार की ओर कदापि न झुके । ऐसा करने पर ही हमारी भावी पीढ़ी ऐसी बन सकेगी जिस पर हम गर्व कर सकें ।

†**श्री परुलेकर** (थाना) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा कहा जाता है कि करारोपण स्वरूप के अनुसार ही समाज का समाजवादी स्वरूप तैयार होता है । आइये हम देखें कि यह सिद्धान्त हमारे करारोपण स्वरूप पर किस हद तक लागू होता है । प्रथम पंच वर्षीय योजना समाप्त हो गयी है । दूसरी योजना के भी २ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । अतः हमें इस बात पर विचार करना चाहिये । मेरा तो कहना यह है कि हमारे करारोपण स्वरूप के कारण पूंजी पतियों को लाभ हुआ है और गरीब जनता पर बोझ बहुत बढ़ गया है अतः यह करारोपण व्यवस्था समाजावदी ढांचे का निर्माण नहीं कर सकती । आइये आंकड़ों के आधार पर इस कथन का परीक्षण करें । औद्योगिक उत्पादन की बात को लीजिये । १९५१ को आधार वर्ष मान लीजिये । १९५२ में औद्योगिक उत्पादन १०३.६ रहा और आगे के वर्षों में निरन्तर बढ़ता रहा और नवम्बर, १९५७ में यह उत्पादन १४८.० रहा । अतः काफी वृद्धि दिखाई पड़ती है । अब औद्योगिक क्षेत्र की राष्ट्रीय आय को लीजिये । १९४८–४९ में यह आय १,४८० करोड़ थी । यह आय आगामी वर्षों में लगातार बढ़ती रही और १९५५–५६ में १,८७० करोड़ हो गयी । उसके बाद भी बढ़ती ही रही है । और औद्योगिक क्षेत्र के लाभांक देखिये: १९४९ में १८१.५ था । १९५५ में ३३४.३ हो गया । ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट पता लगता है कि हमारे औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र की राष्ट्रीय आय व उनके लाभों में कितनी प्रगति हुई है। उनकी आय में तो स्पष्ट १५३ का लाभ है । अब हम यह देखें कि औद्योगिक क्षेत्रों पर करों का कितना भार पड़ा है । १९४८–४९ में ६४ करोड़ था । धीरे-धीरे घट कर यह भार १९५४–५५ में ३७ करोड़ रह गया ।

मुझ से कहा जा सकता है कि ये आंकड़े गलत हैं या यह कहा जा सकता है कि धन कर व्यय कर या अन्य करो के रूप में उन पर काफी कर बोझ डाला गया है । पर यह सब व्यर्थ है । औद्योगिक उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्र की आय व उनका लाभ बढ़ा है—काफी बढ़ा है—पर उन पर कर बढ़ा नहीं है बल्कि काफी कम हो गया है ।

अब दूसरा पक्ष लीजिये । हमें यह देखना है कि हमारी सामान्य जनता पर करों का कितना अधिक भार पड़ा है । १९४८–४९ में जनता पर कर भार ३९२ करोड़ रुपय था । यह भार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री परूलेकर]

धीरे-धीरे बढ़ता रहा और १९५४–५५ में ५२२ करोड़ हो गया । स्पष्ट है कि १६० करोड़ का भार बढ़ गया । इसके अलावा पिछले २ वर्षों में जो नये कर बढ़े हैं उनके कारण जनता पर करों का भार बहुत ही अधिक बढ़ गया है । साधारण जनता की आय के बारे में माननीय गृह-मंत्री का यह कहना सर्वथा गलत है । कि जनता की क्रय शक्ति बढ़ गयी है । वस्तुओं--रोज़ाना की आवश्यक वस्तुओं--के मूल्य बढ़ जाने से जनता की आय व क्रय शक्ति दोनों बहुत कम हो गई हैं । मध्यम वर्ग, जिसमें ९० प्रतिशत जनता सम्मिलति है, इन करों के भार से बुरी तरह दब गया है ।

मैं अनुमान कर सकता हूं कि सरकार इसका उत्तर यही देगी कि उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है । पर यह बात बेकार है । अन्य रास्ते हैं पर सरकार उन पर चलना ही नहीं चाहती ।

इस समय सरकार के सामने छोटी बचतों का संकट है । छोटी-छोटी बचत जमा करने वालों की वास्तविक आय बहुत घट गई है अतः वे जमा नहीं कर सकते । अनुसूचित बैंकों के पास बहुत धन जमा है । १९५२ में इन बैंकों के पास ३१३.२७ करोड़ जमा था और १९५७ में यह राशि ६६७ करोड़ हो गयी । अतः सरकार के लिये आवश्यक है कि वह अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दे । इस प्रकार उसे काफी राशि मिल जायेगी तथा पूंजीपतियों को नाजायज लाभ होना बन्द हो जायेगा । अतः यदि आय को दूसरी योजना को सफल बनाना है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक है ।

अन्तिम बात यह है कि हम सभी चाहते हैं कि हमारी दूसरी योजना सफल हो । पर जनता को पीस कर उसे कष्ट देकर योजना को सफल बनाने का क्या औचित्य है ? जब देश में उत्पादन बढ़ रहा हो तो जनता के रहन-सहन का स्तर क्यों नीचा होता जा रहा है ? योजना के सामने भीतरी संसाधनों की कठिनाई क्यों है ? इस का मुख्य कारण यह है कि हम जिस आर्थिक नीति का अनुकरण कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत है । एक ओर हम समाज के समाजवादी ढांचे का नारा लगाते हैं दूसरी ओर पूंजी पतियों का पेट भी खूब भर रहे हैं । आज ूंजी पति वर्ग बहुत मजबूत होता जा रहा है । अतः इन बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है ।

†**कु० मो० वेद कुमारी :** (एलुरु) : इस वर्ष का आय व्ययक बिल्कुल वैसा है जैसा गत वर्ष का था । गत वर्ष आय व्ययक के समय पर कहा गया था कि संसाधनों का अभाव है ; इस वर्ष कहा गया कि योजना का मुख्य भाग निश्चित करना चाहिए और अगले वर्ष कोई नयी बात कही जायेगी । कितने आश्चर्य की बात है कि हमें यह भी पता नहीं है कि हमारे करों का क्या प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ा है । मैं समझती हूं कि इस बात का पता लगाने के लिए एक स्वायत्ताशसी संस्था बनाई जानी चाहिए । एक बड़ी निराशा की बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण में--बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण विषय का कोई वर्णन नहीं किया गया है । शायद सरकार को इस विषय में कोई रूचि नहीं है । संगठित तथा सरकारी क्षेत्रों की तो अच्छी प्रगति हुई है पर असंगठित वगैर सरकारी क्षेत्रों की दशा बहुत खराब है । दक्षिणी महाखण्ड बना दिया गया है पर उसकी भी क्या कथा निराली है । आन्ध्र की चावल कूटने की मिलों की मांग की अवहलना कर के उसने बड़ा अन्याय

†मूल अंग्रेजी में

किया है। वहां मिलें बन्द होने को हैं। देहाती इलाके के किसानों को ऋण सुविधायें प्राप्त नहीं हैं। रिजर्व बैंक द्वारा इतनी सहायता दी जाती है पर किसानों को कोई लाभ नही हो रहा है उन्हें तो महाजनों से ही ऋण लेना पड़ता है। नहरों आदि से किसानों को कोई लाभ नहीं है क्योंकि उस से मिलने वाला पानी बहुत मंहगा पड़ता है और फिर किसानों के पास धन की भी बहुत कमी है।

नीति सम्बन्धी सभी मामलों में हमें समझदारी, गंभीरता व तर्क से काम लेना चाहिए। मद्यनिषेध की बात लीजिए। नीरा का प्रयोग खुले आम होता है। इस में लोग बदमाशी व बेइमानी भी करते हैं। साथ ही हम इस विभाग पर कितनी बड़ी राशि व्यय कर रहे हैं विदेशी आय का हमें कितना घाटा हो रहा है। ये बातें विचार करने की हैं। आन्ध्र राज्य में कुछ भाग में तो मद्यनिषेध है और कुछ में नहीं। अतः भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अतः इन सभी मामलों में हमें व्यावहारिक दृष्टिकोण से काम लेना चाहिए।

मैं किसी मंत्री विशेष या उसकी नीति की आलोचना नहीं करना चाहती पर मद्रास में जब, मद्यनिषेध लागू किया जा रहा था तो इसका पहला लाइसेंस मद्यनिषेध विभाग के एक अधिकारी को ही दिया गया था।

राष्ट्रीय बचत योजना के सम्बन्ध में मैं बताना चाहती हूं कि हमें उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी। उपभोग बढ़ने पर ही उत्पादन का लाभ हो सकता है। पर जनता गरीब है अतः उपभोग से वृद्धि नहीं हो सकती। हम जब सब को तरह तरह की शिक्षायें देते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम अपने खर्चे को संभाल कर सीमा में रखें; संसाधनों से बाहर न जायें। सरकार को फजूल खर्ची पर नियंत्रण करना चाहिए।

हमारे साम्यवादी मित्रों ने इस बात की आलोचना की है कि हम ने अमरीका से मदद ली है। मैं इस में कोई बुराई नहीं समझती अर्द्ध-विकसित देशों को विकसित देशों से मदद लेनी ही पड़ती है। यह भ्रम गलत है कि हमारी अर्थ व्यवस्था पर अमरीकी या रूसी गुट का प्रभाव पड़ेगा। हम किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। रही बात मदद की, सो मित्रता के नाते हम सब से मदद लेने को तैयार हैं। इस से कोई बुराई नहीं है। अतः साम्यवादी सदस्यों ने जो आलोचना की है मैं उसे अधिक महत्व नहीं देती।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उच्चस्तरीय प्रशासन के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। न जाने कैसे गुप्त जानकारी सदस्यों तक पहुंच जाती है। सरकारी या अधिकृत तौर पर उन्हें वह जानकारी नहीं मिल सकती फिर भी न जाने कैसे वह प्राप्त कर लेते हैं। इस संबंध में हमे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी प्रकार मद्यनिषेध के सम्बन्ध में भी सरकार में मेरा निवेदन है कि यथार्थवादी व समझदारी के दृष्टिकोण से उसे लागू करें। यदि वह ठीक प्रकार नहीं चला सकती तो लागू ही न करे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूं।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारा देश बड़ी तेजी से और मजबूती से प्रगति की ओर जा रहा है । पिछले वर्ष कुछ निराशा सी पैदा हो रही थी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए पैसे की शायद कमी रहे और विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध न हो सके, परन्तु गवर्नमेंट ने जिस प्रकार के सतत प्रयत्न किये उन से स्थिति काफी सुधर गयी है । और अब वह निराशासमाप्त हो गयी है और एक आशा की किरण हमारे सामने हैं और हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने में कोई रुकावट नहीं होने वाली है क्योंकि हमारे देश की तरक्की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने में ही है ।

जहां एक तरफ पैसे की कमी है और हमें और भी अधिक पैसा चाहिए वहां मैं शासन से निवेदन करूंगा कि यदि बारीकी से जांच की जाय तो हमारे देश में कई कार्यों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसका जितना रिटर्न मिलना चाहिए, जितना उसका सदुपयोग होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है । पैसा कहीं फिजूल खर्च होता है और कहीं खर्च होना चाहिए तो उसके लिए पैसा समय पर मिल नहीं पाता । इसलिए पैसे का अभाव रहता है जिस से कि बहुत से काम जिनको कि प्राथमिकता मिलनी चाहिए और जो काम राष्ट्र के उत्थान के लिए, पिछड़े हुए वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए, किये जाने चाहिए उनके लिए कभी कभी पैसा नहीं मिलता है ।

राज्य पुनर्गठन के बाद कुछ राज्यों में विशेष समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। जैसा कि आपको और माननीय सदस्यों को विदित ही है कि मध्यप्रदेश एक बड़ा राज्य बना और चार राज्यों से मिल कर बना । उसकी राजधानी भी भोपाल में बनी । आज हम मध्य प्रदेश की स्थिति को देखें तो उसकी सामाजिक स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में ३४ प्रतिशत आदिवासी और हरिजन रहते हैं । अगर हम शासकीय दृष्टि से देखें तो भोपाल राजधानी है, वहां मंत्री मंडल है, लेकिन हेड्स आव डिपार्टमेंट्स ग्वालियर, रीवा, जबलपुर, रायपुर, इन्दौर ऐसे ६ स्थानों में अलग अलग रखे हुए हैं । यातायात के साधन कम हैं और लोगों को आने जाने की तकलीफें हैं । भोपाल राजधानी में जो दफ्तर रख हैं वहां उन दफ्तरों के लिए पूरी मकानों की व्यवस्था नहीं है, लोगों के ठहरने का प्रबन्ध नहीं है । तो यह राज्य इन अगल तीन चार वर्षों में किस तरह से अपनी सब समस्याओं को हल करत हुए एक ऐसा शासन प्रबन्ध कर सकेगा कि जिस से जनता को आम संतोष हो । पिछड़ी हुई जातियों और हरिजनों की संख्या इतनी किसी और राज्य में नहीं है जितनी कि मध्य प्रदश में है । इससे वह राज्य कैसे तरक्की कर सकेगा । इस ओर मैं शासन का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मेरी राज्य सरकार ने राजधानी में कुछ मकान बनाने के लिए कर्जे की मांग की थी । लेकिन अर्थाभाव के कारण कर्ज जैसा चाहिए वैसा उन को नहीं मिल सका । नतीजा यह है कि जो शासन में एक तेजी आनी चाहिए, जो एफीशेंसी आनी चाहिए वह नहीं आने वाली है, और वह पिछड़ा होने वाला है ।

इस तरह से आदिवासियों और हरिजनों के उत्थान के कार्यों के लिए इस वर्ष १ करोड़ १४ लाख का बजट राज्य ने भेजा था । लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना

†मूल अंग्रेजी में

पड़ता है कि उसको घटाकर ५४ लाख रुपया हूं रख दिया गया है इतनी बड़ी रकम को कम करने से नतीजा यह होगा कि अगले तीन वर्षों में आदिवासियों, हरिजनों और पिछड़े हुए वर्ग के लिए जो काम होने हैं, उसकी तरक्की के लिए, उनको स्कालरशिप देने के लिए, और जो नया निर्माण होना है उस के लिए एक पैसा भी नहीं मिल सकेगा। राज्य सरकार के पास केवल इतना ही पैसा है कि जो काम पिछले दो सालों में शुरू कर दिये गये थे उन को पूरा कर दिया जाय।

मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहां कोरबा में एक पावर हाउस बन रहा है और उस से केवल भिलाई स्टील प्लांट को बिजली मिलने वाली है। उस के सारे खर्च का राज्य को प्रबन्ध करना होगा और अपने स्टेट बजट से ही वह खर्चा करना होगा। स्टेट के साधन बहुत कम है। इस लिए इसका नतीजा यह होगा कि दूसरे कामों में कमी करनी पड़ेगी। तो मैं शासन से यह निवेदन करूंगा कि वह इस पर बहुत सहानुभूतिपूर्वक विचार करे क्योंकि मध्यप्रदेश की समस्यायें और वहां की आर्थिक, सामाजिक और शासकीय स्थिति ऐसी है कि जिनको देखते हुए उसकी ओर कुछ विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि उसकी समस्या हल हों।

वहां की डाकू समस्या तो एक मशहूर समस्या है, जिस पर वहां के शासन को बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। इस में वह कमी नहीं कर सकती है। यदि वह इस में कुछ कमी करे तो दूसरे सुधार के कामों में कुछ फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इस में वह कमी नहीं कर सकती है। इन विशेष खर्चों को देखते हुए मैं केन्द्रीय शासन से यह अनुरोध करूंगा कि अगर वह मध्य प्रदेश को दिए जाने वाली राशि में कमी करे, ग्रान्ट्स देने में कमी करे, तो साथ ही साथ वहां के प्रश्नों पर उदारता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करे।

हमारे इस लोक-कल्याणकारी राज्य में लोगों को यह आशा होना स्वाभाविक है—और शासन का भी यह परम कर्तव्य है—कि लोगों को समय पर इन्साफ़ मिले। मैं देखता हूं कि आज अदालतों में मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र, उज्जैन, के बारे में जानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ौजदारी का काम इतना बढ़ गया है कि तीन तीन जजिज़ का इन्तज़ाम होते हुए भी मुकदमों में केवल तारीखें ही पड़ती रहती हैं। गवाह आते हैं और चले जाते हैं और कोई काम नहीं होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ़ भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि लोगों को जल्दी इन्साफ़ मिले और उन को यह कहने का मौका न मिले कि हमारी अदालतों में महीनों तक पैरवी की—पेशी की— नौबत नहीं आती है। इस सम्बन्ध में भी कोई कार्यवाही की जानी चाहिए।

कुछ साल पहले हमारे ग्वालियर राज्य में हाई कोर्ट के जजों को या अदालतों को आज की तरह छुट्टियां नहीं मिलती थीं। जो काम करने का समय है, उस में काम करना चाहिए। आखिर हमारे देश में ऐसी कौन सी गर्मी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजों को तीन तीन महीनों की छुट्टियां दे दी जाती हैं। गरमी के मौसम में काम करने का समय होता है और ज्यादा मुकदमे निपटाये जा सकते हैं। उस समय लम्बी छुट्टियों का दिया जाना मेरे विचार में आवश्यक नहीं है, यदि किसी जज को ज्यादा काम करने की वजह से आराम की जरूरत है तो वह छुट्टी ले ले, लेकिन अदालत बन्द करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आवश्यक हो, तो एड-हाक जज मुकर्रर किया जाय, लेकिन लम्बी छुट्टियां देने और अदालते बन्द करने की यह परिपाटी बन्द कर दी जानी चाहिए और इस विषय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

[श्री राधेलाल व्यास]

जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एक बहुत विद्वान और बड़े अनुभवी शिक्षा मंत्री, जिन के हाथ में शिक्षा मंत्रालय था, अब नहीं रहे हैं। यह निश्चित है कि उन्हीं के कारण यहां पर शिक्षा विभाग का करोड़ों रुपए का बजट बन सका था। शिक्षा का कोई भी ऐसा अंग नहीं है, चाहे वह प्राइमरी शिक्षा हो, या सैकंडरी शिक्षा हो, हायर, टैक्निकल, बेसिक या यूनिवर्सिटी शिक्षा हो, जिस के सम्बन्ध में काफी सुधार करने की कोशिश नहीं की गई है, लेकिन हम देखते हैं कि इतने प्रयत्न के बावजूद और इतना प्रचार होने के बावजूद संविधान में हमने न जो यह वायदा किया है कि चौदह वर्ष की उमर के प्रत्येक विद्यार्थि--हर एक बालक-बालिका--को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जायगी, वह पूरा नहीं हो सका है और न ही ऐसी आशा की जा सकती है कि सन् १९६० तक हमारा यह वायदा पूरा होगा। इतना खर्च करने के बावजूद भी आज हम देखते हैं कि हमारे देश में स्कूलों और कालिज़ों में अनियमितता और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने इस सम्बन्ध में काफ़ी प्रयत्न किया है और कई कदम उठाए हैं, जिससे अनुशासन-हीनता कम हो, परन्तु यदि जा कर देखा जाय और जांच-पड़ताल की जाय, तो यही ज्ञात होगा कि विद्यार्थियों में दिन प्रति दिन अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है और उसके साथ ही साथ एफ़िशेन्सी और स्टैंडर्ड में काफ़ी कमी होती जा रही है। स का क्या कारण है ? आखिर हमारे देश की तरक्की इन्हीं नौजवानों पर निर्भर है, जो कि इस समय स्कूलों कालिजों में हैं। जब तक हमारे दश में उत्तरदायी और शिक्षित नागरिक नहीं होंगे, हमारा देश सर्वतोमुखी तरक्की नहीं कर सकता है। यदि हम स्थायी रूप से देश को एक मज़बूत दीवार पर--एक मज़बूत नींव पर--खड़ा करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि यह सोचना चाहिए कि आखिर कमी कहां है और उसको दूर करना चाहिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे शिक्षा मंत्री जी ने एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया कि यह सुझाव दिया गया है कि स्कूल्ज़ में प्रार्थना या इसी तरह का कोई अन्य कार्यक्रम नियमित रूप से रखा जाय। परन्तु जब तक विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण, उन के छिपे हुए गुणों को उभाड़ने और बढ़ाने और उन में अच्छी बातें पैदा करने की तरफ़ विशेष ध्यान नहीं दिया जायगा, तब तक कोई नतीजा नहीं निकल सकता है। आज ३३ प्रतिशत मार्क्स पाने वाले को पास कर दिया जाता है। यह कोई ठीक बात नहीं है। हमारी पुरानी प्रथा यह नहीं है कि ३३ प्रतिशत मार्क्स प्राप्त करने वाला पास समझा जाय। यह तो एक मानी हुई बात है कि जो व्यक्ति ३३ प्रतिशत पास है, वह ६७ प्रतिशत फ़ेल भी है और इस प्रकार के नतीजे से कोई लाभ नहीं है। १०० में ५० से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए और स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहिए तभी अच्छे सुधार हो सकते हैं और सही नतीजा निकल सकता है।

रक्षा विभाग पर हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, यद्यपि हमारे देश के लिए वह काफ़ी नहीं है। प्रश्न यह है कि हम इस मामले में विदशों की नक्ल करें। इतने रुपये खर्च करने पर भी हम देखते हैं कि हमारे सैनिक जगह जगह रहते हैं और अपना दैनिक कार्य करते हैं, परन्तु इस के सिवाय ेश के निर्माण के कार्यों में उन का उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्या इस विषय पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि जब लड़ाई होती है, तो हमारे सैनिक सड़कें और पुल बनाते हैं और दूसरे निर्माण के कार्य करते हैं, तो क्या शान्ति के समय मे भी हम उन का उपयोग देश के निर्मा -कार्यों में नहीं कर सकते हैं। यदि इस पर विचार किया गया, तो हम सिविल खर्चों में काफ़ी बचत कर सकते हैं।

कृषि के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल ही कृषकों के सामने भाषण देते हुए यह बताया कि प्रत्येक किसान के लिए एक एक योजना बननी चाहिये। विचार बहुत सुन्दर है, लेकिन यह कैसे हो? कम्यूनिटी डेवेलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ही इस कार्य को कर सकता है और उस की कनसल्टेटिव कमेटी के सामन मैंने यह सुझाव रखा था कि प्रत्येक किसान के लिए एक योजना बननी चाहिए, लेकिन उसका बजट पहले से कम हो गया है और यदि यह काम हम को करना है, तो कोई ऐसा तरीका निकालना होगा, जिससे हमारे विचार कार्यरूप में परिणत हो सकें। यह बहुत जरूरी है कि एक दो साल में हम इतना अनाज पैदा कर लें कि हम को इस के बारे में विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। हमारा किसान मेहनती है, उस को साधन चाहिए, उस को ग्रान्ट नहीं, लोन चाहिएं, उस को मार्ग-दर्शन चाहिए, उस का उत्साह बढ़ाया जाना चाहिए। आज अनाज की कमी है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहां बाजारों में अनाज के भाव गिर रहे हैं, खरीदने वाले लोग नहीं हैं। गवर्नमेंट की जो पालिसी है, उस के मुताबिक बैंक उन को रुपया नहीं दे रहे हैं, जिस का नतीजा यह है कि भाव गिर रहे हैं। लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है और सरकार खरीदने के लिये तैयार नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को एक मिनिमम प्राइस मुकर्रर कर देनी चाहिए। नई फ़सल आ रही है और उस की खरीद शुरू कर देनी चाहिए। और अगर वह शुरू न की गई, तो किसान इतना मूर्ख नहीं है कि वह इतने सस्ते दामों के होते हुए अनाज की पैदावार करे। वह दूसरे कैश क्राप्स बो सकता है। इस लिए यह आवश्यक है कि जहां भाव कम हैं, वहां पर खरीद का इन्तजाम किया जाय।

अन्त में मैं एक शब्द हिन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। मैं आपसे और अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन करूंगा कि जो लोक-सभा की और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स छपती हैं, वे हिन्दी और अंग्रेजी में अलग अलग छपती हैं। मेरा यह सुझाव है कि एक ही किताब में एक ही सफे पर एक कालम में तो अंग्रेजी हो और उसका भाषान्तर हिन्दी में दूसरे कालम में हो। इससे एक तो हिन्दी के प्रचार में ज्यादा सहूलियत मिलेगी और दूसरे लोगों को समझने में बड़ी आसानी हो जायगी। इसी तरह से जो बिल्स, एक्ट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में भी एक कालम में तो अंग्रेजी होनी चाहिये और दूसरे कालम में उसका हिन्दी अनुवाद होना चाहिये। इससे एक तो हिन्दी जानने वालों को सहूलियत हो जायेगी और दूसरे जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनको हिन्दी सीखने में आसानी होगी। हिन्दी वाले भी जो हैं वे भी बगैर इंग्लिश के हिन्दी नहीं समझ सकते हैं। यदि इस तरह से किया गया तो वे भी हिन्दी को अच्छी तरह से समझ जायेंगे। मेरा जो यह सुझाव है, इसको मैं यहां से भी चलाऊंगा और गवर्नमेंट से भी प्रार्थना करता हूं कि वह इस पर विचार करे और हिन्दी को प्रोत्साहन देने में सहायक हो।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद): श्रीमान्, इस वाद-विवाद का ढंग ही दूसरा रहा है तथा कराधान नीति का सब से अधिक समर्थन विरोधी दल के नेता ने किया है।

वास्तव में जब हम ने पंचवर्षीय योजना को स्वीकार कर ही लिया है तब इस प्रकार का कराधान तो स्वाभाविक ही है।

मैं इसे पिछले वर्ष का सा आयव्ययक नहीं कहूंगा बल्कि गतिशील आयव्ययक कहूं। हम इस वर्ष भी गत वर्ष की गति से चले जा रहे हैं। हमारी गति मंद नहीं हुई है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

[श्री हेडा]

श्रीमान्,जो थोड़ा बहुत विरोध हो रहा है वह कांग्रेस दल के व्यक्तिगत सदस्य ही कर रहे हैं। यदि योजना असफल रही ही तो वह कहेंगे कि देखो हम तो ठीक कहते थे।

अब जहां तक घाटे की बजट व्यवस्था का प्रश्न है द्वितीय योजना के बीच १२०० करोड़ रुपये तक का उपबन्ध है किन्तु कहा जाता है कि ६०० करोड़ से अधिक घाटे में जाना हमारे लिये घातक होगा। माननीय वित्त मंत्री ने राज्य-सभा में कहा था कि १२०० करोड़ से अधिक घाटे की व्यवस्था इस योजना में न होगी। खैर अब तक भी लगभग ६०० करोड़ रुपये की ऐसी व्यवस्था हो चुकी है।

योजना के गत वर्षों में तो प्राकृतिक रूप से ही व्यय की वृद्धि होगी। यह हमारा पहले का भी अनुभव रहा है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें घाटे की व्यवस्था शायद ज्यादा ही करनी पड़ जाये।

कल आचार्य कृपालानी ने जो भाषण दिया उससे यह पता चलता था कि देश घाटे की बजट व्यवस्था से धाराक्रान्त हो गया है किन्तु मैं तो यह नहीं समझता। यह बात तो आचार्य जी ने भी कही थी कि यदि उत्पादन उसी गति से चलता रहे तो इसका भार महसूस नहीं होगा। यह भी ठीक है।

हमें वास्तव में मुद्रास्फीति को दूसरे आधारों पर आंकना चाहिये। क्या मूल्यों में अतिशय वृद्धि हो गई है? या मुद्रा बाजार की स्थिति कड़ी है। यह ठीक है कि मुद्रा बाजार की स्थिति पर्याप्त रूप से कड़ी है। आज लोग धन प्राप्त करने के लिये १२ प्रतिशत तक दे रहे हैं। आज दिल्ली में ही स्थिति क्या है भूमि कितनी महंगी है।

अमेरिका में विभिन्न देशों की मुद्रा की स्थिति का अध्ययन हुआ था। जब कि इंगलैण्ड के स्टर्लिंग तथा अमेरिका के डालर की कीमत गिर चुकी है किन्तु भारत के रुपये की स्थिति वैसी ही है।

इसी कारण मेरा सुझाव है कि हम अभी और नोट छाप कर भी काम चला सकते है।

जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है निश्चय ही उत्पादन में भी वृद्ध हुई है। वाणिज्य का फसलों में भी लगभग ८ प्रतिशत का अधिक उत्पादन हुआ है। इसी प्रकार औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा है। १९५४ में देशनांक ११२·६ से १९५७ में देशनांक १४८·१ तक की वृद्धि हो चुकी है। वास्तव में उत्पादन तो बढ़ रहा है।

दूसरा प्रश्न है जनसाधारण की स्थिति का। मैं गांवों में घूमा हूँ और मैं ने देखा है कि गांव वालों का जीवन स्तर ऊंचा होता जा रहा है। हां शिक्षित लोगों में बेकारी है किन्तु वह तो इस कारण है कि दिन प्रतिदिन शिक्षितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा): मैं सामान्य आयव्ययक पर बोल रहा हूं इस कारण मैं केवल सामान्य बातें ही कहूंगा। मेरी यह इच्छा है कि हमें समाज में नये विचारों को फैला कर अपनी प्राचीन संस्कृति के आधार पर नये समाज की रचना करनी चाहिये।

माननीय सदस्य सरकारी, गैर-सरकारी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीयकरण की बातें करते हैं किन्तु उन्हें इनका कुछ पता नहीं है। ये विचार हाल ही के हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

यदि लोग धन अर्जन करें तो कोई हर्ज नहीं किन्तु ऐसा काम किसी को नहीं करना चाहिये जिससे समाजिक स्वास्थ्य में बिगाड़ पैदा हो जाये ।

श्रीमान्, हमें वास्तव में सरकारी व्यवस्था को पूर्णतया बदल देना चाहिये । हमें कलेक्टरों का शासन नहीं चाहिये । पुलिस राज्य की आवश्यकता नहीं है । यह सरकार तो अफसरों की सरकार है ।

केवल एक ही कर होना चाहिये जो सम्पदा पर, भूमि पर या कारखानों पर हो । चलने फिरने पर क्यों कर लगाया जाता है । उद्योगों का लक्ष्य यह होना चाहिये कि अपने देश के उपयोग की चीजें पैदा की जायें ।

हाल ही में मैं पाकिस्तान गया था । और हम यहां सड़कें बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं किन्तु यदि दिल्ली पर पाकिस्तान वाले एक अणुबम गिरा दें तो सब कुछ गया । पाकिस्तान समाप्त किया जा सकता है । आसाम से ईरान तक एक आर्य राज्य बनाया जाय। कोई समस्या ही न रहेगी ।

पहले राज्य छोटे छोटे थे । लड़ते रहे। अब केवल अमेरिका तथा रूस ही दो बड़े राज्य मैदान में रह गये हैं । हम भी अनजाने से एक राज्य का भाग बन गये हैं । हम चाहे अपने आप को तटस्थ कहें किन्तु हम तटस्थ नहीं हैं ।

यह सब नारे होते हैं । सोवियत रूस में भी ऐसे ही नारे चले थे और वहां के नेताओं ने ज़ार का स्थान ले लिया है ।

अब लोम कहते हैं कि बेकारी बहुत है और दूर नहीं की जा सकती । किन्तु मेरा सुझाव यह है कि हमें प्रत्येक स्कूल के साथ कारखाने तथा खेतों की व्यवस्था कर देनी चाहिये । बच्चे वहीं से काम सीखें और बाद में उन्हें ही उसका मालिक बना दिया जाये ।

आजकल के समय में सेना पर धन व्यर्थ गंवाया जाता है । प्रत्येक छावनी में कारखाने खोल देने चाहिये ताकि ये लोग काम करें और उत्पादन बढ़ायें। इस प्रकार ये लोग हम पर बोझ न बनेंगे ।

हड़तालों का इलाज यह है कि श्रमिकों को प्रबन्ध में भाग दिया जाये । लाभांश बराबर बाटा जाये ।

नौकरी के लिये प्रतियोगिता होती है। यह बड़ी भारी बुराई है। हमें सबको काम देना है। इस बुराई को भी समाप्त कर दिया जाये।

इसी प्रकार से न्यायालय भी समाज पर भार हैं। इन्हें भी समाप्त कर दिया जाये।

अस्पताल भी बंद कर दिये जाने चाहियें किन्तु इनके स्थान पर नैतिक संस्थायें बनाई जायें जो कि लोगों को रोगों से बचायें।

हमें भेदभाव के सभी विचारों को छोड़ देना चाहिये।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं पहले "ए० आई० सी० सी० इकानोमिक रिव्यू" का उद्धरण देता हूं। उसमें लिखा है कि समाजवाद का जो मुख्य हमारा सिद्धान्त है वह धन की उत्पत्ति का है। उत्पादन की वृद्धि का है। हमें एक तो विदेशी

† मूल अंग्रेजी में

[श्री मानवेन्द्र शाह]

पूंजी के विनियोजन को अधिक प्रयत्नपूर्वक यहां पर आकर्षित करना चाहिये और इसी के साथ-साथ बचत की गति भी तेज करते रहना चाहिये । विदेशी पूंजी विनियोजित करने वालों को यहां पर सबसे बड़ी कठिनाई यह रही है कि उन्हें यह पता नहीं कि धन लगाने से उन्हें यहां क्या सुविधायें मिलेंगी । वे इसी प्रकार यहां से निराश होकर चले जाते हैं । सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नियम या विनियम बना रखे हैं उन्हें सभा-पटल पर रखा जाय ।

अब जहां तक बचतों का सम्बन्ध है इस आयव्ययक से तो इन्हें भी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा । १९५५-५६ में ६७ करोड़ रुपये की बचत थी जब कि लक्ष्य १०० करोड़ का था और १९५६-५७ में बचत कुल मिलाकर ६२ करोड़ रही । अगले वर्ष के लिये भी अधिक आशा नहीं की जा सकती प्रधान मंत्री ने स्वतः कहा है कि जब तक कृषि उत्पादन की समस्या का ठीक हल नहीं हो जाता तब तक हमारी स्थिति ठीक न होगी । हम वास्तव में पूंजी निर्माण की ओर ध्यान नहीं दे रहे और उसके निर्माण के लिये ठीक तरह का वातावरण भी पैदा नहीं कर रहे ।

हम चाहते हैं कि भारत कल्याणकारी राज्य बने किन्तु इस प्रकार तो ऐसे राज्य की स्थापना नहीं हो सकती । श्री अशोक कुमार सेन ने अपने एक लेख में लिखा है कि भारत में अधिक करभार से वह परिणाम नहीं निकले जिनकी आशा थी । इसे वैयक्तिक आय शुष्क होती जा रही है । यदि यही स्थिति रही तो पूंजी का निर्माण तथा संचय न होगा और गति में अवरोध पड़ जायेगा । उन्हीं के अनुसार कराधान से विदेशी पूंजी का विनियोजन भी कम होता है ।

हमारा उत्पादन भी उस गति से नहीं बढ़ रहा जितना कि बढ़ना चाहिये । यदि कराधान की नीति यही रही तो शायद औद्योगिक उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा न हो सके ।

इसलिये अब इस अवसर पर हमें ठीक-ठीक कार्यवाही करनी चाहिये । वास्तव में तो योजना का सारवान् भाग कृषि ही है अतः सरकार को कृषि उत्पादन की वृद्धि के लिये बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिये ।

हमारी जो औद्योगिक नीति है वह अधिकतर राजनैतिक तथा विचारधारात्मक बातों पर आश्रित है । हमने वास्तविकता को तो देखा ही नहीं । क्या राज्य उद्योगों पर कोई नियंत्रण उस समय नहीं कर सकता जब उनमें खराबियां पैदा होने लगें । हमें पता नहीं किस कारण गैर-सरकारी क्षेत्र वालों पर प्रत्येक समय आशंकायें करते रहते हैं ।

हमें अब यह देखना है कि हम कैसे चलें जो प्रतिवेदन योजना आयोग के अर्थ शास्त्रियों ने दिया है हमें उसे पूर्ण रूप से तो स्वीकार नहीं कर लेना है हमें यह देखना है कि बचतों आदि को कैसे बढ़ावा दें ? क्या हम विनियोजकों की नयी श्रेणी बनायेंगे ? क्योंकि अबके विनियोजक तो आधुनिक आर्थिक नीतियों के कारण सूखते जा रहे हैं? जो उत्तर इस प्रश्न का होगा हम उससे यह पता लगा लेंगे कि हम किधर जायेंगे ।

अब सैनिकों के वेतन का प्रश्न है । इन्हें दो श्रेणियों में बांधा जा सकता है एक असैनिक कर्मचारी और दूसरे नियमित सैनिक कर्मचारी । जो वेतन आयोग बनाया गया है वह तो असैनिक कर्मचारियों के लिये बनाया गया है किन्तु महंगाई तो सबके लिये ही बराबर है । अतः इस बात को मैं नहीं समझा कि यह भेदभाव किस कारण किया गया है ? दूसरी बात सैनिक

कर्मचारियों के बारे में है। लगभग पांच वर्ष पूर्व सैनिक कर्मचारियों के लिए एक वेतन आयोग स्थापित किया गया था। उसने वेतन क्रम पुनरीक्षित करते हुए सैनिक पदाधिकारियों के वेतन कम कर दिये थे जबकि असैनिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते आदि बढ़ाए जाते रहे। इसका प्रभाव सैनिक पदाधिकारियों पर ऐसा पड़ा कि अभी हाल में जनरल तिम्मय्या ने कहा है कि अधिकतर नवयुवक वाणिज्यिक सार्थों में जाना पसंद करते हैं और यदि यही हालत रही तो जबरन भर्त्ती आरम्भ करनी पड़ेगी। इससे पता लगता है कि रक्षा सेनाओं में वेतन क्रम आदि उचित नहीं हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इस वेतन आयोग को सैनिक कर्मचारियों के मामलों की जांच करने का भी अधिकार दिया जाए।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : वित्त मंत्री ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है। मैं उसके सम्बन्ध में एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि यदि सरकार हमें इस समय यह बता देती कि संविधान में उपबंधित निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करने में वह कितनी सफल हुई है तो बहुत अच्छा होता।

हमें प्रत्येक काम करने के योग्य व्यक्ति को रोजगार दिलाना है। रोजगार की स्थिति सुधर भी रही है किन्तु इस का उल्लेख आयव्ययक में नहीं किया गया।

निदेशक तत्वों के अनुसार जाति वर्ग का ध्यान रखे बिना सभी को समान अवसर प्रदान करना है। किन्तु हमें आय-व्ययक में यह नहीं बताया गया कि देश में जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है उसका आर्थिक दृष्टि से समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा है। इतने अधिक व्यय के लिए, करारोपण के लिए मत देते हुए हमें यह जानने का तो अधिकार है ही। अतः वार्षिक आय-व्ययक में यह अवश्य बताना चाहिये कि सरकार निदेशक तत्वों को कार्यान्वित करने में कहां तक सफल हुई है और राष्ट्रीय धन की वृद्धि से दरिद्र वर्ग कहां तक समृद्ध हुए है।

आय-व्ययक में किये गये आर्थिक पुनर्वर्गीकरण पर मैं सरकार को बधाई देता हूं क्योंकि यह जानना बहुत आवश्यक है कि सरकार द्वारा किये गये व्यय का प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर कैसा पड़ रहा है।

पुस्तिका में यह बताया गया है कि सरकार भविष्य में राष्ट्रीय आय-व्ययक तैयार करने का विचार कर रही है अर्थात् उसमें यह बताया जाया करेगा कि विभिन्न सरकारी अभिकरणों द्वारा किये गये व्यय का प्रभाव आर्थिक स्थिति पर क्या पड़ा है। सरकार को इसके लिए तुरंत प्रयत्न करना चाहिये कि आय-व्ययक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकारें तथा समाज के अन्य भाग आर्थिक क्षेत्र में अपनी कार्यवाहियों का विवरण सरकार को भेजा करें।

आय-व्ययक की जो आलोचना यहां की गई है उसमें यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि हम घाटे की व्यवस्था में बहुत आगे बढ़ गये है। यह तो ठीक है कि इस विकासशील देश हमें कुछ साहसपूर्ण कार्य करना होगा। सरकार को आर्थिक और सामाजिक असमानता दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये। हम केवल कराधान पर निर्भर नहीं कर सकते किन्तु घाटे के आय-व्ययक की व्यवस्था में हमें सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्री नारायण दास]

युद्ध काल में देशों को बाध्य होकर अन पेक्षित ऋण लेने पड़ते हैं। हमारे देश में इस समय युद्ध काल की स्थिति तो नहीं है किन्तु शीतयुद्ध का प्रभाव अवश्य है जिस के फल-स्वरूप हम चाहते हुए भी प्रतिरक्षा व्यय को कम नहीं कर सकते। हमें देश की सुरक्षा करनी है जिसके बिना हमारे सब लाभदायक तथा विकास कार्य विनष्ट हो जाएंगे।

यद्यपि सरकार का यह विश्वास है कि महात्मा गांधी को अपनाया जा रहा है किन्तु यह अनुमान लगाना कठिन है कि महात्मा गांधी वर्तमान परिस्थितियों में क्या करते। अतः यदि हम अपनी सेनाओं को तोड़ नहीं सकते तो हमें उन्हें आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सज्जित करना होगा। अतः प्रतिरक्षा व्यय में कमी नहीं हो सकती। सरकार गुटबंदी और आक्रमणकारी नीति के विरुद्ध है किन्तु आत्मरक्षा के लिए निधि की आवश्यकता अवश्य है।

आचार्य कृपालानी का विचार है कि पाकिस्तान अमरीकन सहायता से हम पर आक्रमण नहीं करेगा। परन्तु पाकिस्तान की गतिविधि को देखते हुए हम प्रतिरक्षा आय-व्ययक में कमी नहीं कर सकते।

हम जो ऋण ले रहे हैं वे उत्पादन कार्यों में लगाये जाने हैं किन्तु यह पता नहीं कि कहां तक ऋण लिए जा सकते हैं और उनका भुगतान किस प्रकार होगा। अतः इस स्थिति की विशेषज्ञों द्वारा जांच करवानी चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि सरकार की नीति ठीक नहीं है किन्तु सभा को यह स्पष्टतः पता होना चाहिये कि इन ऋणों में से कितनी राशि उत्पादक कार्यों में लगाई जा रही है कितनी अनुत्पादक कार्यों में।

मैं कतिपय सुझाव भी देना चाहता हूं। हमारी अर्थ-व्यवस्था का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग कृषि है किन्तु कृषि के प्रति हम अपना कर्तव्य पालन नहीं कर सके। कृषि कार्यों के लिए प्रतिवर्ष ८०० करोड़ रुपये की आवश्यकता है किन्तु सरकार केवल आधा प्रतिशत सहायता देती है। राज्य सरकार तकावी ऋण आदि का वितरण करती है किन्तु वह वितरण न तो ठीक समय पर किया जाता है और न ही कृषक को पूरा मिलता है। अतः इस सम्बन्ध में जांच करनी चाहिये कि सहकारी समितियां भी ठीक काम कर रही हैं अथवा नहीं।

खाद्यान्न की कठिन स्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा यह विचार है कि एक कृषि वित्त निगम स्थापित होना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि फसल के बीमे और ढोर के बीमे के लिए निगम स्थापित करने के प्रश्न की जांच करनी चाहिये। कम से कम किसी स्थान पर एक प्रारम्भिक परियोजना आरम्भ करनी चाहिये ताकि जो लोग अपना सभी कृषि पर लगा देते हैं वे सूखे आदि के संकटों के विरुद्ध बीमे से लाभ उठा सकें।

छोटी बचत के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि समाज के सभी कमाने वाले लोगों को अनिवार्य बीमे की बात की जांच करनी चाहिये। इससे सरकार और उन लोगों दोनों को लाभ होगा।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : यह आय-व्ययक भूत-पूर्व वित्तमंत्री की नीति को जारी रखने के लिए है और इसका उद्देश्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने का है। यह तो ठीक है किन्तु कुछ प्रश्न पैदा होते हैं।

एक प्रश्न तो यही है कि प्रगति की सहायक और विरोधी शक्तियों का समायोजन कैसे हो। आज के किसान पर बाह्य शक्तियों का भी प्रभाव पड़ता है। वह अकेला अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। तभी तो प्रधान मंत्री ने कहा है कि यह आय-व्ययक साधारण घटना है। विश्व की दो महान शक्तियां इस प्रकार एक दूसरे के विरुद्ध जुटी हुई है कि उससे या तो एक विश्व का निर्माण होगा अथवा इस विश्व का विनाश। अतः ऐसी परिस्थितियों में अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से अच्छे सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता है। इंगलैंड और अमरीका का उदाहरण हमारे सामने है। अमरीका के निर्माण के पश्चात् कई बार ऐसे अवसर पैदा हुए कि दोनों देशों में युद्ध अनिवार्य दिखाई देने लगा किन्तु परस्पर वार्ता द्वारा स्थिति सुधर गई।

पाकिस्तान के साथ हमारे कई झगड़े हैं किन्तु उन्हें निबटा लेना हमारे नेताओं की शक्ति से बाहर नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो हम सहकारिता की भावना से अधिक प्रगति कर सकते हैं।

मैं इतिहास के अध्ययन के आधार पर कह सकता हूँ कि जब कभी भी मनुष्य के हाथ में नया शस्त्र आया है युद्ध अवश्य हुआ है। इस युद्ध को तभी रोका जा सकता यदि हम पाकिस्तान, चीन और कतिपय अन्य देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध पैदा करके एक संतुलनकारी शक्ति का निर्माण कर दें।

घाटे की व्यवस्था के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार ऋण और मुद्रास्फीति के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। इन से अर्थ-व्यवस्था में गड़-बड़ नहीं हो सकती और न हीं मूल्य बढ़ने की समस्या पैदा हो सकती है।

समस्या तो केवल यह है कि सभी लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे ४० प्रतिशत लोग बेकार हैं। यूरोप के औसत श्रमिक की अपेक्षा भारत के श्रमिक की कार्यशक्ति कम है। हमारे लोग अधिक सुस्त हैं और आधुनिक ढंग से कठोर श्रम नहीं कर सकते। एक अच्छा कृषक वही हो सकता है जिसे अपने बैल, गायों से बच्चों की तरह प्यार है। ऐसा होने पर उसे जीवन के मूल्य का पता लगता है। कार्य करने के लिए स्फूर्त्ति मिलती है।

आज का युग प्रगति और रचनात्मक क्रांति का है। जीव शास्त्र का यह नियम है कि जो व्यक्ति कार्य करेगा वही जियेगा। अन्यथा उसकी मृत्यु आवश्यम्भावी है। अतः श्रम से ही स्नेह होना चाहिये; यही एक स्फूर्त्ति है।

नमक कर के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता था कि स्त्री बच्चे सभी नमक का प्रयोग करते हैं किन्तु वे धन कमाते नहीं अतः वे कर नहीं दे सकते। किन्तु यदि पूर्ण रोजगार के प्रश्न को लिया जाए तो वह तर्क निष्पक्ष हो जाता है। अतः नमक कर के प्रश्न की भी जांच करनी चाहिये।

मद्य निषेध की नीति का भी पुनरीक्षण करना चाहिये क्योंकि बम्बई की गलियों में आजकल यह सुनने को मिलता है :—

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित कृ० चं० शर्मा]

रिया हलाल शुदान्द व जाम बादाहराम

हमें रूढ़ सिद्धान्तों के आधार पर नहीं वरन् आंकड़ों के आधार पर यह देखना चाहिये कि इस नीति का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ा है।

हमारे देश में १०००० से २०००० करोड़ रुपये का सोना है। उसे लेकर उपक्रमों में प्रयोग किया जा सकता है। इस समय हमारी स्थिति ऐसी है कि हम अपने आसपास की शक्तियों का समायोजन कर सकते हैं किन्तु समय बीत जाने पर यह नहीं हो सकेगा।

इस देश का क्षेत्र अधिक है, जन संख्यान् अधिक है, लोहा कोयला और थोरियम की पर्याप्त मात्रा है और देश की बागडोर महान् नेताओं के हाथ में है। यदि फिर भी हम प्रगति न कर सके तो यह बहुत बड़ी असफलता होगी।

प्रधान मंत्री ने कहा था कि देश के भविष्य का निर्णय किसान करेगा। किन्तु क्या उस निर्णायक की आवाज इतनी शक्तिशाली है। वह तो अपनी वृत्ति से कठिनता से गुजारा कर सकता है। अतः उसकी वृत्ति को औद्योगिक उपक्रम बनाना होगा। अमरीका में यह कानून है कि कृषक को अनाज का मूल्य उन वस्तुओं के बराबर मिलना चाहिये जो इतने ही श्रम से पैदा की जाती हैं। अतः यहां भी कोई वैज्ञानिक आधार और वैज्ञानिक योजना होनी चाहिये अन्यथा देश का भविष्य अंधकारमय है।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** (हसन) : मुख्य प्रश्न यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए साधन कहां से जुटाए जाएं। हम नहीं जानते कि योजना के लिए राज्यों पर जो उत्तरदायित्व डाले गये हैं उन्हें पूरा करने के लिए वे साधन जुटा रहे हैं अथवा नहीं। केन्द्रीय सरकार को इस समय यह जांच करनी चाहिए कि यदि राज्य संसाधन नहीं जुटा रहे हैं तो वे इसके लिए अनिच्छुक हैं अथवा उनके लिए साधन जुटाना असंभव है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को उनके उत्तरदायित्वों की गंभीरता का ज्ञान कराए।

हमारे आयोजित आर्थिक विकास का यह सातवां वर्ष है और हम प्रतिदिन गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र और सरकारी उद्योग क्षेत्र के संघर्ष की बातें सुनते हैं। अब तो गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र को सरकारी उद्योग क्षेत्र से अपने हितों का समायोजन कर लेना चाहिये और सरकार को उसे उसकी निश्चित सीमाएं बता देना चाहियें।

यह कहा गया है कि यदि कृषि की ओर उचित ध्यान न दिया गया तो योजना असफल होगी। यह ठीक भी है और द्वितीय योजना के आरम्भ में इस ओर ध्यान न देने के कारण ही कठिनाइयां पैदा हो रही हैं।

कृषि उत्पादन बढ़ाने में बहुत सी समस्याएं हैं। एक समस्या तो भूमि सुधार की है। दोनों योजनाओं में भूमि सुधार के उपबंध हैं किन्तु कुछ राज्यों में उन्हें कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं किया गया जिस कारण कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई।

योजनाओं से कृषक की आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित करने के लिए कृषि उत्पादों का मूल्य स्थिर करना आवश्यक है। कुछ वित्तीय सुविधाएं उसे दी जा रही हैं किन्तु लाल फीता शाही के कारण उन्हें समय पर सहायता नहीं मिलती। अतः इस प्रक्रिया को सरल बनाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही सहकारिता के आन्दोलन को सफल बनाने की भी आवश्यकता है।

†मूल अंग्रेजी में

यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है कि इतना अधिक जो सरकारी व्यय हो रहा है उसका विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि इससे पता लग सकता है कि कौन से वर्ग कर देने योग्य हैं।

बहुत से मित्र देशों का सहायता देने के लिए तैयार हो जाना यह प्रमाणित करता है कि हमारी योजना का आधार दृढ़ है। किन्तु इसमें पैदा होने वाली कठिनाइयों का कारण यह है कि इसे कार्यन्वित करने की व्यवस्था और प्रक्रिया अच्छी नहीं है। वह इस गतिशील समाज के कार्यों के लिए अनुपयोगी हैं। यदि मुख्य मुख्य बातों में व्यवस्था कार्य विकेन्द्रीकरण कर दिया जाए तो कार्य की गति बढ़ सकती है और दक्षता पैदा हो सकती है।

हमारा उद्देश्य समाजवादी ढंग के समाज की स्थापना करना है और इस के लिए हमें प्रादेशिक असमानता को भी दूर करना होगा। अतः यह जानकारी एकत्र करनी चाहिये कि पिछड़े हुए प्रदेश किन कारणों से पिछड़े हुए हैं और वहां कौन से संसाधन है जिन के विकास से वे प्रदेश समुन्नत हो सकते है। यथासंभव नये उद्योग पिछड़े हुए प्रदेशों में स्थापित करने चाहियें। इस सम्बन्ध में मैं पश्चिमी घाट के मलनाड क्षेत्र का उल्लेख करना चाहता हूँ। यह पहाड़ी इलाका है और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। इसमें काफी खनिज सम्पत्ति है। इस क्षेत्र की ओर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि यहां की सम्पत्ति का पूरा-पूरा लाभ उठाया जाये।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : आय-व्ययक प्रस्थापनाओं पर दृष्टि डालते ही एक विचार मन में आता है कि क्या यह उस देश का आय-व्ययक है, जहां की ८० से अधिक जनता किसान है। और जहां के लोगों की औसत आय ४०० से ५०० पये वार्षिक से भी कम है। हमारा व्यय दिन प्रति दिन बढ़ रहा है और ग्रामलोगों की गरीबी भी बढ़ रही है। देश की प्रतिरक्षा के लिए हमें सेना रखना भी आवश्यक है, परन्तु फिर भी हम कुछ बचत तो कर ही सकते है। हमारें देश की परम्परा के अनुसार क्षत्रिय लोग कृषि और प्रतिरक्षा दोनों उत्तरदायित्व निभाते थे। युद्ध के समय लड़ते थे और खाली समय में खेती करते थे। हम भी शांति के समय में अपने सैनिकों से कृि कार्य ले सकते हैं।

हमारी कुछ घेरलू अर्थात् देश के भीतर की भी कठिनाइयां है। हमें शेख अब्दुल्ला की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। मद्रास की ओर भी कुछ राष्ट्रविरोधी कार्यवाहियां चल रही हैं, दिल्ली में भी कुछ गड़बड़ है। इन सबको रोका जाना चाहिए, क्योंकि इनसे हमारी आन्तरिक अवस्था कमजोर पड़ती है। इन सब बातों के साथ ही साथ हमारे देश के प्रशासन में भ्रष्टाचार और परिवार पोषण की भी वृद्धि हुई है। स्वतन्त्रता के बाद भ्रष्टाचार दस गुणा अधिक बढ़ गया है, और लोग निराशा की अवस्था में पूछते हैं कि क्या यही वह स्वराज्य है जिसका हम स्वप्न देखते थे? प्रसन्नता की बात है कि कुछ दिन हुए प्रधान मंत्री किसानों की एक गोष्ठी में गये थे, वहां उन्होंने कहा कि किसान यदि कृषि उत्पादन नहीं बढ़ायेंगे तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल हो जायेगी। परन्तु क्या उन्होंने कभी किसानों की अवस्था का वास्तविक अध्ययन करने का प्रयत्न किया है?

यह तो ठीक है कि उत्पादन लगभग ३० प्रतिशत बढ़ा है पर किसानों की आय में कमी हुई है। यदि अधिक उत्पादन से किसानों को कुछ लाभ नहीं होता तो किसान क्यों अधिक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री पु० र० पटेल]

उत्पादन करे। केवल भाषण देने मात्र से तो उत्पादन बढ़ेगा नहीं। खाद्य तथा कृषि मंत्री तो ग्रामों में जाते नहीं न ही किसानों से मिलते हैं। वह अधिक उत्पादन के लिए किस प्रकार किसानों में उत्साह पैदा कर सकते हैं। हम लोकतंत्र की बातें करते हैं। हड़तालों की धमकियों के आगे झुक जाते हैं। पर किसान बेचारा तो हड़ताल नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह तो नहीं कि गैर काश्तकार लोग जो आज पदारूढ़ है किसानों की नितान्त उपेक्षा करें। वे लोग चाहते हैं कि इन किसानों में कोई राजनीतिक चेतना पैदा न हो और न ही उनमें कोई संगठन बन सके। परन्तु आप याद रखें कि यदि ८० प्रतिशत लोगों में राजनीतिक चेतना का अभाव रहा तो लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों की समस्याओं की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री का कहना है कि ग्रामों के स्कूलों के लिए इमारतों की क्या जरूरत है। विद्यार्थी वृक्षों के नीचे बैठ कर पढ़ सकते हैं। क्या जिस समाजवाद की हम बातें करते हैं वह केवल शहरियों के लिए ही है ग्रामीण जनता के लिए नहीं? नगरवालों को सब सुविधायें दी जायें और ग्राम वालों से सब कुछ छीन लिया जाय, यह कहां का और कैसा समाजवाद है? खेद है कि अति ग्रामीण लोगों की कठिनाइयों को समझने की कोशिश ही नहीं करते।

जिस देश का आय-व्ययक हमारे सामने है उसमें ५ लाख ग्राम हैं और देश की ८० प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती है तो आय-व्ययक का अधिकांश धन ग्रामों के लिए ही व्यय होना चाहिए। आप विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अनुदानों की बातें करते हैं परन्तु ग्रामों की प्रारम्भिक शिक्षा की ओर आप का ध्यान आकृष्ट क्यों नहीं होता।

जिन गांधी जी के नेतृत्व में हमारे प्रधान मंत्री ने देश की स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ी वह तो ग्रामों के लिए स्वतन्त्रता चाहते थे और किसानों की स्मृद्धि और भलाई चाहते थे। परन्तु आज उन सभी बातों की उपेक्षा की जा रही है, इससे देश में कठिनाइयां उत्पन्न हो जाने की पूरी सम्भावना है। इस आय-व्ययक से मध्यम वर्ग को भी निराशा हुई। गत वर्ष उन पर १०० करोड़ तक का कर लगाया गया था, आशा थी कि इस बार कुछ रियायत होगी परन्तु हुआ कुछ भी नहीं। मध्यम वर्ग की हालत बड़ी शोचनीय है। यद्यपि कोई और कर नहीं लगाये गये पर कोई रियायत नहीं दी गई। गत बार केन्द्र ने लगभग १०० करोड़ का कर लगाया था तो इस बार लगभग इतना ही कर राज्य सरकारें लगा रही हैं। सामान्य जनता की कठिनाइयां बढ़ती ही जा रही हैं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि कम से कम पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तो ठीक ढंग से सड़कें इत्यादि बनाई जानी चाहिएं। और अन्त में मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ग्रामों और किसानों की दशा की ओर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: यह स्वाभाविक ही है कि वर्ष में एक बार होने वाले ऐसे वाद-विवाद में बहुत से माननीय सदस्य भाग लेते हैं और साथ ही वे अपने भाषणों में बहुत सी बातें कहते हैं जिनका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। मैं अपना कर्तव्य पालन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वैसे तो कोई भी व्यक्ति चाहे लगातार २ घण्टे बोले तो भी वह सारी बातों का उत्तर नहीं दे सकता। मैं

†मूल अंग्रेजी में

कुछ विशेष बातों का स्पष्टीकरण करूंगा और नीति सम्बन्धी बातों के बारे में तो कल प्रधान मन्त्री स्वयं भाषण देंगे सब से पहले में श्री त्यागी की बात लेता हूं। वह भी कभी इस मन्त्रालय के एक भाग के सर्वेसर्वा थे।

श्री त्यागी ने कहा कि तमाम कर्जों और उनकी अदायगी के लिये संसद् की स्वीकृति बड़ी आवश्यक है। यह प्रश्न कई बार सदन के समक्ष आ चुका है। संविधान में व्यवस्था है कि संसद्, यदि चाहे तो, इस सम्बन्ध में विधि निर्माण करके सरकारी कर्जों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकती है। पर आज हम जिस परिवर्तिन शील अवस्था में हैं उससे हम पहले से यही निश्चय नहीं कर सकते कि किसी विशेष वर्ष में हम कितनी राशि कर्ज लेंगे। अतः यदि हम अधिकतम सीमा बहुत ऊंची निर्धारित कर लें तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा और न ही नियन्त्रण हो सकेगा। और यदि अधिकतम सीमा बहुत नीची या कम रखी गयी तो आवश्यक कार्यक्रम के अनुसार सरकार ऋण की मात्रा में जो कमी बेसी करती रहती है उसमें कठिनाई पैदा हो जायेंगी।

वास्तव में ऋण नीतिके सम्बन्ध में भी सदन को काफी अधिकार हैं जैसे कि उसे कराधान की वृद्धि के सम्बन्ध में अधिकार हैं। अतः मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यदि वह ध्यान से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि सभा को जो अधिकार प्राप्त हैं वे इस बात की देखभाल करने के लिए काफी है कि सरकार ऋण कार्य क्रम का कोई दुरुपयोग न कर पाये। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आय व्ययक बहुत ढीला ढाला है पिछले अनेक वर्षों से हर वर्ष यही बात कही जाती रही है और हर बार इसका उत्तर भी दिया जाता रहा है। मैं भी आज फिर वही उत्तर देना चाहता हूं, साथ ही में यह भी देखता हूं कि राजस्व और व्यय के अनुमानों में बहुत अन्तर है। पर कुछ अन्तर तो अपरिहार्य हैं। उदाहरण के तौर पर, अनेक माननीय सदस्यों ने इसका उल्लेख भी किया है कि सीमा शुल्क की आय में बहुत कमी हो गयी है। सदन को ज्ञात है कि वर्ष के बीच में हमने आयात पर कुछ पाबन्दियां लगा दी थीं, आयात में बहुत कमी हो गई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में यह अन्तर पड़ा इसी प्रकार व्यय की दिशा में जो अन्तर है उस का कारण यह है कि हमें अनेक ऐसी महत्वपूर्ण चीजें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो सकीं जिनका प्रतिरक्षा के लिए बड़ा महत्व है। इन चीजों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की निश्चित भविष्यवाणी कर देना सम्भव नहीं, परन्तु इस बात से हम सहमत हैं कि हमें अधिक नपे तुले अनुमान तैयार करने चाहिए और आय-व्ययक तैयार करने वाले विभाग की व्यवस्था में भी सुधार करना चाहिए ताकि अनुमान अधिक से अधिक ठीक बन सकें।

राष्ट्रीय उपक्रमों के नियन्त्रण की बात भी की गयी। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य ने, जो पहले भी ऐसी ही कई महत्वपूर्ण बातें कर चुके हैं इस सम्बन्ध में संकल्प पेश किया है और शायद वह इस पर वाद-विवाद करने के लिये भी इच्छुक हैं। जब इस समस्या के बारे में सभा में विचार होगा तो मैं बताऊंगा कि इसका लाभ या हानि होगी। वित्त आयोग के सम्बन्ध में भी एक दो बातें कही गयीं। बंगाल की माननीय महिला सदस्य ने इस बात की जोरदार शिकायत की कि वित्त आयोग की सिफारिशें काफी नहीं हैं। जहां तक बंगाल राज्य की समस्याओं का सम्बन्ध है इस बारे में हमें पूर्ण जानकारी है, विशेषकर बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों के आगमन के कारण बंगाल की समस्या बहुत गम्भीर हो गई है। वित्त आयोग की सिफारिशों को तो हमने एक पंचाट के रूप में स्वीकार किया है। वित्त आयोग के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि आयोग ने सभी राज्यों की आवश्यकताओं का तथा उनके साधनों को ध्यान में रख कर पूरी छानबीन की है। सिफारिशें छानबीन के आधार पर ही की गयी हैं। इस लिए मेरा निवेदन है कि हमें बंगाल और उत्तर प्रदेश के राज्यों तथा पूर्वी जिला की जनता की समस्याओं का पूर्ण ज्ञान है और उन से पूरी सहानुभूति है, परन्तु इन समस्याओं का दूसरा इलाज भी है।

[श्री ब० रा० भगत]

इन समस्याओं का इलाज योजना है । इस वर्ष योजना आयोग ने राज्यों की योजनाओं की पूरी तरह छानबीन की है । इस वर्ष की योजना बनाते समय योजना आयोग ने राज्यों के साधनों और आवश्यकताओं का पूर्ण ध्यान रखा है । इसी प्रकार कर्जों की बात भी कही गयी थी । श्री गुह ने राज्य सरकारों और अन्य समवायों को बिना ब्याज अथवा रियायती ब्याज पर कर्ज देने की बात कही । गत वर्ष के प्रारम्भ में कर्ज स्वीकृत करने सम्बन्धी नीति का पुनरीक्षण किया गया था । निश्चय हुआ था कि रियायती दर पर कर्जों की स्वीकृति में राजकीय सहायता की बात आती है साथ ही कर्ज लेने वालों के हिसाब में इसे ठीक ढंग से दिखाया भी नहीं जा सकता और इस विषय पर संसद् की अनुमति भी नहीं ली गयी है अतः रियायती दरों पर कर्ज नहीं दिया जा सकता । आज प्रातः जब मैं राज्य सरकारों के दिये गये पुराने कर्जों के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दे रहा था तो माननीय सदस्य ने एक विशेष प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार ने न-लाभ न-हानि के सिद्धान्त के आधार पर कर्जे देने की नीति को स्वीकार कर लिया है ? मेरे पास प्रतिवेदन नहीं था, परन्तु मैंने उत्तर दिया कि वित्त आयोग के प्रतिवेदन में न-लाभ-न-हानि का शब्द नहीं है । कम से कम मैं तो यही समझता था परन्तु अब मैं प्रतिवेदन में से एक पंक्ति पढ़ता हूं । "ऐसी लागत का अनुमान लगाते समय (अर्थात् ऋण की लागत का) कर्ज लेने के कारणों सम्बन्धी सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए ।"

जब आयोग का ऐसा कहना है तो हमें सिद्धान्त रूप में उसे स्वीकार करना ही पड़ता है ।

कराधान के सम्बन्ध में बहुत से सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । कई वर्षों से जो कर व्यवस्था सामान्यता चली आ रही है, और जिसका अन्त यह दान कर है जिसे इस वर्ष लागू किया गया है, उसे अब एक विस्तृत आधार और गहराई प्राप्त हो गयी है । अतः अर्द्ध विकसित व्यवस्था में कर का अधिक भार वहन कर सकने वाले लोगों को ही नहीं लिया गया है बल्कि अन्य लोग भी इसमें आ गये हैं । आखिर इस प्रकार की कर व्यवस्था का लक्ष्य क्या है ? इसका लक्ष्य यह नहीं है कि आय-कर पूंजी अथवा उत्पादन-शुल्क सम्बन्धी कर का स्वरूप ऐसा हो कि कुछ वर्गों पर इसका काफी बोझ पड़े और दूसरे वर्गों को बिल्कुल छोड़ दिया जाये । इसका प्रथम लक्ष्य तो यह है कि सरकारी राजस्व काफी मात्रा में एकत्रित हो; दूसरा यह है कि कर व्यवस्था ऐसी हो कि अधिक कमाई और अधिक बचत की प्रेरणा मिले ; तीसरा यह कि इससे खपत पर भी नियन्त्रण हो ताकि आन्तरिक मुद्रा-स्फीति के प्रभाव को रोका जाय और विनियोग के साधन निकाले जायें; और अन्तिम यह कि इससे अधिक आय प्राप्त करने वाले लोगों से अधिक कर आसानी से लिया जा सके । इसलिये वर्तमान कर व्यवस्था पर हमको इस दृष्टि से विचार करना चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि हमारी कर व्यवस्था से धीरे-धीरे राजस्व की आय कम होती जा रही है । उनका सुझाव है कि डा० कोलडार के प्रतिवेदन पर चलते हुये हमें आयकर काफी कम करना चाहिए । यह तो ठीक है परन्तु अन्य शर्तें भी तो पूरी होनी चाहियें । जब तक धन कर अथवा अन्य लगाये गये करों से समुचित राजस्व प्राप्त नहीं होता आयकर को कम करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो सकता । यह दोनों बातें एक दूसरे में बिल्कुल उलझी हुई हैं ।

यह भी कहा गया कि इन करों के कारण बचत और कर्जों के रूप में भी धन कम आया । मंडी के वर्तमान हालात का अध्ययन करने पर ऐसा लगता है कि इन दोनों बातों में परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है । मेरा मत यह है कि १९५७ में यह बचत और कर्जों की योजनायें सफल नहीं हुईं जिसका कारण एक तो कुछ आर्थिक संकट था और दूसरे यह भी कि मूल्यों की वृद्धि के कारण जनता अधिक धन बचा नहीं पाई । एक माननीय सदस्य ने आज कहा कि इस समय तो इन निक्षेपों की काफी वृद्धि हो गयी है

पिछले कुछ वर्षों से इन निक्षेपों की १०० प्रतिशत वृद्धि हो गयी है इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयक.२७. करना चाहिए। स्पष्ट ही है कि यह बात उन्होंने अपनी विचारधारा की पुष्टि के लिए कही है। पर यह तो एक अलग विषय है जिस के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। मैं तो यह कह रहा था कि इन करों और बचत और कर्जों में कमी के बीच कोई संम्बन्ध नहीं है। यह कमी तो मण्डी के अन्य वातावरणों के परिणामस्वरूप है।

अब मैं कराधान के सम्बन्ध में दिये गये विशेष सुझावों की बात लेता हूं। सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री पांडे ने कहा है कि इसकी सीमा को ५०,००० रु० कर देना बड़ा अन्याय है। दूसरे पक्ष की ओर से एक अन्य बात कही गयी। यह भी तर्क उपस्थित किया गया कि केवल ५० लाख की आय के लिए कर लगाने की क्या आवश्यकता है अतः एक मत तो यह है कि इससे ५० लाख रुपये से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता अतः यह भार भी क्यों डाला जाय। ५० लाख रुपये का प्राक्कलन तो वास्तव में अक्तूबर '५८ से मार्च '५९ तक के लिये है। पर उसके बाद इस से एक करोड़ से अधिक की आय हो सकती है। अन्य देशों की तुलना में यह कोई ऐसा भार नहीं है जिसे सहन न किया जा सके।

राज्य सभा में मैंने प्रगतिशील देशों की तुलनात्मक छूट सीमा के आंकड़े प्रस्तुत किये थे। इंग्लैंड में यह सीमा ४०,००० रु० है और हमारे यहां ५०,००० है। अब मैं कुछ एशियाई देशों के आंकड़े प्रस्तुत करूंगा जो कि कम विकसित हैं या जिनकी हालत लगभग हमारे जैसी ही है। उदाहरण के लिए आप जापान अथवा लंका को ले लीजिए। जापान तो विकसित देश है। लंका में यह कर-सीमा २०,००० रु० है। यदि आप इसकी तुलना रहन-सहन के स्तर से करें तो आप देखेंगे कि भारत की प्रति व्यक्ति आय २७०—२८० रु० के बीच है जबकि लंका में ५६० रु० है। धन का मूल्य तो और भी कम है। अतः यदि आप इस सम्बन्ध में अन्य देशों के आंकड़ों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे, कि यह सीमा अनुचित रीति से अधिक नहीं है।

माननीय सदस्य श्री अशोक मेहता ने कहा है कि अब हमने पूंजी-कर अथवा दान कर और सम्पदा शुल्क कर लगा दिये हैं अतः क्यों न एक एकीकृत मूल्यांकन व्यवस्था की स्थापना कर दी जाये। पूंजी कई रूपों में हो सकती है चल, अंशों के रूप में अथवा ऋण पत्रों के रूप में। पर भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका मूल्य भी भिन्न भिन्न हो जाता है। हमारे मूल्यांकन कर्मचारी काफी संख्या में हैं और वे अपने राज्यों के अन्तर्गत कार्य करते हैं। श्री अशोक मेहता चाहते हैं कि उनको यह अधिकार अखिल भारतीय आधार पर प्राप्त हो। ब्रिटेन में केन्द्रीकृत मूल्यांकन योजना है, परन्तु ब्रिटेन तो एक छोटा सा देश है। साथ ही वहां लोगों के सामाजिक जीवन में काफी एकरूपता भी है। पर हमारे देश की स्थिति बिल्कुल भिन्न है। विषमता या अनेकरूपता ही हमारे आर्थिक-जीवन की मुख्य विशेषता है। अतः मूल्यांकन की विकेन्द्रीकृत प्रणाली ही ठीक रहेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने सम्मिलित हिन्दू परिवारों के बारे में कई विधि सम्बन्धी प्रश्न उठाये हैं। उन्होंने बताया है कि हमने करारोपण या कर के मूल्यांकन की जो नयी प्रणाली अपनाई है उसमें हम किस प्रकार परिवार की एक शाखा को ही ले लेते हैं और पूरे सम्मिलित हिन्दू परिवार पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इन प्रश्नों के सम्बन्ध में वित्तीय विधेयक की चर्चा के समय ही कुछ कहूंगा। अभी मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वर्तमान सम्पदा शुल्क अधिनियम का प्रभाव मिताक्षर परिवारों की अपेक्षा दायभाग परिवारों पर कहीं बुरा पड़ा है। इसीलिये, प्रवर समिति ने मिताक्षर परिवारों के लिये ५०,००० रुपयों की सीमा निर्धारित करना उचित समझा है। इतने पर भी, दायभाग परिवार की तुलना में, मिताक्षर परिवार के सभांशी को कहीं अधिक हानि होती है। इस सुधार के कारण सभांशी को अब इतनी अधिक हानि नहीं हो पायेगी।

[श्री ब० रा० भगत]

विदेशी मुद्रा के पंचवर्षीय योजना से सम्बन्धित प्रश्नों पर तो प्रधान मन्त्री ही प्रकाश डालेंगे। में तो केवल एक ही चीज़ का स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने भुगतान का प्रश्न उठाया था। हम बड़ी तेज़ी से एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था बनाते जा रहे हैं जो अधिकाधिक पूंजीके आयात पर निर्भर है।

लेकिन ऐसी अर्थ-व्यवस्था बनाने के साथ-साथ हम पर यह दायित्व भी तो आ जाता है कि हम किसी अनुकूल समय पर उनकी अदायगी करें और इसका भी मूल्यांकन करें कि हमें कुल कितनी अदायगी करनी है। साथ ही, हमें अपने निर्यात का इतना अधिक संवर्धन करने के तरीके भी सोचने चाहियें जिससे कि हम अदायगी करने की स्थिति में आ सकें। प्रधान मन्त्री ने राज्य-सभा में बताया था कि अदायगी के लिये १९५९ से १९६९ तक के दस वर्षों में हमें कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। अदायगी १९५९–६० में शुरू होगी। इस अदायगी के लिये १९५९–६० में ३५.३४ करोड़; १९६०-६१ में ९२.४० करोड़, ब्याज और मूलधन समेत; १९६१–६२ में १२३.९६ करोड़, १९६२–६३ में १०७.२३ करोड़; १९६६–६७ में ४० करोड़; १९६७–६८ में ३८ करोड़ और १९६८–६९ में ३४ करोड़ रुपयों का भुगतान करना पड़ेगा। दो वर्षों में हमें जो बहुत अधिक भुगतान करना पड़ेगा, उसका कारण यह है कि उन वर्षों में हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से अपनी मुद्रा फिर से खरीदनी पड़ेगी हमने गत वर्ष भी विदेशी मुद्रा की अपनी कमी पूरी करने के लिये ९५ करोड़ रुपये की अपनी मुद्रा खरीदी थी। उसकी अदायगी दो वर्षों में करनी पड़ेगी। इन्हीं दो वर्षों में हमें सभी आस्थगित भुगतान भी करने हैं।

†**श्री बासप्पा** (बंगलौर) : उन समझौतों का क्या होगा जिनके वचन हम इस बीच में देंगे?

†**श्री ब० रा० भगत** : भविष्य में वचन देते समय हम इनका ध्यान रखेंगे।

†**श्री त्यागी** (देहरादून): आस्थगित अदायगी के आधार पर ली गई वस्तुओं के सम्बन्ध में किये जाने वाले भुगतान को मिलाकर, हमारी देयता कितनी हो जाती है?

†**श्री ब० रा० भगत**: इसमें सभी देयतायें शामिल हैं, क्योंकि गत वर्ष और उससे पहले के भी सभी आस्थगित भुगतान १९६३–६४ के इन दो वर्षों में ही किये जाते हैं।

एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हमारे पास काफ़ी पौण्ड पावने थे और अब बहुत कम रह गये हैं। यह भी कहा गया था कि हमने अपने बाह्य संसाधनों का, विदेशों के संसाधनों का, बुरी तरह अपव्यय किया है। सभा को सारी सूचना दी जा चुकी है कि उन्हें देश के विकास में ही लगाया गया है और वह भी विशेष कर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के इन दो वर्षों के दौरान में। हमारे सभी पौण्ड पावने या तो पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय किये गये हैं, या इस्पात के आयात पर, जो हमारे उद्योग के विकास में लगता है, या फिर उन्हें खाद्यान्नों पर व्यय किया गया है। अभी इस समय तो खाद्यान्नों का आयात एक आवश्यकता ही बन गया है।

श्री खाडिलकर ने यह भी कहा था कि पांच वर्षों में जितनी विदेशी मुद्रा व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था, उसे निजी क्षेत्र ने दो वर्षों में ही निबटा दिया है और इसी लिये यह संकट उत्पन्न हुआ है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में हमारे पास ७४६ करोड़ रुपये के पौण्ड पावने थे और इस काल में, अर्थात् अभी तक, हमने विदेशी मुद्रा के ५६१ रुपये के संसाधनों का उपयोग कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वह इसलिये कि पहले दो वर्षों में योजना की गति बढ़ानी थी। मूल्यों की वृद्धि का एक कारण स्वेज़ नहर का संकट भी था। सभी विदेशी वस्तुओं के मूल्य चढ़ गये थे। इस्पात और अन्य भारी उद्योगों के पुर्जों के विदेशी मुद्रा के मूल्य बढ़ गये थे। इसीलिये, हमने विदेशी मुद्रा की आवश्यकता की जो गणना की थी वह भी बढ़ गई थी। मैं मानता हूं हम इसके लिये तैयार नहीं थे।

यह बात भी सही है कि पहले दो वर्षों के दौरान में निजी क्षेत्र ने बहुत अधिक आयात किया था। निजी क्षेत्र के कुछ भागों ने तो इन दो वर्षों में ही पांच वर्षों के लिये निश्चित अपनी विदेशी मुद्रा का व्यय कर डाला था। लेकिन उनकी योजना भी तो निर्धारित की जा चुकी है, और अब सरकारी क्षेत्र में आयातों, विशेषकर पूंजीगत वस्तुओं और मशीनों के आयातों, की गति तेज़ हो रही है। इसलिये, इससे सरकार को सुविधा ही रहेगी क्योंकि अब हमें निजी क्षेत्र के लिये अब कम विदेशी मुद्रा जुटानी पड़ेगी। चूंकि निजी क्षेत्र के लिये विदेशी मुद्रा के व्यय की मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, इसलिये अब उसे अपने आयात में कमी करनी ही पड़ेगी।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने मूल्यों की मन्दी के बारे में बहुत कुछ कहा था। आज ही इंगलैण्ड के एक प्रसिद्ध अर्थ-शास्त्री श्री हैरो, का एक लेख आया है। उस लेख में यूरोप के देशों को सुझाव दिया गया है कि वे अपने यहां के बाजारों पर अमरीका में आने वाली मन्दी के प्रभाव के बारे में सोचें अपनी नीतियां कुछ इस प्रकार बनायें कि उनकी अर्थ-व्यवस्था पर मन्दी का कोई बुरा प्रभाव न पड़ सके। मैं मानता हूं कि यह एक गम्भीर समस्या है और इस पर विचार करना चाहिये। पर मैं श्री हैरो द्वारा की गई निराशापूर्ण भविष्यवाणी से सहमत नहीं हूं। लेकिन श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कहा था कि मन्दी बढ़ रही है और विदेशी मुद्रा की हमारी आय पर उसका बड़ा गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। यह भी सही है। इसीलिये, उन्होंने सुझाव दिया था कि हमें एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ वस्तुओं के आदान-प्रदान के दीर्घकालीन करार और अन्तर-प्रादेशिक व्यापारिक समझौते करने चाहियें। उन्होंने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सहायता पाने वाले देशों को सहायता से कहीं अधिक हानि होगी। इसकी दवा केवल यही है कि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था में अन्दरूनी तौर पर एक स्थायित्व लायें और मन्दी की प्रवृत्तियों पर नज़र रखें। वैसे हमारे जैसे देश, जिनकी अर्थ-व्यवस्था कुछ कच्चे मालों पर ही निर्भर है, और जिनके आयात तथा व्यापार में अधिक विकर्षण नहीं है, ऐसे एशियाई देशों को मन्दी की प्रवृत्तियों पर नज़र रखनी चाहिये और जो भी बन पड़े उसके सम्बन्ध में करना चाहिये। एक बार जब विश्वव्यापी पैमाने पर चावल का मूल्य गिर रहा था, तब बरमा के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। उस अस्थायी संकट के दिनों में, बरमा ने हमसे सहायता मांगी थी। हमने सहायता दी भी थी। सौभाग्य की बात है कि हमारी स्थिति अधिक अच्छी है। हमारे व्यापार ही नहीं,हमारी अर्थ-व्यवस्था में भी अधिकाधिक निकर्षण होता जा रहा है और यदि हम सही उपाय सोच सकें तो मन्दी के और अधिक बढ़ने पर हम उसके प्रभाव के निराकरण कोई योजना तैयार कर सकते हैं। इसलिये, इस सीमा तक हमें सतर्क अवश्य रहना चाहिये।

वस्तुओं के आदान-प्रदान के करार करने का सुझाव मेरी समझ में नहीं आया है। ये करार तो आयतकों और निर्यातकों के बीच ही हो सकते हैं। मूल्यों के सम्बन्ध में तो कोई करार हो नहीं सकता, क्योंकि मूल्यों में गिरावट आने लगे तो फिर आयातका बाज़ार भाव से कम मूल्य स्वीकार ही नहीं करेगा उसमें दूसरी कठिनाई यह भी आयेगी कि यह नियन्त्रण करना कठिन होगा किन वस्तुओं की कितनी मात्रा का आयात किया जाना चाहिये। इतनी निधियां कहां से उपलब्ध होंगी। इसलिये, इसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। लेकिन अभी भी जितना सम्भव हो पाता है, उस सीमा तक चाय, रबर, गेंहूं और टिन के बारे में करार किये जाते हैं। कहा यह भी गया था कि अफ्रीकी एशियाई देशों को आपस में कोई करार कर लेना चाहिये। मुश्किल यह है कि एशियाई-अफ्रीकी देश अधिकांशत: कच्चे

[श्री ब० रा० भगत]

माल का निर्यात करते हैं और निर्मित, तैयार वस्तुओं का निर्यात । इसलिये, केवल एशियाई-अफ्रीकी देशों के करार से समस्या नहीं सुलझ सकेगी । क्योंकि पूंजीगत वस्तुओं के लिये तो पूंजीगत वस्तुओं का निर्यात करने वाले देशों से ही करार करना पड़ेगा । प्रश्न यह है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था अनुपूरक ही है, उसे पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना ही पड़ेगा । इसलिये, इस मन्दी के सम्बन्ध में हम केवल यही कर सकते हैं कि परिस्थिति पर नज़र रखें और जितना भी कुछ सम्भव हो, पड़ौसी देशों के सहयोग से उसके प्रभाव के निराकरण का प्रयास करें ।

अब बैंकिंग और उधार-नियन्त्रण का प्रश्न लीजिये । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि बैंक खाद्यान्नों की जमानत पर पेशगी रुपये देते हैं और उससे सट्टेबाजी बढ़ती है तथा देश में मुद्रा-स्फीति की प्रवृत्ति बढ़ती है; और चूंकि सावधि निक्षेप अब बढ़ते जा रहे हैं, इसलिये बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर देना चाहिये । मैं समझता हूं कि ये सभी कारण ऐसे नहीं हैं कि हम ऐसा भारी क़दम उठायें । पहली बात तो यह है कि सभा ने अभी हाल में ही नियन्त्रण सम्बन्धी कई विधान पारित किये हैं और रक्षित बैंक को अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रखने की शक्ति प्रदान की है । साथ ही, अब रक्षित बैंक समय-समय पर पर्यवेक्षण भी करने लगा है और अब उसे विभिन्न बैंकों के कार्य-संचालन के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारी हो गई है । इस बात की सम्भावना तो बहुत ही कम है कि कोई भी प्रथम श्रेणी का बैंक या अनुसूचित बैंक सट्टेबाज़ी करेगा या कुछ व्यक्तियों को उसके लिये पेशगी रुपये देगा, फिर भी हो सकता है कि वह विभिन्न व्यक्तियों को जो पेशगी रुपये देता है उसका कुछ भाग शेयरों की खरीद या खाद्यान्न की सट्टेबाज़ी के लिये प्रयुक्त होता हो । लेकिन, जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी अवांछनीय कार्यवाहियां कोई बहुत अधिक नहीं होतीं, और उनका महत्व इतना अधिक नहीं है कि उस के लिये समूची बैंकिंग व्यवस्था करों राष्ट्रीयकृत करने जैसा भारी क़दम उठाया जाये । हमारी अर्थ-व्यवस्था में बैंकों को एक निश्चित, स्पष्ट कार्य पूरा करना है ।

शायद माननीय सदस्य निजी क्षेत्र को बनाये रखने में विश्वास ही नहीं करते, क्योंकि यदि निजी क्षेत्र रहेगा, तो बैंकों का भी अपना एक कार्य रहेगा ही । हां, यह जरूर है कि बैंकों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति की सीमाओं में ही चलना चाहिये ।

खाद्यान्नों पर मुद्रा-स्फीति का दबाव अधिक बढ़ने के काल में उधार-नियन्त्रण और उधार बहुत ही घटाने की नीति बड़ी सफल सिद्ध हुई थी । यह इसी बात का प्रमाण है कि यह नीति प्रभावी है । हां, इस व्यवस्था में, उधार-नियन्त्रण के इस साधन में, या अनुसूचित बैंकों के कार्य-संचालन पर रक्षित बैंक के नियन्त्रण के तरीके में कुछ सुधार करना आवश्यक है । इस साधन की प्रभावशीलता इस बात से स्पष्ट है कि मुद्रा-स्फीति का प्रभाव सब से अधिक होने के काल में रक्षित बैंक की नीति पेशगियों को घटाने में सफल रही थी । उदाहरण के लिये, १४ फरवरी, १९५८ को भी धान और चावल पर कुल पेशगी के रूप में १०,८०,००० रुपये दिये गये हैं, जबकि ८ फरवरी को यहां पेशगी का कुल रुपया २१,४१,००,००० था । इसलिये, हमें इन उपायों कोही अधिक त्रुटिहीन बनाना चाहिये, जिससे कि बैंकों का कार्य और बैंकिंग नीति योजना के हित में लग सकें ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): क्या यह सही नहीं है कि वित्त मंत्री ने कहा था कि रक्षित बैंक के निदेशों का पालन न करने वाले बैंकों को दण्ड दिया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब० रा० भगत: निश्चय ही। पर मैं बता चुका हूं कि रक्षित बैंक के निदेशों का अधिक उल्लंघन नहीं हो रहा है। यदि कहीं एक-दो मामले ऐसे हुए भी हों, तो मुझे उनकी जानकारी नहीं है। लेकिन यदि कोई बैंक उनका उल्लंघन करता है, तो रक्षित बैंक के पास उसके लिये पर्याप्त शक्तियां हैं। वह उन बैंकों की अनुज्ञप्तियां रद्द कर सकता है, निदेशक नियुक्त कर सकता है, प्रबन्ध निदेशकों की पुनर्नियुक्त करने से इंकार कर सकता है। संसद् ने रक्षित बैंक को पर्याप्त शक्तियां प्रदान कर दी हैं।

कई माननीय सदस्यों ने सरकारी व्यय में मितव्ययता के उपायों के सम्बन्ध में कहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि असैनिक व्यय में बड़ा अपव्यय हो रहा है। सरकार ने गत एक या दो वर्षों में इस सम्बन्ध में कई उपाय किये हैं। मैं यह तो नहीं कहता कि उनसे अधिकतम लाभ हुआ है, लेकिन वे किये सही दिशा में ही गये हैं।

व्यय में कोई कमी न होती देख कर ही, यह मान लेना कि अपव्यय किया जा रहा है ग़लत होगा।

[**श्री पट्टाभिरामन** पीठासीन हुए]

हमारी अर्थ-व्यवस्था विकासशील है, पंचवर्षीय योजनाओं के कारण उसका निरंतर विकास और प्रसार हो रहा है। इसके साथ साथ व्यय तो बढ़ेगा ही। लेकिन हमने मितव्ययता के लिये कई उपाय किये हैं। पहला तो यह कि हमने आन्तरिक मितव्ययता समिति बनाई है। सरकार की नीति यह है कि अधिकतम मितव्ययता करने का दायित्व प्रशासकीय मंत्रालय पर है। कार्य में इस कार्य-क्षमता बढ़ना, कार्य का उचित बंटवारा करना, उसमें मितव्ययता लाना और परिस्थिति की आवश्यकतानुसार उसने अपव्यय न होने देना भी उसी का दायित्व है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड भी है, जो आन्तरिक मितव्ययता समितियों के कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करता है। प्रधान मंत्री ने शायद पिछले ही सत्र में बताया था कि इन समितियों ने वास्तव में कुछ मितव्ययता कर दिखाई है। इस सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों ने विवरण दिये थे। केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड ने व्यय की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सम्बन्ध में कुछ विशेष कार्यवाही की थी। उन मंत्रालयों के विभिन्न संगठनों के कार्य का अध्ययन किया गया था। यह अध्ययन इसीलिये किया गया है क्योंकि कहा जाता है कि कार्य के तरीकों को अधिक त्रुटिहीन और अपव्ययहीन बना कर ही हम वास्तव में मितव्ययता कर सकते हैं। वित्त मंत्रालय की विशेष पुनर्गठन इकाई का ही यह काम है। उसने ग्यारह संगठनों के कार्य के तरीकों का अध्ययन किया है और उनका तथा उनके संगठन का बड़े विस्तार से विश्लेषण किया है। उस इकाई ने कार्य के प्रमापीकरण के उपयुक्त मानदण्ड भी बनाये हैं। वह बुनियादी कार्य कर रहे है। यदि हमारे पास वास्तव में अच्छे प्राविधिक कार्यकर्त्ता हों और वे काम के बोझ का वास्तव में अच्छा विश्लेषण या अध्ययन कर सकें, तो सचमुच ही बड़ी मितव्ययता की जा सकती है।

सभा जानती ही है कि योजना की परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी एक समिति है, जो यह देखती है कि विकास सबन्धी योजनायें अधिक से अधिक मितव्ययता के साथ ही कार्य करें। वह इसका भी ध्यान रखती है कि मितव्ययता किस प्रकार की की जा सकती है। इमारतों की परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिये भी एक सिंचाई तथा विद्युत दल है। और, ऐसे ही अन्य दल भी बना दिये गये हैं, जिन में संसद् सदस्य भी हैं। योजना सम्बन्धी परियोजना समिति

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ब० रा० भगत]

के सभापति तो स्वयं माननीय मंत्री ही हैं। उसने वास्तव में कुछ मितव्ययता कर भी दिखाई है। उदाहरण के लिये, सिमेंट गोदाम योजना के सम्बन्ध में, ढांचे में कुछ परिवर्तन करके या ऐसी कोई पद्धति निकाल कर जिसमें सिमेंट या इस्पात का उपयोग कम से कम होता है, प्राविधिक व्यक्तियों और असैनिक कार्यकर्त्ताओं ने वास्तव में मितव्ययता कर दिखाई है। इस समस्या का हल इसी प्रकार किया जा सकता है। इसलिये, शुद्ध व्यय में कमी न होते देख कर यह नहीं मान लेना चाहिये कि कोई बचत या मितव्ययता नहीं हो रही है। अतिरिक्त कार्यवाहियों के कारण, सरकारी विभागों की कार्यवाहियों के कारण व्यय बढ़ जाता है और यदि कुछ बचत भी होती है तो उसका पता नहीं चलता। इसलिये, हमें देखना यह चाहिये कि जितना व्यय हुआ है उसका पर्याप्त लाभ हुआ है या नहीं। हम काम के बोझ या संगठनों के तरीकों का अध्ययन करने और मंत्रालयों के आर्थिक कृत्यों में सुधार करने के लिये उपयुक्त संस्थायें बना रहे हैं और प्राविधिक कायकर्त्ताओं का प्रशिक्षण कर रहे हैं। गत वर्ष मितव्ययता के सम्बन्ध में जितना भी कुछ प्रबन्ध किया गया है उसका यही उद्देश्य है कि बेहतर कार्य-क्षमता की दृष्टि से, संसाधनों की सीमा में ही व्यय को रखने की दृष्टि से सरकारी कार्यवाहियों की निरंतर परीक्षा की जाती रहे।

अब इस अन्तिम प्रश्न को लीजिये कि इस पूरी समस्या के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया जाये। यह प्रश्न नीति से सम्बन्ध रखता है, इसका समुचित उत्तर तो कल प्रधान मंत्री ही देंगे। लेकिन मुझे भी इस सम्बन्ध में कुछ कहना ही चाहिये।

दुर्भाग्य की बात तो यह हुई है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद के दौरान में बड़े ही निराशाजनक तर्क दिये हैं। योजना को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, इसलिये कुछ माननीय सदस्यों ने उसकी गति धीमी करने की बात कही है। लेकिन, यह तो कठिनाइयों को दूर करना न हुआ। यह तो उनसे हार मानना होगा।

इस सम्बन्ध श्री अशोक महता ने बड़ी सही बातें कही हैं। देश में थोड़े से राजनीतिज्ञ ही ऐसे हैं जो आर्थिक समस्याओं पर एक वस्तुगत रूप में विचार कर सकते हैं। श्री अशोक मेहता भी उनमें से एक हैं। उन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत और आर्थिक विकास के सिद्धान्त में अन्तर है।

भारत की अर्थ-व्यवस्था में आज आर्थिक विकास का दौर है। ऐसी विकासशील अर्थ-व्यवस्था में मुद्रा-स्फीती की सम्भावनायें उत्पन्न होना अनिवार्य ही है। इसलिये, हमें मूल्यों की थोड़ी बहुत वृद्धि से घबराना नहीं चाहिये। श्री अशोक मेहता ने यही कहा है।

उन्होंने यह भी सही कहा है कि संसार के अन्य देशों की तुलना में आज हमारी अर्थ-व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण कहीं अधिक है। अमरीका, इंगलैंड और जर्मनी आदि देशों की अपेक्षा हमारी मुद्रा का मूल्य कहीं अधिक स्थिर है। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था के अच्छे स्वास्थ्य का द्योतक है।

यह सही है कि गतवर्ष मूल्यों, विशेष कर खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई थी। इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि हमारी भांति, कम विकसित देश की विकासशील अर्थ-व्यवस्था की मुद्रा-स्फीति और जर्मनी या इंगलैण्ड की अर्थ-व्यवस्था की मुद्रास्फीती में अन्तर है। उनकी मुद्रा-स्फीती तो बचतों और विनियोजनों के असंतुलन के कारण होती है। लेकिन हमारे

देश में उसका कारण यह है कि कुछ क्षेत्रों विशेष में हम वांछित गति से आगे नहीं बढ़ पाते, विकास नहीं कर पाते। गत वर्ष मूल्यों की वृद्धि का जो दबाव बढ़ा था, वह इसी लिये था कि हम अपने खाद्यान्नों का उत्पादन और अधिक तेजी से नहीं बढ़ा पाये थे, और उसी के फलस्वरूप मूल्य चढ़ने लगे थे। इसलिये हमारे यहां की मुद्रा-स्फीती वहां से भिन्न है, और उसका हल भी इसीलिये भिन्न है। हम अपने यहां भी विनियोजनों के बारे में हाथ रोक सकते हैं। इंगलैंड में बैंक की दर बढ़ा कर विनियोजन को घटा दिया गया था, जिससे कि विनियोजनों और बचतों में उचित अनुपात बना रहे और परिस्थिति में कुछ स्थैर्य आ जाये। लेकिन यदि हम अपने देश में ऐसा करें, तो सारी प्रगति ही रुक जायेगी। हमारे यहां विनियोजन घटाने से पूरी अर्थ-व्यवस्था ही जड़ हो जायेगी। इसलिये इस समस्या का हल प्रधान मंत्री द्वारा बताये गये तरीके से ही किया जा सकेगा—कि अर्थ-व्यवस्था में जड़ता न आने दी जाये। जैसा कि श्री अशोक मेहता ने कहा है, हमें आरम्भ की अवस्था में अधिक तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिये। यदि हम गति धीमी कर देंगे, तो गति ही रुक जायेगी। एक बार जोर लगा कर अर्थ-व्यवस्था के जहाज को समुद्र में ले आने पर फिर सामान्य गति से चलना सम्भव हो जायेगा। अर्थशास्त्र के नियम हमें वही सिखाते हैं, और यही देश को सीखना चाहिये।

मुझे प्रसन्नता है कि कुछ निराशावादियों को छोड़ कर, अन्य अधिकांश सदस्यों ने योजना, विनियोजनों और अर्थ-व्यवस्था में स्थायित्व लाने के सरकारी प्रयत्नों का अनुमोदन किया है। हमें आशावादी ढंग से इस समस्या पर विचार करना चाहिये।

†**सभापति महोदय** : श्री ब्रजराज सिंह।

†**श्री ब्रज राज सिंह** (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, वित्त उपमंत्री महोदय के पश्चात् मुझे यह कहने का मौका दिया गया है कि उनका यह कहना सही है या नहीं कि इस प्लैन को इस सदन के सभी सदस्य सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक इस योजना का सवाल है, उस के बनाने में मूलभूत गलतियां की गई हैं। वे मूलतः गलतियां ऐसी हैं जिन को बिना सुधारे यह योजना कभी सफल नहीं हो सकती।

इस योजना का सारा उद्देश्य यह है कि इस मुल्क की ३० या ४० लाख जनता का जीवन स्तर तो ऊंचा उठे, और बाकी को जो जनता है उसे गरीबी के दलदल में ही छोड़ दिया जाय। मैं देखता हूं कि हमारे मुल्क में ५० लाख नई जानें हर साल पैदा होती हैं। इस प्लैन में सिर्फ दस या पंद्रह लाख लोगों के जीवन स्तर को हर साल ऊंचा उठाने की कोशिश की जाती है। हर साल जो ३५ या ४० लाख नयें लोग पैदा हुओं में से बाक़ी रह जाते हैं वह गरीबी के दलदल में फंसते जाते हैं। पुरानी गरीबी जो चल रही है, वह तो चल ही रही है, नई गरीबी और पैदा हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि प्लैन की जो मूलभूत गलतियां हैं उन की ओर, ऐसा लगता है, सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है।

हम सिर्फ कृषि के ही मसले को लें। अभी वित्त उपमंत्री ने कहा कि कृषि के कारण हम को कुछ कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं। लेकिन कृषि की समस्या के लिये कोई मौलिक सुधार करने की कोशिश नहीं की जा रही है। हमारे मुल्क में अब भी दस करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जो खेती योग्य है लेकिन उस को तोड़ने के लिये सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं की जा

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री ब्रज राज सिंह]

रही है। इस जमीन को तोड़ कर मुल्क की कृषि की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। मुल्क में जो गल्ला बाहर से मंगाना पड़ता है, उससे भार पड़ता है। इस जमीन को तोड़ कर हम अपने फारेन एक्स्चेन्ज (विदेशी मुद्रा) को बचा सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि सरकारी बैंचेज़ के लोग कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिये कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो १० करोड़ एकड़ जमीन परती पड़ी है उस को तोड़ने के लिये योजना सम्बन्धी कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं। इस परती जमीन को तोड़ने के लिये सरकार दस लाख लोगों की एक अन्न सेना भरती करने की कोशिश करे। वह ऐसी सेना हो कि जिस का एक सैनिक कम से कम दस एकड़ जमीन प्रति वर्ष खेती योग्य बनाये। इस तरह से दस साल के अन्दर दस करोड़ एकड़ जमीन जो परती पड़ी हुई है वह खेती के लायक बन सकती है। इस तरह से हमारे मुल्क की पैदावार भी बढ़ सकती है।

मैंने देखा कि पिछले तीन सालों के अन्दर, सन् १९५३-५४ से ले कर सन् १९५५-५६ तक जहां रोज हम यह कहते रहे कि हमें अपनी कृषि की पैदावार को बढ़ाना है, वहां हमारी पैदावार १९५३-५४ की जो ६८.७२ मिलियन टन थी वह घट कर १९५५-५६ में ६८.६९ मिलियन टन रह गई। अगर आप कहें कि आप कृषि की पैदावार इस तरह से बढ़ा लेंगे, कुछ फर्टिलाइजर बना कर बढ़ा लेंगे, तो यह उस का उचित समाधान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिये नई ज़मीन को तोड़ना बहुत जरूरी है। उस को तोड़ने के बाद उस में सामूहिक तरीके से अन्न पैदा करने का उद्योग किया जाय।

इस के साथ ही जो दूसरी बहुत बड़ी समस्या है वह यह है कि जितनी हमारी अलाभकर जोतें हैं उन से किसान को कोई फायदा नहीं होता है। इन अलाभकर जोतों पर भी लगान लिया जा रहा है। आप शहरों में आय कर लगाते हैं तो उस के लिये सीमा बांधते हैं कि ३,००० रु० से कम पर, ३६,०० रु० से कम पर या ४२०० रु० से कम पर आय कर नहीं लिया जायेगा। उस से ऊपर ही लिया जायेगा, लेकिन किसान के लिये कोई सीमा बांधने के लिये तैयार नहीं हैं। कोई एक बीघा की खेती करता है या दो एकड़ की खेती करता है, उस से पैदावार कितनी ही हो, लेकिन उस को लगान देना पड़ता है। खेती की समस्या को हल करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि जो अलाभकर जोतें हैं उन से लगान न लिया जाय। आज देश में ८६ फीसदी जोतें ऐसी हैं जो कि अलाभकर हैं। अगर आप इन ८६ फीसदी जोतों पर से यह कर उठा लें तो उस से हमें ५० करोड़ रू० का नुक्सान तो जरूर होगा लेकिन उस से ८६ फीसदी किसानों के दिलों के अन्दर विश्वास की रोशनी पैदा होगी, एक उत्साह पैदा होगा कि यह हमारे मुल्क का काम है, आज मुल्क के ऊपर संकट है और वह पैदावार को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उस के लिये उस को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन मैं बतलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज खेती के लिये बड़ी बड़ी योजनायें बनाई जा रही हैं, उन से हो सकता है कि कुछ दिन बाद कोई नतीजा निकले, लेकिन छोटी सिंचाई योजनाओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं पानी की बात कहता हूं। पानी हमारे पास मौजूद है, उस का उपयोग करने के बारे में पूरी कोशिश नहीं की जा रही है। हम देखते हैं कि अभी पंजाब में जहां भाखरा नंगल बांध बना है, वहां अभी से आप विकास कर लगाने की बात सोच रहे हैं, पानी की सिंचाई की दरें इतनी ऊंची हैं कि किसान उन का पूरा उपयोग नहीं कर सकते। यहीं पर भ्रष्टाचार का सवाल आता है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, मैं देखता हूं कि जब तक किसान कुछ भेंट सरकारी कर्मचारियों को नहीं चढ़ा देता तब तक उस को

पानी नहीं मिलता। खेती की समस्या को हल किये बिना अन्न की पैदावार नहीं बढ़ सकती और जब तक अन्न की पैदावार नहीं बढ़ती तब तक द्वितीय योजना कभी सफल नहीं हो सकती। हमेशा आप के रास्ते में रुकावटें आयेंगी, आप को बाहर से अन्न मंगाना पड़ेगा, फारेन एक्सचेंज खर्च करना पड़ेगा जो कि दूसरे कामों पर खर्च हो सकता था। जो कुछ दूसरे कामों पर खर्च किया जा सकता था वह अगर खाने के ऊपर खर्च हो जायेगा तो हमेशा आपके रास्ते में दिक्कतें आती रहेंगी।

मैं निवेदन करूंगा कि कृषि की समस्या को हल करने के लिये और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कुछ ऐसा प्रयत्न किया जाय जिस से सचमुच उन का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। उन का लगान माफ हो, सिंचाई की दरें कम हों, अलाभकर जोतों का लगान छोड़ दिया जाय, और खास तौर से ऐसे कामों की ओर ध्यान दिया जाये जिस से किसानों को यह महसूस हो कि यह हमारा मुल्क है और उस की उन्नति उन की उन्नति है। आज आप की छोटी बचत योजना क्यों सफल नहीं होती? किसान यह सोचते हैं कि हमारे लिये कुछ नहीं किया जा रहा है। बड़े बड़े भवन बन सकते हैं, बड़ी बड़ी लाइनों पर बिजली की रेलें चल सकती हैं, हवाई जहाज चल सकते हैं, बड़े बड़े सरकारी वेतनधारियों की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन आप छोटे किसान के लिये कुछ भी करने को तैयार नहीं हैं। वह यह महसूस नहीं करता कि यह उस की प्लैन है और उस को इसे सफल बनाना है। वह तो यह सोचता है कि जो लोग अपने को गांधी जी के शिष्य कहते हैं, वे गांधी के रास्ते को छोड़ चुके हैं। सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी के माने यह नहीं हैं कि ऊंचे लोगों की तनख्वाहों को नीचे न लाया जाये। नीचे के लोगों को भी ऊंचा उठाया जाय। समता लाने के लिये नीचे वाले को ऊपर उठाना और ऊंचे वेतन वेतन धारी का वेतन कम करना आवश्यक है अगर आप सिर्फ १० या १५ लाख लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिये ३८ करोड़ नागरिकों के जीवन की परवाह नहीं करते तो इस से हमारा समाजवादी समाज का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आप कुछ भी देश की उन्नति नहीं कर सकते। हर साल ५० लाख बच्चे जो पैदा होंगे उस से लोगों का जीवन स्तर नीचे गिरता जायेगा। अगर आप को इस प्लैन के जरिये देश में समाजवादी ढंग का समाज लाना है तो आप को अपनी प्लैन में इस तरह के संशोधन लाने की जरूरत है जिससे देश का स्तर ऊंचा उठे, सारे देश के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे।

आप कहते हैं कि आप ने मितव्ययिता के लिये कुछ कमेटियां बनाई हुई हैं। लेकिन यह देख कर ताज्जुब होता है कि जो भी कमेटियां बनती हैं वे खर्च को कम नहीं करतीं, वे नये खर्च पैदा कर लेती हैं। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस ओर ध्यान दे। वह कमेटियां ठीक ठीक से विभागों पर दृष्टि नहीं रखती हैं और इस तरह से यह सरकार कमेटियों के जंगल में फंस कर रह जाती है और विभागों में कोई मितव्ययिता नहीं हो पाती। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप मितव्ययिता करना चाहें तो जो प्लैन का इस वर्ष का १००० करोड़ का खर्च है उस में २५० करोड़ रु० की बचत हो सकती है। लेकिन आप को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। आप समझते हैं कि सदन में जो कुछ कहा जा रहा है वह केवल विरोध के लिये कहा जा रहा है लेकिन वास्तव में आप को उस पर विचार करना चाहिये। आप जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के दफ्तर खोलते हैं, अफसरों को रखते हैं, उस के बजाय आप चौखम्मा राष्ट्रीय योजना बनाइये: आप गांवों में जो खर्च करना चाहते हैं वह गांव की पंचायत को दीजिये, जिले पर जो खर्च करना चाहते हैं वह जिला पंचायत को दीजिये। वहां पर इस के लिये नये अधिकारियों को रखने की क्या जरूरत है? आज आप का ध्यान सिर्फ इस ओर है कि कुछ लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाय और बाकी जनता को गरीबी के दलदल में ही फंसा रहने दिया जाये। जब

[श्री ब्रजराज सिंह]

तक इसके लिये क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाये जाते हैं, इस योजना को ठीक करने के लिये उस में ऐसे परिवर्तन नहीं लाये जाते हैं जिन से नीचे की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, नीचे के लोगों की तनख्वाहों को बढ़वा सकें, आज ऊंची और नीची आमदनी में जो फ़र्क है वह कम हो सके, तब तक न कोई प्लैन सफल हो सकती है और न इस प्लैन को सफल करने के लिये आप को जनता की सहायता ही मिल सकती है, जो कि मिलनी चाहिये। जब तक देश की पूरी जनता यह महसूस नहीं करती कि इस योजना को उसे सफल बनाना चाहिये, तब तक यह योजना सफल नहीं होगी। इस योजना को सफल बनाने के लिये देश की जनता में उत्साह लाना होगा, और वह तभी आयेगा जब जनता महसूस करे कि यह जो काम हैं वह जनता के लिये हैं। जब तक यह काम नहीं किया जाता तब तक आप का काम नहीं चल सकता है। आज सारी समस्याओं को हल करने के लिये जब तक आप अपनी योजनाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक शासन के अधिकारियों और जनसाधारण के लोगों का फर्क नहीं मिटता, तब तक यह योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती। इस में ऐसे परिवर्तन लाइये जिस में कि यह योजना जो कि ऊपर से चल रही है वह ऊपर से न चल कर नीचे से चले, जनता का जीवन स्तर नीचे से ऊपर को उठे और जहां पर हम देखते हैं कि आमदनियों में बड़ा फर्क है वह फर्क भी कम हो। अभी उस दिन हमारे रेलवे मंत्री ने कहा कि हमारी मंशा यह नहीं है कि हम ऊंचे के लोगों की आमदनी को कुछ कम करें, क्योंकि उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि दस या पांच करोड़ रुपये का फर्क पड़ जाय। मैं कहना चाहता हूं कि यह जरूर है कि दस या पांच करोड़ रुपये का फर्क कोई बहुत नहीं होता, लेकिन इस में मुल्क में एक बहुत ही अच्छा दृष्टिकोण पैदा होगा। जनता सोचेगी कि यह लोग जो हैं वह चाहते हैं कि हम सब की आमदनी बराबर आये और समाजवादी समाज की रचना हो। इस से उन लोगों के अन्दर उत्साह पैदा होगा और वह इस प्लैन को सफल बनाने के लिये मदद कर सकते हैं।

एक शब्द में कहना चाहूंगा फौज के सिलसिले में। आज एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमें अपनी फौज को बढ़ाना है क्योंकि हमें खतरा हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के वैज्ञानिक प्रगति के युग में हम अपनी फौज को बढ़ा कर अपने मुल्क की रक्षा नहीं कर सकते। मुल्क की रक्षा के लिये हमें वही दृष्टिकोण अपनाना होगा जो आजादी की लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनाया था और उसके द्वारा देश को ऐसी आत्मा दी थी जिसको लेकर हम विदेशी हुकूमत से लड़ सके। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार को वही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। हमारी मुल्क का जो रक्षा व्यय बढ़ रहा है उसे हमको घटाने की जरूरत है। हम पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ायें और कहें कि हम लड़ना नहीं चाहते और देश की जनता में ऐसी भावना पैदा करें कि अगर हमारे मुल्क पर पाकिस्तान से या कहीं से भी हमला हो तो हमारे मुल्क का एक एक नागरिक अपने देश की रक्षा के लिये खून की नदियां बहा दे। तभी हम अपने देश की रक्षा कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि जब तक हम रक्षा व्यय नहीं घटाते तब तक विकास के काम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिये मैं कहूंगा कि हमारा रक्षा व्यय घटाया जाये तभी हम विकास के कार्य बढ़ा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य की इस राय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हम अपना रक्षा व्यय बढ़ाते चले जायें क्योंकि हमें पाकिस्तान से खतरा हो सकता है। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के नागरिक एक ही खून के हैं। कल तक हम साथ साथ रहते थे। आज हममें कुछ गलतफहमी हो गयी है। पाकिस्तान में कुछ लोग चाहते हैं कि अपनी दिक्कतों को दूर

करने के लिये हिन्दुस्तान के खिलाफ आवाज उठाते रहें लेकिन उसकी वजह से यह नहीं समझना चाहिये कि पाकिस्तान की जनता और हिन्दुस्तान की जनता अलग अलग है। दोनों देशों की जनता एक है। दोनों देशों की जनता चाहती है कि शान्ति रहे। हम महात्मा गांधी के सन्देश के अनुसार सारे संसार में शान्ति चाहते हैं। वह शान्ति तभी हो सकती है जब कि हम रक्षा व्यय में कुछ घटा कर दिखायें कि हम अपने शान्ति के संदेश को अमली रूप देने के लिये रक्षा व्यय को घटा रहे हैं।

कार्य मंत्रणा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने** (बुलडाना) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन को उपस्थापित करता हूं।

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : क्या मुझे बोलने का अवसर दिया जायेगा ?

†**सभापति महोदय** : अब तो ५ बज चुके हैं। क्या माननीय सदस्य और देर तक बैठना चाहते हैं ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी नहीं।

इस के पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, १८ मार्च, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १७ मार्च, १९५८]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		२४१९–२४४३
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८६	राष्ट्रीय वैमानिक गवेषणा प्रयोगशाला	२४१९–२०
९८८	छावनियों में किरायेदारी के नियम	२४२०–२२
९८९	केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद्	२४२२-२३
९९०	अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष	२४२३-२४
९९१	अफीम का मूल्य	२४२४-२५
९९२	छोटी कोयला खानों का एकीकरण	२४२५-२६
९९३	हिन्दी का नया व्याकरण	२४२६–२८
९९४	उड़ीसा में तम्बाकू की फसल	२४२८
९९६	चम्बा-बेनीखेत सड़क	२४२८
९९७	उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद्	२४२९–३१
९९८	केरल शिक्षा विधेयक	२४३१–३४
१००१	मतदाताओं के फोटो	२४३४-३५
१००२	राज्यों को ऋणों का एकीकरण	२४३५–३७
१००३	विधियों और नियमों का हिन्दी में अनुवाद	२४३८-३९
१००४	खाद्यान्नों पर बिक्री कर	२४३९-४०
१००५	उड़ीसा को इस्पात का आवंटन	२३४०-४१
१००६	क्रीड़ांगन (स्पोर्ट्स स्टेडियम)	२४४१–४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर		२४४३–७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
९८७	राष्ट्रीय अनुशासन योजना	२४४३
९९५	रूसी छात्रवृत्तियां	२४४३–४४
९९९	भारत का इतिहास	२४४४
१०००	त्रिपुरा की राज-भाषा	२४४४
१००७	अफीम विधियां (संशोधन) अधिनियम, १९५७	२४४४
१००८	पीतल की दुअन्नियां	१२४४-४५
१००९	दिल्ली में सरकारी स्कूल	२४४५
१०१०	निवेली में मिट्टी हटाने का काम	२४४५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या

१०११	पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेल की खोज	२४४६
१०१२	राजनैतिक पीड़ित समिति, दिल्ली	२४४६
१०१३	केन्द्रीय खनन गवेषणा केन्द्र, धनबाद	२४४६
१०१४	अफीम का राशन	२४४७
१०१५	प्रतिरक्षा विभाग के लिये सामान की खरीद	२४४७
१०१६	केन्द्रीय अंगुलि चिन्ह कार्यालय	२४४७

अतारांकित प्रश्न संख्या

१३२५	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२४४८
१३२६	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को ऋण	२४४८
१३२७	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी का विस्तार	२४४९
१३२८	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	२४४९
१३२९	इंडियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स	२४५०
१३३०	कल्याण विस्तार परियोजनायें	२४५०–५१
१३३१	उत्तर प्रदेश से आयकर तथा उत्पादन शुल्क	२४५१
१३३२	अन्य पिछड़े वर्गों को छात्रवृत्तियां	२४५१–५२
१३३३	भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार	२४५२
१३३४	अन्तर्राष्ट्रीय होस्टल	२४५२–५३
१३३५	अन्दमान द्वीपसमूह	२४५३
१३३६	भूमिहीन अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	२४५३
१३३७	उत्तर प्रदेश को लोहे की चादरों का आवंटन	२४५३
१३३८	उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिये आवास योजनायें	२४५४
१३३९	उत्तर प्रदेश से आय-कर	२४५४
१३४०	बम्बई में पुस्तकालय आन्दोलन	२४५४
१३४१	न्यू अलीपुर, कलकत्ता, में अधिगृहीत भूमि	२४५४
१३४२	भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी विद्यालय, धनबाद	२४५५
१३४३	भारतीय खान और व्यावहारिक भौमिकी विद्यालय, धनबाद	२४५५
१३४४	मोटर साइकिलों और कारों के खरीदने के लिये भत्ते	२४५५
१३४५	दक्षिणी अर्काट में गिंगी किला	२४५६
१३४६	उत्तर प्रदेश में 'बाद की देख-भाल' गृह	२४५६
१३४८	जीवन बीमा निगम के निदेशक	२४५६–५८
१३४९	लक्कादीव, मिनिकोय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह में धान, नारियल तथा नारियल-जटा उद्योग	२४५९

विषय		पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

१३५०	राष्ट्रमंडलीय नौ-सेनाध्यक्षों का सम्मेलन	२४५९–६०
१३५१	पंजाब में शिक्षा विकास कार्यक्रम	२४६०
१३५२	हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले	२४६०
१३५३	हिमाचल प्रदेश में ट्रक चलाने के लिये परमिट	२४६०–६१
१३५४	हिमाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण	२४६१
१३५५	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	२४६१–६२
१३५६	एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ़ कालेज	२४६२
१३५७	असिस्टेंटों का स्थायीकरण	२४६२
१३५८	'स्टेंडर्ड हिन्दी मैनुअल'	२४६२–६३
१३५९	लोहे के छड़ों की आवश्यकता	२४६३
१३६०	अनुसूचित आदिम जातियों के लिये वन सहकारी समितियों के लिये अनुदान	२४६३–६४
१३६१	त्रिपुरा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	२४६४
१३६२	पाकिस्तान से आये मुसलमान	२४६४
१३६३	अध्यापकों की गोष्ठियां	२४६४–६५
१३६४	एम० ई० एस०	२४६५
१३६५	राजनैतिक पीड़ित	२४६५
१३६६	विज्ञान मान्दर	२४६५–६६
१३६७	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी	२४६६
१३६८	मामीबाजार बोर्डिंग हाउस	२४६६
१३६९	त्रिपुरा में स्मारक	२४६६–६७
१३७०	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सहायक-आयुक्त	२४६७
१३७१	केन्द्रीय विधियों का अवैधीकरण	२४६७
१३७२	दिल्ली के साइकिल चलाने वाले	२४६७–६८
१३७३	आई० ए० एस० अफसर	२४६८
१३७४	तिलकनगर गवर्नमेंट स्कूल, नई दिल्ली	२४६८
१३७५	स्टेनोग्राफर	२४६८–६९
१३७६	गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस समारोह	२४६९–७०
१३७७	अफीम का तस्कर व्यापार	२४७०
१३७८	मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्तियां	२४७१
१३७९	बाली समुद्र-विमान केन्द्र	२४७१

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . २४७१-७२

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये :—

(१) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारत सचिव की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति ।

(२) पशुओं के प्रति निर्दयता निरोध समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति

(३) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा नमक, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९५४ में कुछ और संशोधन करने वाली दो अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति .

राज्य-सभा से सन्देश २४७२

सचिव ने राज्य-सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी :—

(१) कि राज्य-सभा १३ मार्च, १९५८ की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १० मार्च, १९५८ को पारित किये गये नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) विधेयक, १९५८ से बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(२) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा ११ मार्च, १९५८ को पारित किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९५८ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(३) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा १२ मार्च, १९५८ को पारित किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५८ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . २४७२

सचिव ने इस सत्र में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और लोक-सभा को १० फरवरी, १९५८ को दी गई अंतिम सूचना के बाद राष्ट्रपति की अनुमति-प्राप्त निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखे :—

(१) विनियोग विधेयक, १९५८

(२) केन्द्रीय बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना २४७२-७३

श्री हेम बरुआ ने श्रीलंका में भारतीय उद्भव के राज्यहीन व्यक्तियों केबारे में लंका के प्रधान मंत्री के कथित वक्तव्य की ओर प्रधान मंत्री का ध्यान दिलाया ।

विषय पृष्ठ

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य और वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया

सामान्य आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . २४७३-२५११

सामान्य आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य चर्चा जारी रही

चर्चा समाप्त नहीं हुई

कार्य-मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन . . . २५११

इक्कीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंगलवार, १८ मार्च, १९५८ के लिये कार्यवलि

सामान्य आय-व्ययक १९५८–५९ पर सामान्य चर्चा तथा सरकारी भूगृहादि (अनधिकृत क़ब्ज़ाधारियों का निष्कासन) विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में राज्य-सभा की सिफारिश पर सहमति के लिये प्रस्ताव ।